खण्ड-234, अंक-2
बुधवार, 21 भाद्रपद, शक संवत् 1884
(12 सितम्बर, 1962 ई0)

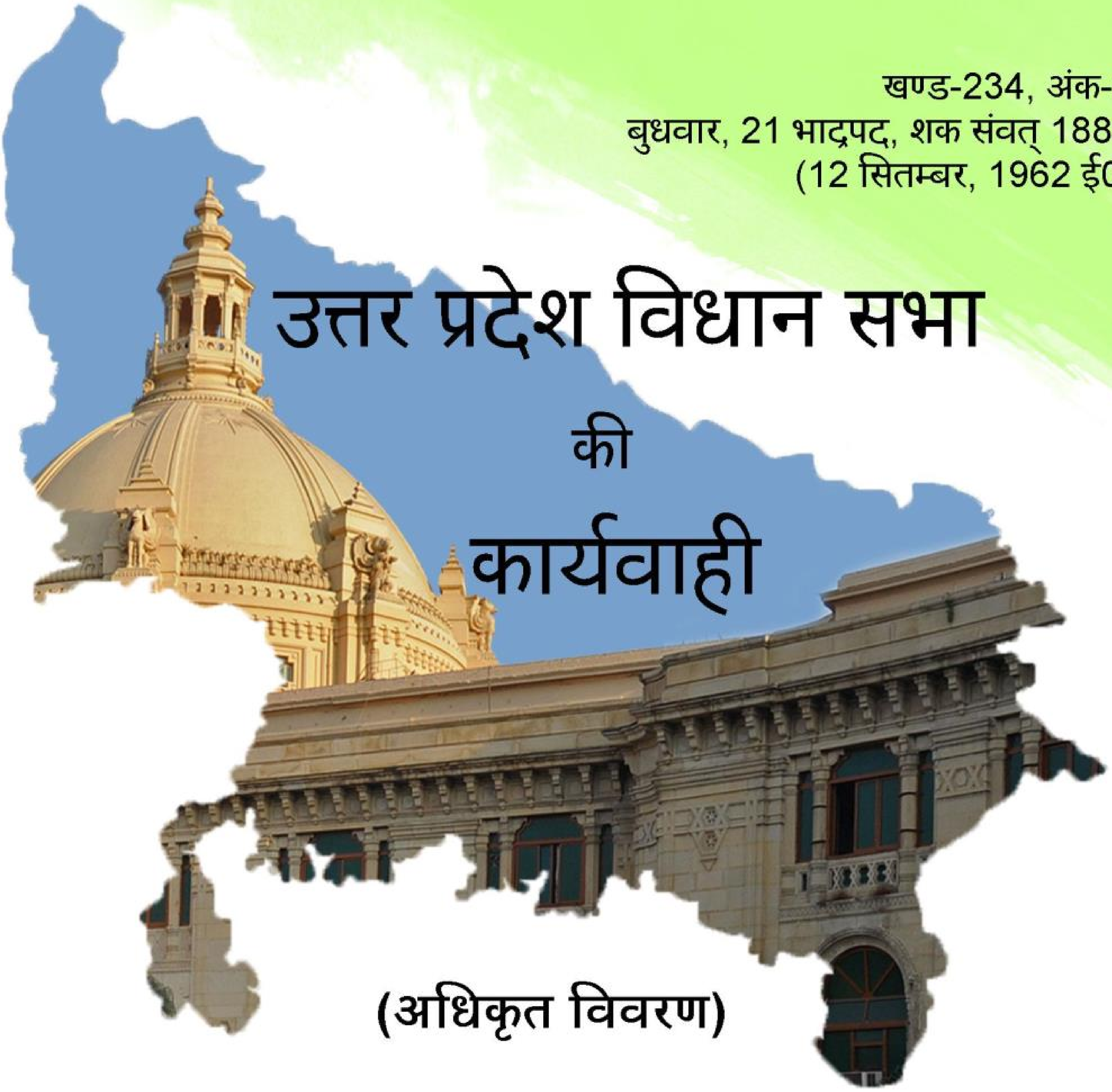

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 234 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१२९–१३
प्रश्नोत्तर	१३३–१५
उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ के संबंध में सूचना की मांग (जारी) ..	१५
कतिपय विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचना	१५६–१५
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	१५
आडिट रिपोर्ट पर चर्चार्थ नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना	१५८–१५
विधान भवन के सिंह द्वार पर विधान सभा के एक अधिकारी को नियुक्त करने की मांग	१५
उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ के संबंध में सूचना की मांग (जारी) ..	१५९–१६
१७ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न ३–४ से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	१६
उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ के सम्बन्ध में सूचना की मांग ..	१६
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ (जारी) ..	१६१–१६
आडिट रिपोर्ट की हिन्दी प्रति न मिलने पर आपत्ति..	१६
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ (जारी) ..	१६८–२२
नत्थियां	२२६–२३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १२ सितम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के १० बजकर ३० मिनट पर अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरी लाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरिवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल ऐडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री

नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमसिंह बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसी दास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)

योगेश्वरप्रसाद खड़ूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय "प्रणव", श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री

शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराजसिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, तथा वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १२ सितम्बर, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—[१३ वें गुरुवार के लिए प्रश्न १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बरुआसागर में आयुर्वेदिक इंजेक्शन बनाने का लाइसेंस न मिलना

*२—श्री लखपतराम शर्मा—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरुआसागर—जो जिला झांसी में है—में क्या कोई इंजेक्शन बनाने का कारखाना सन् १९५० से अब तक बिला सरकार से लाइसेंस प्राप्त किये हुये ड्रग ऐक्ट के विरुद्ध इंजेक्शन बनाने का काम करता आ रहा है ? यदि यह सत्य है, तो क्या सरकार द्वारा इस गम्भीर मामले के विषय में कोई कठोर कार्यवाही की जायेगी ?

चिकित्सा उपमन्त्री (श्री धर्मसिंह)—बरूआसागर, जिला झांसी में श्री लक्ष्मी अनुसंधान भवन नाम का एक इंजेक्शन बनाने का कारखाना था। इस कारखाने में सन् १९५० से १९५५ तक आयुर्वेदिक इन्जेक्शन बनाने की शिकायत रही परन्तु इस समय तक केवल यही प्रयत्न था कि इस प्रकार के कारखाने बाकायदा लाइसेंस लेकर इन चीजों को बनावें। अतः इस कारखाने को २४-१२-५५ से आयुर्वेदिक इन्जेक्शन बनाने का लाइसेंस दिया गया जो कि २९-५-५९ तक चालू रहा और तब केमिस्ट न होने के कारण इसका नवीनीकरण अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद से इस कारखाने को फिर लाइसेंस नहीं मिला है।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि झांसी जिले में रिसर्च लेबोरेटरी के १९ हजार के इंजेक्शन, ए० जी० मिश्रा फार्मेसी के ११ हजार के इंजेक्शन और बुन्देलखंड आयुवदिक फार्मेसी के २५ हजार के इंजेक्शन सरकार द्वारा तोड़े गये थे जबकि बरुआसागर में बराबर उस समय इंजेक्शन बनते रहे ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। इसके मुताल्लिक कोई जानकारी नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया और नहीं दिया, तो उसके बाद भी इस कारखाने में जून, सन् १९६२ तक इंजेक्शन क्यों बनते रहे ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—क्या यह सही है कि जो कारखाना चल रहा है लक्ष्मी आयुर्वेदिक फार्मेसी, इसका संचालन वहां के कांग्रेस टिकट पर चुने हुये अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष कर रहे हैं और उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाने के बाद आज भी वहां पर काम हो रहा है ? तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं, मैंने अभी निश्चयपूर्वक कहा कि अब उसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है लेकिन कांग्रेसमेन होना किसी कार्य के लिये कोई मनाही नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सरकार के नोटिस में जब इस प्रकार की बात लाई गई कि इस तरह के नकली इंजेक्शन और दवाई हमारे प्रदेश में बनती है और उदाहरण के लिये वाराणसी में टी० बी० के कैप्सूल लाखों रुपये के बनते हैं, तो सरकार ने जांच कराई कि प्रदेश में इस तरह के लोग हैं जो गलत ढंग से दवाई बनाते हैं। और लाइसेंस नहीं लेते हैं ?

श्री धर्मसिंह—जो माननीय सदस्य ने वाराणसी का जिक्र किया, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जब जब इस तरह की सरकार को जानकारी होती है, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि सौराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस इंजेक्शन को पकड़ा और रायगढ़ में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पकड़ा और उत्तर प्रदेश की सरकार को यह इत्तिला दी कि इस इंजेक्शन को पकड़ा जाय जो हमारे प्रदेश में बनता है ?

श्री धर्मसिंह—यह सही है कि महाराष्ट्र से इस तरह की शिकायत आई थी, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो वह उस वक्त के इंजेक्शन निकले जब कि उनको लाइसेंस मिला हुआ था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५० से १९५५ तक जो इंजेक्शन बनने की कार्यवाही की गई थी, उसकी जांच किस अधिकारी के द्वारा कराई गई और जांच में कितने रुपये के गलत तरीके के इंजेक्शन स्टेट को प्राप्त हुये ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक इस पार्टी का सम्बन्ध है मैंने अभी निवेदन किया कि सन् १९५० से लेकर १९५५ तक वह यह प्रयत्न करते रहे कि उनको लाइसेंस मिले । सन् १९५४ में पूरी तौर से यह बात मालूम हो सकी । दिल्ली स्टेट से एक शिकायत इस तरह की प्राप्त हुई कि वह गलत इंजेक्शन बना रहे हैं । उसके बाद उनको वार्निंग दी गई । बाद में उन्होंने कंडीशन पूरी कर दी तो उनको लाइसेंस दिया गया ।

श्री लखपतराम शर्मा—मैं यह जानना चाहता हूं कि जब रायगढ़ में यह इंजेक्शन पकड़ा गया और उत्तर प्रदेश सरकार को यह सूचना दी गई कि उनके यहां इस तरह की गलत दवाई बन रही है और यह जून, सन् १९६२ तक बनता रहा, जब कि मैंने सदन के सामने इस सवाल को रखा, तो क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि....

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न कीजिये ।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या सरकार को रायगढ़ से भी इंजेक्शन पकड़े जाने की रिपोर्ट दी गयी और क्या सरकार की जानकारी में यह है कि यह इंजेक्शन निवारी स्टेशन से भी सप्लाई किये जाते थे और बरुआसागर में जून, १९६२ तक बनते रहे ?

श्री धर्मसिंह—अब यह इंजेक्शन नहीं बन रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की शिकायत आयी थी, लेकिन जिस समय के वे इंजेक्शन थे उस समय उनके पास लाइसेंस था और उसमें कोई इर्रेगुलैरिटी नहीं थी ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—जिस समय सरकार को यह मालूम हुआ कि वहां पर इंजेक्शन बन रहे हैं, तो उस समय ड्रग्स ऐक्ट के मुताबिक इस कंपनी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री धर्मसिंह—थोड़ी-सी गलतफहमी है । आयुर्वेद वालों का कहना है कि इस ऐक्ट के मुताबिक, जहां तक आयुर्वेदिक इंजेक्शन्स का ताल्लुक है, वे बन सकते हैं । तो चार, पांच साल इस कंट्रोवर्सी में लग गये, लेकिन ज्यों ही उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया, उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी । उनको मना किया गया और नोटिस वगैरह दी गयी ।

बिक्री-कर का बकाया

*३—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में तथा खास कर कानपुर जिन लोगों पर एक लाख से अधिक रुपया अबतक बिक्री-कर का बकाया है, उसे वसूल करने लिये सरकार ने क्या किया ?

वित्त उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—इस सम्बन्ध में की गई पूंछताछ से यह ज्ञात हुआ है कि बकायेदारों की सूची में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मामलों में जज (रिवीजन) अथवा हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर न वसूल किये जाने की आज्ञाएं मौजूद हैं। कुछ अन्य मामलों में liquidation अथवा insolvency की कार्यवाहियां चल रही हैं तथा कतिपय अन्य मामलों में व्यापारी लापता हो गया है अथवा उसकी माली हालत गिर गई है। स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। जहां तक अन्य बकायेदारों का सम्बन्ध है उनके मामलों में विभाग सचेष्ट है और वसूलयाबी की कार्यवाही तत्परतापूर्वक चलायी जा रही है। ऐसे सब मामलों में कर वसूली के सर्टीफिकेट जारी कर दिये गये हैं, तथा जहां आवश्यक समझा जा रहा है उन मामलों में उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट की धारा १४ तथा १५—क के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही भी की जा रही है। बिक्री-कर आयुक्त को आदेश जारी कर दिये गये हैं कि ऐसे सब मामलों में वसूलयाबी की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र होती रहे।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि यह जो १ करोड़ ६४ लाख रुपया बिक्री-कर का सरकार का बकाया है उसमें कितने रुपये के लिये सर्टिफिकेट जारी किये गये हैं ?

श्री जयराम वर्मा—यह रकम है १,६५,४२,२८९ रुपये और जिनका स्टे आर्डर नहीं हुआ है या जो लापता नहीं हो गये हैं उन सब के मामलों में उनके खिलाफ वसूलयाबी की कार्यवाही जारी कर दी गयी है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब इस रुपये की वसूलयाबी के संबंध में सवाल उठाया गया था, उस समय मंत्री जी ने कहा था कि बहुत-सी लीगल दिक्कतें हैं जिनकी वजह से वसूलयाबी नहीं हो सकती। लोग सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट चले जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार कानून में संशोधन लाने का विचार रखती है ताकि वसूलयाबी जल्दी से जल्दी हो सके ?

श्री जयराम वर्मा—वसूलयाबी की कार्यवाही हो रही है और जो कानून है उनमें ऐसा नहीं है कि वसूलयाबी नहीं हो सकती।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस समय दूकानदारों ने अपने ग्राहकों से यह बिक्री-कर का रुपया वसूल किया था, सरकार ने उसी समय या उसके कुछ दिन बाद ही यह रुपया उनसे वसूल क्यों नहीं किया ?

श्री धर्मसिंह—जब टैक्स का असेसमेंट होता है उसके बाद उनको अपील करने का अख्तियार होता है और वह वसूली स्टे कराने के लिये जज रिवीजन्स की दरख्वास्त दे सकते हैं और जब वह स्टे हो जाता है तो वसूली की कार्यवाही नहीं हो सकती। इसी बीच में या उसके बाद अगर उनकी हालत खराब हो गयी तो वसूली की कार्यवाही करने से रुपया तो नहीं मिलेगा, हां, वे जेल में बंद किये जा सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कानपुर में कौन-कौन ऐसे लोग हैं कि जिनके जिम्मे १ लाख से अधिक रुपया बकाया है और कौन-कौन व्यक्ति हैं जिनकी माली हालत खराब हो गयी है ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, पिछली बार यह प्रश्न पूछा गया था और उसके उत्तर में पूरी सूची दी गयी थी। यदि उस को फिर से बताने को कहें, तो बता दूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी, माली हालत जिसकी खराब है, उन्हें ही बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—जिनसे वसूली नहीं हो सकती, उन्हीं को बता दीजिये।

श्री जयराम वर्मा—अगर आप कहें, तो फिर से पढ़ कर सुना दूं।

श्री ऊदल—माननीय अध्यक्ष महोदय, सूची मन्त्री जी के पास है।

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी का कहना है कि सूची इस संबंध में इस आदरणीय सदन के समक्ष रखी जा चुकी है।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी कितनी रकम बकाया है, जिसके विषय में अभी तक स्टे आर्डर नहीं है ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, यदि यह अलग-अलग किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पूछें, तो बता सकता हूं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ व्यापारी ऐसे हैं, जिनके ऊपर सेल्स-टैक्स का रुपया बाकी है और वह वसूल नहीं हो सकता है। क्या सरकार उन लोगों के खिलाफ़ कोई कार्यवाही कर रही है, या कोई वारन्ट ईश्यू कर रही है या कोई उनकी फोटो आदि सारे हिन्दुस्तान में भेजने की कोशिश कर रही है ताकि वह रकम वसूल हो जाय?

श्री अध्यक्ष—वह अन-रिकवरऐबुल है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे वसूली नहीं की जा सकती है और जिनकी माली हालत खराब है ?

श्री जयराम वर्मा—इसकी अलग से सूची तो नहीं है परन्तु यदि आप कहें, तो सब पढ़ कर सुना सकता हूं।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि हाईकोर्ट में जितने केसेज़ चल रहे हैं, उन सब का फैसला सरकार के पक्ष में हो गया है ? यदि हां, तो सरकार उनके खिलाफ़ क्या कार्यवाही करने की कोशिश कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा—जिनके मामलों का हाईकोर्ट से फैसला हो गया है, उनका स्टे आर्डर खत्म है और उनके खिलाफ़ वसूली की कार्यवाही जारी की जायगी।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कानपुर नगर में लगभग २ करोड़ रुपया सेल्स टैक्स का बकाया है, यदि हां, तो वह हाईकोर्ट का स्टे है या उसकी वसूली नहीं हो सकती ? कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनके ऊपर १ लाख से ज्यादा रुपया सरकार का बकाया है, क्या माननीय मन्त्री जी स्पष्ट करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—कुल तो नहीं बता सकता हूं। एक लाख से ऊपर वालों को बता सकता हूं, उनके ऊपर ६५ लाख के ऊपर बकाया है जिसमें से स्टे कुछ में है।

श्री दयाराम शाक्य—क्या माननीय मन्त्री जी उन व्यक्तियों के नाम बताने की कृपा करेंगे, जिन्हें उन्होंने स्टे आर्डर दिया है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं और उन पर कितना रुपया बाकी है ?

श्री अध्यक्ष—ऐसी सूची नहीं है।

श्री जयराम वर्मा—बकायादारों में तो हजारों हैं इसलिये डिटेल में बताना तो बड़ा मुश्किल है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बकायादार हैं, उनकी नजरों में, उनसे कब तक यह रुपया वसूल कर सकेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, समय निश्चित करना तो बड़ा मुश्किल है। कुछ की किस्तें तय कर दी गयी हैं और लोग किस्तों में दे रहे हैं।

[१२ सितम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

आजमगढ़ नगरपालिका में हरिजन छात्रावास के अनुदान का अपव्यय

*१—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ नगरपालिका के अन्दर कोई हरिजन छात्रावास है जिसे सरकार स्थायीरूप से सहायता देती है? यदि हां, तो कितनी?

समाज कल्याण उपमन्त्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)—जी हां, १९४४ रुपये प्रति वर्ष।

*२—श्री मंगलदेव—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस छात्रावास के हरिजन छात्रों ने व्यवस्थापक के विरुद्ध रुपये के गबन की शिकायतें भेजी हैं? यदि हां, तो क्या शिकायतें हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी हां। समय-समय पर रुपये के अपव्यय तथा दुर्व्यवस्था की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जिनकी जांच की जा रही है। अनुदान अब हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी को दिया जाता है और उन्हीं के द्वारा छात्रावास के लिये व्यय किया जाता है।

श्री मंगलदेव—क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि शिकायतें कब आयीं और उन पर कब से जांच हो रही है और कौन अफसर कर रहे हैं?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—अलग-अलग समय पर ये शिकायतें आयीं। वहां से शिकायतों के ऊपर जांच भी हुई। वह जांच अपूर्ण समझी गयी इसलिये फिर से जांच करने के लिये वहां भेजी गयी हैं।

श्री सुरजन (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि होस्टल को जो सरकार से अनुदान मिलता है उसके अलावा भी और कोई स्रोत है जिससे होस्टल को आमदनी होती है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसकी तो मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि इस सिलसिले में उप-जिला विद्यालय निरीक्षक ने इसकी जांच की थी और फिर वह जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां गयी, जिस पर उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की और उस को दबा कर रख लिया?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जैसा मैंने निवेदन किया, जो रिपोर्ट आयी थी उसको अपूर्ण समझा गया और उसकी जांच फिर से कराने के आदेश दिये गये हैं?

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम शिकायत सरकार के पास कब आयी थी और उसमें क्या-क्या बातें लिखी थीं?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—प्रथम शिकायत १९६०-६१ के मार्च में आयी थी।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन छात्रावास को जो इमदाद दी जाती है वह एकमुश्त दी जाती है या प्रति छात्र के अनुसार दी जाती है?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—प्रति छात्र के अनुसार दी जाती है।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो छात्रावास है उसमें कितने हरिजन बालकों के रहने की व्यवस्था है और उसका प्रबन्धक कौन है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव—इस बात को ध्यान रखते हुये कि जिला विद्यालय निरीक्षक की जांच अपर्याप्त थी, इस सम्बन्ध में श्री सुरजन, श्री छांगुर और श्री मंगलदेव के हस्ताक्षर से एक प्रार्थनापत्र गया है और मांग की गयी है कि उसकी जांच जिलाधीश से करायी जाय और जो कार्यकारिणी भंग हो चुकी है उससे चार्ज नयी कार्यकारिणी को दिया जाय ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुये फिर से जांच करायी जा रही है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—प्रति छात्र को कितनी इमदाद दी जाती है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—यह तो मैं इस समय बता नहीं पाऊंगी। मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

मैटरनिटी सेंटर, कसारा की दाई को वेतन न मिलना

*३—श्री मंगलदेव—क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मातृ शिशु-कल्याण केन्द्र (आजमगढ़) की दाइयों का वेतन नवम्बर, सन् १९५९ का अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री धर्मसिंह—मैटरनिटी सेन्टर, कसारा की एक दाई श्रीमती सुन्दरी को छोड़कर बाकी सब दाइयों को नवम्बर, १९५९ का वेतन दे दिया गया है। श्रीमती सुन्दरी को निम्नलिखित कारणों से उनका नवम्बर, १९५९ का वेतन अब तक नहीं दिया जा सका। श्रीमती सुन्दरी दिनांक १-९-५९ से २७-११-५९ तक मैटरनिटी अवकाश पर रहीं और २८-११-५९ से ३०-११-५९ तक वे उपार्जित अवकाश पर रहीं। उनका मैटरनिटी अवकाश दिनांक २७-४-६० को स्वीकृत हुआ और उपार्जित अवकाश दिनांक १०-१०-६१ को स्वीकृत हुआ। अब इसके भुगतान के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री मंगलदेव—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एक साल पहले जब यह स्वीकार हो गया, तो फिर अब वेतन न दिये जा सकने के क्या कारण हैं ?

श्री धर्मसिंह—एक कारण तो यह था कि उनकी छुट्टी बाद को स्वीकार हुई, कुछ देरी उसमें हो गयी, दूसरे हम इसकी अभी जांच कर रहे हैं कि क्यों देरी हुई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—प्रार्थना-पत्र एक साल पहले दिया गया और एक साल बाद स्वीकार हुआ। तो इसमें जो देरी लगी वह क्यों लगी, क्या इसको माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—इन सब बातों की जानकारी करने के लिये ही जांच हो रही है।

*४—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[हटा दिया गया]

कोआपरेटिव बैंकों से काश्तकारों को ब्याज की कम दर पर कर्ज देने की मांग

*५—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रिजर्व बैंक से रुपया प्राविन्शियल कोआपरेटिव बैंक, लखनऊ को किस ब्याज की दर पर मिलता है और वही रुपया काश्तकार को किस दर पर दिया जाता है ?

न्याय मन्त्री (के) सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह)—रिजर्व बैंक उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक, से लखनऊ को अल्पकालीन ऋण २ प्रतिशत तथा मध्य कालीन ऋण २ १/२ प्रतिशत व्याज की दर से मिलता है।

सहकारी समितियां काश्तकार को ८ ३/४ प्रतिशत पर ऋण देती हैं।

*६—श्री विजयसिंह—क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रविन्शियल कोआपरेटिव बैंक लखनऊ को सरकार ने कितना रुपया उधार किस-किस सूद की दर पर दिया है और कितने का शेयर खरीदे हुए हैं और सरकार को पिछले तीन साल में १ जनवरी, १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९६१ तक कितना लाभांश मिला?

श्री चन्द्रसिंह—सरकार ने दो गृह-निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत दो करोड़ चौबीस लाख तथा इकतालीस लाख साठ हजार रुपया क्रमशः ४ १/२ प्रतिशत व ५ प्रतिशत की दर से बैंक को ३० जून, १९६२ तक दिया है।

इस समय राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लि०, लखनऊ में ३०,००,००० रुपये (तीस लाख रुपये) के शेयर खरीदे हुये हैं।

गत ३ वर्षों का लाभांश निम्नलिखित है:—

वर्ष	लाभांश
	रु०
१९५९–६०	४०,०००
१९६०–६१	४०,०००
१९६१–६२	६०,०००
योग ..	१,४०,०००

*७—श्री विजयसिंह—क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश प्राविन्शियल कोआपरेटिव यूनियन को कितने रुपये की मदद पिछले तीन साल १ जनवरी, १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९६१ तक दी गई?

श्री चन्द्रसिंह—उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ को पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित मदद सरकार द्वारा दी गई—

वर्ष	मदद (रुपयों में)
१९५९–६०	६४,५७,३२४
१९६०–६१	७१,३६,९०० –
१९६१–६२	६५,१८,६७० – १६
योग ..	२,०१,१२,८९४ – १६

श्री विजय सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतलायेंगे कि जब सरकारी कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवान्स और जी० पी० फंड आदि जो दिया जाता है वह ४ परसेंट पर दिया जाता है, और कैपिटलिस्ट को जो सरकार लोन देती है वह भी तीन से पाँच परसेंट तक ब्याज पर देती है, तो गरीब किसानों को पौने ९ परसेन्ट ब्याज पर रुपया क्यों दिया जाता है ?

सहकारिता मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—कोआपरेटिव कोई भी लोन कैपिटलिस्ट को नहीं देती है और न वह आदमियों के हिसाब से कोई ब्याज की दर निश्चित करती है। रिजर्व बैंक से जो रुपया हमको मिलता है वह तो बहुत कम अंश में होता है, बाकी रुपया तो कोआपरेटिव बैंक को अपनी अमानतों पर लेना पड़ता है और उस पर साढ़े चार और साढ़े ५ परसेंट तक ब्याज देना पड़ता है। इसलिये जहाँ एक तरफ रिजर्व बैंक से लेने में कुछ फायदा होता है, वहाँ इस तरफ अमानतों से जो रुपया हम लेते हैं उसमें कुछ घाटा बैठता है। उत्तर प्रदेशीय कोआपरेटिव बैंक पौने ४ फीसदी ब्याज, जिला सहकारी समितियों को देता है और उस को जिला सहकारी समितियाँ अपनी और नीचे की कमेटियों को भिन्न-भिन्न दरों पर रुपया देती हैं।

श्री विजयसिंह—क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि काश्तकारों को भी ३–४ परसेंट पर रुपया मिल सके ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जैसे-जैसे हमारा काम बढ़ता जायेगा और फायदा होता जायेगा हम ब्याज की दर गिराते जायेंगे। यह दर पहले से काफी कम हुई है। उत्तर प्रदेशीय कोआपरेटिव बैंक पहले जिला सहकारी समितियों को चार और साढ़े चार फीसदी ब्याज पर रुपया देती थी, जो अब पौने चार हो गया है। अब हम साढ़े तीन करने जा रहे हैं। यह भी कोशिश कर रहे हैं कि जो साधन सहकारी समितियाँ आदि हैं वे किसानों को ८ फीसदी ब्याज पर रुपया दें। सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि रिजर्व बैंक से जो रुपया मिलता है, उसमें कुछ फायदा होता है और अमानतों से जो रुपया लेते हैं उस में कुछ घाटा होता है, तो क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतलायेंगे कि जो अमानत जमा है, उस पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—अध्यक्ष महोदय, वह तो मैंने बतलाया था साढ़े चार से साढ़े ५ फ़ीसदी तक हमको ब्याज देना पड़ता है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—जब साढ़े ४ या ५ फीसदी का बैंक सूद देती है और रिजर्व बैंक से ढाई फीसदी ब्याज पर रुपया मिलता है तो जब पौने ९ परसेंट पर किसानों को रुपया दिया जाता है, तो घाटा कैसे होता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने तो अर्ज किया कि उत्तर प्रदेशीय बैंक पौने चार फीसदी ब्याज पर रुपया बैंक को देता है और उसको अमानतों पर साढ़े ५ परसेंट देना पड़ता है। तो इस तरह से एक डेढ़ परसेंट तो उस को कम मिलता ही है। जो साधन सहकारी समितियाँ हैं उनको सवा ६ परसेंट पर देते हैं। वह अपने सदस्यों को पौने ९ परसेंट पर देती हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—शहरों में साधारणतः मकान बनाने के लिये किस प्रतिशत पर कोआपरेटिव बैंक कर्जा देती है और वह सरकार से किस प्रतिशत पर प्राप्त करती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह स्कीम अलग है, इसका अलग से प्रश्न होना चाहिये।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रुपया रिजर्व बैंक से ढाई परसेंट पर मिलता है उसको भी क्या किसानों को उस हिसाब से नहीं दिया जा सकता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस तरह से कर्जा नहीं दिया जाता कि वह रेजर्व बैंक का है या अमानत का है। वह तो कोआपरेटिव बैंक का रुपया अपना है और उसको वह अपने हिसाब से देता है और ब्याज की दर तय करता है।

श्री विजयसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव यूनियन का निज का इन्वेस्टमेंट कितना है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी।

अनुसूचित कबीलों की रिपोर्ट

*८—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अनुसूचित कबीलों की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के पास भेजी है और उस पर राय माँगी है?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)— जी हाँ।

*९—श्री भीखालाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार अपनी राय भेजने से पहले उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख कर, उसका मत जानने की कृपा करेगी?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी नहीं। रिपोर्ट में इस प्रदेश के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसलिये उसे सदन में रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कटरा कोआपरेटिव डेरी, इलाहाबाद, ई० आई० रेलवे एम्पलाईज कोआपरेटिव स्टोर, इलाहाबाद तथा डी० ओ० ई०, आजमगढ़ में गबन

*१०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि कटरा कोआपरेटिव डेरी सोसाइटी लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष १९५४–५५ के आडिट नोट में लगभग २५ हजार का गबन जाँच करने पर निकला? यदि हाँ, तो उस गबन के सम्बन्ध में कौन-कौन सी कार्यवाही सरकार ने की?

श्री चन्द्रसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है।

*११—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ई० आई० रेलवे इम्पलाईज कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, इलाहाबाद (N. Rly.) के वर्ष १९५८–५९ के आडिट में लगभग ७ हजार का गबन पकड़ा गया था? यदि हाँ, तो उपरोक्त गबन में अब तक कौन-कौन सी कार्यवाही हुई?

श्री चन्द्रसिंह—सूचना संलग्न सूची १ में दी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२६)

*१२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला आजमगढ़ के D. O. E. में १९५९–६० में Special Audit पार्टी द्वारा लगभग ढाई लाख रुपये का गबन पकड़ा गया था? यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की?

श्री चन्द्रसिंह—सूचना संलग्न सूची २ में दी हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २२७ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १९५४–५५ के आडिट नोट को देखते हुये उसमें गबन हुआ या नहीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उसके जवाब में कुछ शक हुआ कि दुरुपयोग की रकम में गबन की रकम भी शामिल है। उसे साफ़ करने के लिये फिर से सूचना माँगी जा रही है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—आजमगढ़ के नोट में जो ४९,००० रुपये वसूल करना है उसके लिये सरकार ने क्या किया कि वसूल हो जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो वसूल करने के तरीके हैं वे सभी अपनाये जा रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—इस गबन के मामले में कितने व्यक्ति मुअत्तल हैं और कितनों पर केस चलाया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ठीक संख्या नहीं ज्ञात है, लेकिन सी० आई० डी० के सुपुर्द किया था। उसकी रिपोर्ट के अनुसार केस चल रहा है।

श्री ऊदल—जो मुकदमा चल रहा है वह ४९ हजार रुपये का है या २।।। लाख का?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वह मुकदमा खाद के गबन का है।

झांसी जिले में हरिजन कूप अनुदान

*१३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड (छाया) तथा विकास खंड बिरघा, मडावरा, महरौनी जखोराबार और तालबेहट में सन् १९५८ से ६१ तक कितने हरिजन कुओं को (पानी पीने के) प्रति खंड अनुदान दिया गया और उनमें से कितने बन चुके हैं तथा कितने बनना बाकी हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—सूचना संलग्न सूची (अ) पर दी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २२८ पर)

*१४—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिला में सन् १९५७ से सन् ६१ तक कितने हरिजन सम्मेलनों को अनुदान किस व्यक्ति को प्रतिवर्ष अलग-अलग दिया गया ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—यह सूचना भी संलग्न सूची (ब) पर है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २२९-२३० पर)

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ४ वर्षों में ८९ कुओं का अनुदान दिया गया और बने २७ ही। बाकी क्यों नहीं बने ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—वर्षा प्रारम्भ हो गई थी। उसके बाद शीघ्र ही पूरे हो जावेंगे।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या बिरघा ब्लाक में कोई गबन का केस हरिजन कुओं के सम्बन्ध में चल रहा है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसका उत्तर तो मैं इस वक्त नहीं दे पाऊंगी।

श्री गेंदासिंह—जिस वर्षा का जिक्र किया कि उसके कारण कुवें नहीं बने, वह वर्षा इस वर्ष की है या प्रति वर्ष की है ४ वर्षों से ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—मेरा मतलब इसी वर्ष से है।

श्री गेंदासिंह—८९ कुओं में से २७ केवल बनने का कारण इस वर्ष की वर्षा है या हर वर्ष की है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इस वर्ष तो कुवें समाप्ति पर थे और वर्षा शुरू होने से वे रुक गये ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या बिरघा ब्लाक के पाली ग्राम में गबन का केस चल रहा है जिसमें पंचायत इंस्पेक्टर और अन्य कर्मचारी पिछले दो वर्ष से मुअत्तल पड़े हुये हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—सूचना की आवश्यकता है ।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या यह सही है कि बहुत से पुराने कुओं की मरम्मत करके उनकी सूचना नये बनाने की दे दी गई है ?

श्री अध्यक्ष—यह आप अलग से प्रश्न कीजियेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—सन् १९५८–५९ में, ५९–६० में जिन कुवों के लिये अनुदान दिया गया, वे बने थे या नहीं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—यह मैं इस समय नहीं बता पाऊंगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या कुवें न बनने का मुख्य कारण यह है कि अनुदान आम तौर से जून तक जाकर मिलते हैं और देर से रुपया मिलने से बरसात शुरू हो जाती है जिसकी वजह से कुवें नहीं बन पाते ? यदि हाँ, तो क्या सरकारी नियमों में परिवर्तन किया जायगा कि अनुदान ठीक समय से मिल जाय ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—मेरे विचार से कोई कठिनाई नहीं होगी । सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी ।

बुलन्दशहर जिले के कपड़ा व्यापारियों का प्रार्थना-पत्र

*१५—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष १९५६–५७ और १९५७–५८ में कपड़े पर सिंगल प्वाइंट टैक्स था या रनिंगप्वाइंट ?

श्री जयराम वर्मा—इन वर्षों में प्रदेश में हथकरघे पर बने हुये कपड़े से भिन्न अन्य प्रकार के कपड़े पर सिंगिल प्वाइंट टैक्स था ।

*१६—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार को बुलन्दशहर जिले के कपड़े के व्यापारियों की तरफ से हाल ही में ऐसा कोई प्रार्थना–पत्र मिला है जिस में उन्होंने अपनी कुछ कठिनाइयाँ लिखी हैं ? यदि हाँ, तो कब और उनकी कठिनाइयाँ क्या क्या हैं ?

श्री जयराम वर्मा—जी हाँ, बुलन्दशहर जिले के कपड़े के कुछ व्यापारियों की ओर से गत जुलाई में एक प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख था:—

(१) वर्ष १९५६–५७ तथा १९५७–५८ के लिये उन पर अवैध रूप से टैक्स लगाया गया है,

(२) किस्तों में टैक्स अदा करने की जो सुविधा उन्हें पहिले दी गई थी उसका वे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि वे वाँछित रूप में सिक्योरिटी (Security) देने में असमर्थ हैं, और

(३) यदि बकाया टैक्स की वसूली सख्ती से की गई तो वे बरबाद हो जायेंगे ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अवैध टैक्स लगाने की बात सही है या गलत है ?

श्री जयराम वर्मा—यह बात सही नहीं है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—प्रार्थना-पत्र की किन-किन बातों में मंत्री जी को सार दिखलाई देता हैं ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, अपने प्रदेश में जो कपड़ा बनता था उसके सम्बन्ध में निर्माता द्वारा जो बिक्री की जाती थी उस पर बिक्री-कर लगता था, और बाहर के प्रदेशों से आये हुये कपड़े पर आयातकर्ता द्वारा बिक्री पर टैक्स लगता था । इस तरह से दूसरे लोग जो आयातकर्ता या निर्माता से कपड़ा खरीदते थे उनके द्वारा कोई बिक्रीकर नहीं लगता था लेकिन बुलन्दशहर के व्यापारियों ने उस टैक्स से बचने की एक तरकीब की । उन्होंने बाहर से कपड़ा एक ऐसे आदमी के नाम आयात करना शुरू किया जिसकी कोई हैसियत नहीं थी । लेकिन वाकया यह था कि वे लोग स्वयं उस कपड़े को मंगाते थे और वह आदमी फर्जी तौर पर आयातकर्ता बना हुआ था जिससे कि वे सेल्स टैक्स से बच सकें । जब इस चीज का पता चला कि इस प्रकार से षडयंत्र किया जा रहा है तो उन पर टैक्स लगाया गया । इसके विरुद्ध उन्होंने अपील की और गवर्नमेंट तथा बिक्री-कर आयुक्त से उन्होंने यह प्रार्थना की कि जब तक उनकी अपील का फैसला न हो जाय तब तक बिक्रीकर की वसूली मुल्तवी कर दी जाय । इस पर उनकी प्रार्थना इस शर्त के साथ-साथ स्वीकार की गयी कि जितना अमाउन्ट डिसप्यूटेड है उसका २० प्रतिशत वे दे दें और बाकी रुपये के लिये उचित सिक्योरिटी दें, तब ही बकाया कर की वसूली मुल्तवी की जा सकती है । कुछ व्यापारियों ने ऐसा कर दिया और कुछ ने ऐसा नहीं किया । जिन्होंने सिक्यूरिटी नहीं दी है उनके खिलाफ वसूलयाबी की कार्यवाही जारी कर दी गई । ऐसे व्यापारियों ने ही यह प्रार्थना-पत्र दिया है कि उनके पर्सनल बान्ड को ही सिक्योरिटी मान लिया जाय और उस वसूली को स्थगित कर दिया जाय ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब सरकार को यह मालूम था कि इस प्रकार से जालबट्टा करके वे बिक्रीकर को बचाते थे और जबकि कोर्ट से वे स्टे आर्डर भी नहीं लाते थे, तो फिर सरकार ने उसकी वसूली को क्यों स्थगित कर दिया ।

श्री जयराम वर्मा—उन्हीं लोगों की वसूली स्थगित की गई है जिन्होंने २० प्रतिशत डिसप्यूटेड अमाउन्ट का जमा कर दिया है और बाकी के लिये उन्होंने उचित सिक्योरिटी दी है । बाकी से वसूली की कार्यवाही जारी कर दी गई ।

श्री रामायणराय—जिस व्यक्ति के नाम से ये लोग जालबट्टा करते थे उन महाशय का क्या नाम है ? वे यहाँ के हैं अथवा बाहर के हैं ? उनके इस कृत्य का पता सरकार को किस समय लगा ?

श्री जयराम वर्मा—इस बारे में सूचना की आवश्यकता है । कुछ दिनों के बाद ऐसा पता लगा कि इस तरह की गडबड़ी की जा रही है ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस बकाया टैक्स की की धनराशि कितनी है ?

श्री जयराम वर्मा—इसके बारे में सूचना की आवश्यकता है ।

नकली दवाओं की रोक के लिये सुझाव

*१७—श्री ऊदल—क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार करेगी कि जो दवा बनाने वाली कम्पनियाँ नकली दवाइयों को बना तथा बेच रही हैं उसे रोकने के लिये सुझाव हेतु किसी आयोग का गठन किया जाय और नकली दवा बनाने तथा बेचने वालों को कठोर दंड दिया जाये ?

श्री धर्मसिंह—इस प्रदेश में कोई भी लाइसेंसशुदा दवाई बनाने वाला कारखाना आज तक नकली दवाइयां बनाता हुआ नहीं पाया गया है। जो लोग ऐसा जुर्म करते हैं, चोरी से करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी पकड़े गये हैं और उनको दण्ड भी दिया गया है।

*१८—श्री ऊदल—क्या सरकार को पता है कि प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर नकली दवाइयां बिक रही हैं जैसे—कैप्सोल, पपूशाल—इसे रोकने के लिये अब तक सरकार ने क्या किया ?

श्री धर्मसिंह—कैप्सोल और पपूशाल आदि दवाइयों के बारे में कोई भी शिकायत आज तक नहीं आई है। यदि कोई शिकायत मिलेगी तो अवश्य जरूरी कार्यवाही की जायेगी।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि बिहार, कलकत्ता और मध्य प्रदेश की सरकार ने एक-एक ऐसा दस्ता छोड़ रखा है जो बड़े पैमाने पर नकली दवाइयां बनाने वालों और ऐसे कारखानों का पता लगाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपने यहां भी इस तरह का एक दस्ता बनाने पर विचार करेगी ?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जब इस प्रकार की नकली दवाइयां बनने की बात अखबारों में छपी हुई तो मैंने अपने डायरेक्टर और सचिव का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और उनको यह आदेश दिये कि ड्रग कन्ट्रोलर और उनके नीचे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स काम करते हैं, उनको यह आदेश दिये जायं कि वे इस ओर अधिक सचेत रहें और इस बात की जानकारी करते रहें कि कहीं इस तरह की दवायें तो नहीं बन रही हैं। यदि बनती हैं, तो उनकी खोज करें और अगर इस प्रकार के लोग पकड़े जायं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

श्री रामायणराय—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान माननीया केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्राणी के उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने समूचे राज्यों को कुछ जोन्स में बांटने की बात कही है ? क्या राज्य सरकार उस योजना को राज्य में कार्यान्वित करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—स्पष्टतः तो ऐसी कोई योजना नहीं है। अखबारों में इस तरह की चर्चा आयी है कुछ, जिसे मैंने भी पढ़ा है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की तरफ ध्यान देंगे कि बनारस में एक नकली किस्म का कैसून बिक रहा है जो टी०बी० के मर्ज में काम आता है और जब कि असली कैसून का दाम एक पया है, नकली का दाम ४ आने है और वह दूकानों पर १२ आने में बिक रहा है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ताकि व्यापक पैमाने पर उसकी बिक्री रोकी जा सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान जब इस ओर खींचा है तो मैं डाइरेक्टर महोदय और सचिव महोदय का ध्यान इस ओर खींचूंगा और उनसे जांच करने के लिये निवेदन करूंगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—नकली दवाइयों का मसला इसी प्रकार का अक्षम्य अपराध है जैसा कि अक्षम्य अपराध खाद्यों में मिलावट का है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार के अक्षम्य अपराधों की महत्ता को देखते हुये स्वयं या अपनी सरकार के द्वारा इस प्रकार की कोशिश करेंगे या भारत सरकार से इस प्रकार की सिफारिश करेंगे कि ऐसे अक्षम्य अपराध करते हुये जो पाये जायं, उन्हें कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी, काला पानी या पब्लिक कोनिंग की सजा दी जाय, जिसकी मांग, संसद में भी, कांग्रेस पार्टी और विरोध पक्ष के सदस्यों ने की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---बहुत जगहों से तो यह मांग की जा रही है कि कैपिटल पनिशमेंट को बन्द कर दिया जाय और इस सदन में एक प्रस्ताव आया भी है कि जिन-जिन अपराधों के लिये कैपिटल पनिशमेंट है, उसे बन्द कर दिया जाय। यदि इस तरह के अपराध कैपिटल पनिशमेंट के अन्तर्गत माने जाते हैं तो इसके लिये कानून में परिवर्तन करना होगा और यदि सदन या केन्द्रीय सदन कोई भी बात तय करे तो हम भी उस पर विचार कर लेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया है कि कुछ लोग पकड़े गये हैं और कुछ दंड दिया गया है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किन किन अपराधों में कितने लोग पकड़े गये हैं और क्या उनमें दवाइयों में मिश्रण करने के अपराधी भी हैं ?

श्री धर्मसिंह---पूरी सूची नहीं है लेकिन दवाइयों के सम्बन्ध में ही पकड़े गये हैं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि झांसी जिले के ललितपुर में बाहुबली सिद्ध फार्मेसी नाम का एक कारखाना है जो फर्जी दवाइयां बनाता है और जिसके यहां से फर्जी तौर पर बी०के० बर्मन के नाम का ६,००० इंजेक्शन, ६ ड्राम महुआ और २० बोतल महुये की शराब पकड़ी गयी है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। यदि माननीय सदस्य इसकी जानकारी चाहते हैं तो अलग से लिख कर दे दें।

गोरखपुर की स्कूल डिस्पेंसरी में डाक्टर न होना

*१९---**श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय**---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर शहर में जो स्कूल डिस्पेंसरी है उसमें डाक्टर कितने दिनों से नहीं है ?

श्री धर्मसिंह---नवम्बर २१, १९६१ से नहीं है।

*२०---**श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय**---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त डाक्टर को कुम्भ मेले में भेजा गया था उसे आज तक क्यों नहीं वापस किया गया ?

श्री धर्मसिंह---स्कूल डिस्पेंसरी के डाक्टर को कुम्भ मेले में नहीं भेजा गया था किन्तु उसका स्थानान्तरण सार्वजनिक हित में दूसरी जगह किया गया था।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि स्कूल डिस्पेंसरी में कोई डाक्टर २१ नवम्बर, ६१ से नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आज १२ तारीख, सन् ६२ तक कोई डाक्टर वहां भेजा गया या नहीं ?

श्री धर्मसिंह---प्रयत्न तो किया जाता है, लेकिन जब कोई डाक्टर उपलब्ध नहीं होता तो दिक्कत होती है। जहां तक इस डिस्पेंसरी का सम्बन्ध है, कोई डाक्टर उपलब्ध नहीं हो सका, इसलिये वहां नहीं भेजा जा सका है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब किसी डाक्टर को न भेजने की बात थी तो वहां से जो डाक्टर था उसको किन कारणों से हटाया गया ?

श्री धर्मसिंह---हमें देखना होता है कि कहां पर किस तरह की इमरजेंसी है और उसी को देखकर तबादले किये जाते हैं, वह ड्रग्ज के सम्बन्ध में विशेषज्ञ थे इसलिये उन को भेजा गया।

श्री रामायणराय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डाक्टर साहब के अभाव में कौन उनके काम को देखता है ?

श्री धर्मसिंह---म्युनिसिपल हेल्थ आफिसर की देखरेख में वहां के कम्पाउन्डर को ही यह काम सौंपा गया है।

श्री गेंदासिंह---इस स्थान के लिये किस प्रकार के डाक्टर की खोज है कि जो कोई डाक्टर उपलब्ध नहीं हो रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---डाक्टरों की संख्या हमारे यहां बहुत कम है और जो डाक्टर हैं वह बहुत सी हमारी डिस्पेंसरीज में लगे हुये हैं। अब एक डिस्पेंसरी से दूसरी डिस्पेंसरी को डाक्टर भेजे जाते हैं तो वह खाली हो जाती हैं। अब हमारी कोशिश इस बात की है कि किसी तरह से डाक्टरों की संख्या बढ़ाई जाय। दूसरे प्रदेशों से भी हमने कोशिश की कि मिल जायं, लेकिन मेरी दूसरे प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों से भी बात हुई। उनका भी यही कहना है कि हमारे यहां डाक्टरों की कमी है, हमारे यहां करीब २५०-३०० ऐसी जगहें हैं जहां पर डाक्टरों की कमी है और सूबों में भी ४००-५०० डाक्टरों की इसी तरह कमी बताई गई। इस तरह से यह तो सारे देश की समस्या है केवल उत्तर प्रदेश की ही हो, ऐसी बात नहीं है। बहुत गम्भीरता के साथ इस विषय पर विचार हो रहा है और एक समिति विचार कर रही है।

श्री झारखंडेराय---जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया कि डाक्टरों की कमी है, प्रदेश में भी और पूरे देश में। इस सम्बन्ध में एक समाचार की तरफ सरकार का ध्यान गया होगा कि यहां के १,५०० डाक्टर यूरोप और इंग्लैन्ड में काम कर रहे हैं और वह इसलिये यहां नहीं आना चाहते कि सरकार उनको देहातों में भेजेगी। तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी किसी इस तरह की चीज पर विचार करेंगे कि वह उन के नागरिक अधिकार छीनने की सिफारिश करें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---तर्क के रूप में मान भी लिया जाय और प्रदेश की सरकार चेष्टा भी करे, तब भी मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि जो डाक्टर विलायत में काम कर रहे हैं वह देहात में नहीं जायेंगे और शहर में ही बसेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---स्कूल डिस्पेंसरी के डाक्टर का स्थानान्तरण कुम्भ मेले में नहीं बल्कि सार्वजनिक हित में किया गया था और जैसा कि बताया गया कि उन को फ्लड ड्यूटी में लगाया गया था, तो क्या गोरखपुर में जो फ्लेड आया है तो उनको या किसी को, वहां फ्लड की इमरजेंसी ड्यूटी में लगाया गया ?

श्री धर्मसिंह---मैंने तो जौनपुर का नाम लिया कि उनको पिछले साल भेजा गया था।

श्री गेंदासिंह---क्या डाक्टरों की कमी को ध्यान में रखते हुये सरकार अगले वर्ष इसकी व्यवस्था करेगी कि मेरठ और गोरखपुर दोनों जगह मेडिकल कालेज की जरूरत है स पर निश्चय कर लिया जाय कि इन दोनों जगह मेडिकल कालेज खुलेंगे ताकि वहां कमी न रहे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वह तो तभी खुलेंगे जब साधन रहेंगे, अब साधन, विरोधी दल के नेता, जितनी मात्रा में जुटा देंगे उतनी मात्रा में दो जगह ही क्या, हम ३ जगह शायद प्रबंध करेंगे और दूसरे विरोधी दल के नेतागण इस बात का भी कुछ प्रबंध करें कि बजाय सब जगह असर डालने के वह नवयुवकों पर अच्छा असर डालें और इस तरह से देहात के लोगों की सेवा क और इस तरह से वह शायद सूबे की अधिक सेवा कर सकेंगे बजाय इसके कि वह अपनी शक्ति को गलत जगह और गलत रास्ते पर इस्तेमाल करें।

श्री गेंदासिंह---क्या डाक्टरों पर असर डालने की कोई विधि माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे और अगर कोई दूसरा कर हम लोग जुटाने का सुझाव देंगे, तो क्या वह यह दोनों मेडिकल कालेज खुलवायेंगे ? कोई रकम तो वह बतायें ?

श्री अध्यक्ष---यह फिर नया प्रश्न पूछ लीजियेगा।

श्री रामायणराय--जिस उच्च स्तरीय समिति की चर्चा माननीय मुख्य मंत्री ने की थी यह कब बनी है और वह कब तक इस कमी के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--कुछ समय लगेगा क्योंकि यह एक ऐसा मसला नहीं जो कि आसानी से तय हो। यह तो अन्य प्रदेशों से भी बात करके तय करने वाला मसला है और वहां कितने पर्सनल अवेलएबिल हैं और मिल सकते हैं, कुछ अधिक तनख्वाह दे करके भी। तो यह अन्तरप्रदेशीय प्रश्न है और उस पर उस ढंग से विचार करने के लिये कुछ समय की आवश्यकता है, समय लगेगा ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--मंत्री जी बतायेंगे कि जो डाक्टर स्कूल डिस्पेंसरी के हेल्थ अफसर थे जिनका ट्रांसफर हो गया क्या उन्होंने मांग की थी कि हमको शहर में रहना पसन्द नहीं है फलडरिया में जाना चाहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उसी के अनुसार ट्रांसफर किया है ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं, सरकार ने महसूस किया वहां आवश्यकता है इसलिये वहां भेज दिया गया ।

कानपुर में औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा नाम परिवर्तन

*२१--**श्री ऊदल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में कितनी ऐसी औद्योगिक प्रतिष्ठान या फर्में हैं जिन्होंने अपना नाम बदल दिया है या दिवाला निकला दिखा दिया है ? ऐसी कार्यवाही से सरकारी कितने रुपये का आयकर, दानकर, बिक्री कर, आदि शुल्कों का बकाया हो गया है ? इसको पता लगाने तथा वसूल करने के लिये सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री जयराम वर्मा--उपलब्ध सूचना से ज्ञात होता है कि कानपुर नगर को १५ औद्योगिक प्रतिष्ठान या फर्मों ने दिवाला निकलवा दिया है या अपना नाम बदल दिया है। फर्मों की इन कार्यवाहियों से बिक्री-कर की १,४०,४२० रुपये की धनराशि बकाया हो गई है। इन फर्मों का पता लगाने तथा रुपया वसूल करने के लिये वसूली के सार्टिफिकेट जारी किये गये हैं। कुछ मामलों में जायदाद कुर्क की गई है और जब खफीफा (Judge Small Causes Court) में क्लेम दर्ज कराये गये हैं और कुछ मामलों में क्लेम दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है।

जहां तक आयकर, दानकर आदि शुल्कों के संबंधित सूचना का प्रश्न है यह कर केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित होते हैं। अतएव राज्य सरकार इन करों से सम्बन्धित सूचना देने में असमर्थ है ।

श्री ऊदल--मंत्री जी उन १५ फर्मों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा--मेसर्स अग्रवाल वूलन भंडार, कानपुर मेसर्स गोपीनाथ राजाराम, कानपुर, मेसर्स ब्रजनाथ देवीचन्द, कानपुर, मेसर्स मूलचन्द कामताप्रसाद, कानपुर, मेसर्स जगन्नाथ भोलानाथ, कानपुर, मेसर्स भैरों प्रसाद अयोध्या प्रसाद, कानपुर, मेसर्स अशोक कुमार दिलीप कुमार, कानपुर, मेसर्स मोहम्मद सुलेमान ऐंड सन्स, कानपुर, मेसर्स नैशनल इलेक्ट्रिक वर्क्स, कानपुर, मेसर्स बख्शी लेदर वर्क्स, कानपुर, मेसर्स महादेव भोजराज, कानपुर, मेसर्स कानपुर क्लाथ एम्पोरियम, कानपुर, मेसर्स बांके लाल ऐंड सन्स और मेसर्स युधिष्ठिर भान होजरी वर्क्स, कानपुर ।

श्री झारखंडेराय--जिन १५ महानुभावों ने बड़ी आसानी और खूबी के साथ सरकार को धोका दिया और रुपया अदा नहीं किया और दिवालिया अपने को बतला दिया तो सरकार की ओर से कोई ऐसी योजना है कि इन १५ आदमियों को इनाम दिया जाय ?

श्री जयराम वर्मा—इनसे किस तरह से रुपया वसूल हो यह कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने नाम बदल दिये हैं और नयी फर्म्स बना ली हैं उन फर्मों से वसूल करने की कोशिश की जा रही है। जिनकी इनसाल्वेन्सी डिक्लेयर हो गई है उनके खिलाफ क्लेम दर्ज करा दिये गये हैं और जिनके इनसालवेन्सी के प्रार्थना-पत्र पड़े हुये हैं उनके सम्बन्ध में भी कुछ के तो क्लेम दर्ज कर दिये गये हैं और कुछ के क्लेम दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव—जिन फर्मों ने इस प्रकार से धोखा दिया है नाम बदल कर, उनसे उनकी बकाया रकम वसूल करने के अलावा सरकार ने उन पर क्रिमिनल केस क्यों नहीं चलाया ?

श्री जयराम वर्मा—अभी तो वसूली की कार्यवाही हो रही है।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—अगर उनसे वसूली की कार्यवाही न हो सकी तो सरकार उन पर कोई क्रिमिनल केस चलाने का विचार कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा—जब वह स्थिति आयेगी कि वसूली नहीं हो सकती तब विचार किया जायगा कि क्या कार्यवाही हो सकती है।

श्री ऊदल—कितनी फर्म्स का पता चल गया है जिन्होंने अपने नाम बदल दिये हैं और कितनों का अभी पता लगाना बाकी है ?

श्री जयराम वर्मा—नाम तो तीन फर्म्स ने बदल दिये हैं और तीन इंसालवेंट डिक्लेयर हो गयी हैं और ९ के दिवालिया घोषित किये जाने के प्रार्थना-पत्र अभी अदालत में विचाराधीन हैं।

ग्राम सभाओं तथा न्याय पंचायतों का आडिट

*२२—**श्री छांगुर**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं तथा न्याय पंचायतों के हिसाब-किताब का आडिट वर्ष प्रति वर्ष हो रहा है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं तथा न्याय पंचायतों के हिसाब-किताब का आडिट प्रति वर्ष नहीं हो पा रहा है। कारण यह है कि जितने पंचायत सम्प्रेक्षक इस समय उपलब्ध हैं उतने समस्त ग्राम सभाओं और न्याय पंचायतों का लेखा हर साल आडिट करने के लिये पर्याप्त नहीं है ?

गोंडा जिले के स्टाम्प विक्रेता

*२३—**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में स्टाम्प, टिकट, वाटर मार्क कागज, लाइसेंसदारों को बिक्री के हेतु दिया जाता है और उनको प्रत्येक पर कितना कमीशन दिया जाता है और कुल कितने लाइसेंसदार हैं और प्रत्येक वर्ष कितना रुपया लाइसेंस फीस प्रत्येक लाइसेंसदार देते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, स्टाम्प विक्रेताओं को स्टाम्प (मुद्रांकित व न्याय शुल्क) तथा वाटरमार्क कागज उनको खजाने में मूल्य जमा करने पर बिक्री के हेतु दिया जाता है। जिला गोंडा में स्टाम्प विक्रेताओं की संख्या ८७ है। उनसे कोई लाइसेंस फीस नहीं ली जाती है। जो कमीशन उन्हें दिया जाता है वह संलग्न सूची में दर्ज है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २३१ पर)

*२४—**श्री गंगाप्रसाद**—क्या सरकार को ज्ञात है कि लाइसेन्सदार १।) (एक रुपया चार आना) टिकट का मूल्य निर्धारित है और छपा भी है परन्तु लाइसेन्सदार सवा रुपये के स्थान पर एक आना ज्यादा वसूल करते हैं ? यदि जवाब हां में है, तो सरकार ने उपरोक्त लाइसेन्सदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

नोट—तारांकित प्रश्न २१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, इस प्रकार की कोई आम शिकायत अभी तक किसी स्टाम्प बिक्रेता के विरुद्ध नहीं मिली है। केवल एक शिकायत श्री रामचन्द्र, स्टाम्प बिक्रेता (दीवानी कचहरी) के विरुद्ध माननीय प्रश्नकर्त्ता की दिनांक ११ जुलाई, १९६२ को प्राप्त हुई है जिस पर जिला अधिकारी उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

*२५—**श्री गंगाप्रसाद**—क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक ११ जुलाई, १९६२ ई० को श्रीमान्, ट्रेजरी अधिकारी गोंडा के यहां प्रश्नकर्त्ता ने लाइसेन्सदारों के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र दिया है? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र में क्या शिकायतें लिखी हैं और उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, माननीय प्रश्न कर्त्ता ने दिनांक ११ जुलाई, १९६२ को एक शिकायती पत्र रामचन्द्र स्टाम्प बिक्रेता के विरुद्ध ट्रेजरी आफिसर, गोंडा को दिया था जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि उक्त रामचन्द्र ने उनसे एक रुपया पांच आना कीमत स्टाम्प मांगी थी जब कि स्टाम्प की कीमत केवल एक रुपया चार आना थी।

उपरोक्त शिकायती पत्र पर जिला अधिकारियों ने उचित कार्यवाही शुरू की और राम चन्द्र स्टाम्प बिक्रेता का जवाब भी तलब किया। जब कि मामला विचाराधीन ही था कि माननीय प्रश्न कर्त्ता ने अपने पत्र दिनांक २-९-१९६२ द्वारा जिला अधिकारियों से यह सिफ रिश की कि राम चन्द्र को क्षमा कर दिया जाय। यह मामला अब राजस्व परिषद् (बोर्ड आफ रेवेन्यू) के पास जिलाधीश ने उचित आज्ञा के लिये भेज दिया है।

*२६-२७—**श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा** (जिला सीतापुर)—[२६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*२८—**श्री चिरंजीलाल जाटव** (जिला एटा)—[हटा दिया गया।]

बिक्री-कर का बकाया

*२९—**श्री यादवेन्द्रदत्त** (जिला जौनपुर), **श्री शिवेन्द्रप्रताप** तथा **श्री कृष्णपाल सिंह** (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में सन् १९६०-६१, १९६१-६२ में इस समय तक कहां-कहां पर कितना-कितना सेल्स टैक्स बाकी है और कहां-कहां कितने लोगों पर इसकी वसूली स्थगित कर दी गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१९६०-६१ तथा १९६१-६२ में प्रदेश में बिक्री-कर की बकाया धनराशि की स्थिति संलग्न सूची में दी गई है। जहां तक अलग-अलग व्यक्तियों की वसूली स्थगित कर दिये जाने का प्रश्न है, इस प्रकार की विस्तृत सूचना को एकत्रित करने में जो धन, समय तथा श्रम लगेगा, वह उक्त सूचना से प्राप्त होने वाले लाभ से कहीं अधिक होगा।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २३२-२३३ पर)

*३०—**श्री काशीनाथ** (जिला बलिया)—[१९ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

सहकारी समितियों की पूंजी तथा लखनऊ सहकारिता दुग्ध संघ के विरुद्ध शिकायतें

*३१—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा जो ९ करोड़ का धन जमा हुआ है उसमें कितना हिस्से का है और कितना धन अमानत का है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उत्तर प्रदेश की सहकारी समितियों ने ९८८.५३ लाख रुपया जमा किया, जिसमें २६५.०५ लाख रुपया हिस्से का तथा ७२३.४८ लाख अमानत का था।

*३२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बतायेगी कि मार्च सन् १९६२ से अब तक लखनऊ सहकारी दुग्धसंघ के सम्बन्ध में नागरिकों द्वारा सहकारिता मन्त्री के नाम भेजी गई कितनी शिकायतें मिलीं, वह क्या थीं तथा इन शिकायतों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मार्च, १९६२ से अब तक सहकारिता मन्त्री के पास लखनऊ दुग्ध संघ के विरुद्ध १२ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से ५ शिकायतें नगर के कुछ मुहल्लों में दुग्ध वितरण केन्द्रों के बन्द होने और मक्खन की टिकिया के तौल में कम होने के सम्बन्ध में थी। प्राप्त सूचना के अनुसार इन मुहल्लों में दुग्ध वितरण केन्द्रों के अलाभकर सिद्ध होने के कारण ये बन्द कर दिये गये। यह भी बताया जाता है कि मक्खन की टिकिया का वजन भी ठीक है।

६ शिकायतें दूध के निम्नस्तर के होने, मक्खन में मिलावट होने तथा मक्खन में वजन की कमी होने के सम्बन्ध में थीं। ज्ञात हुआ है कि संघ के दूध तथा मक्खन के लिये गये नमूनों में से एक भी निम्न स्तर का नहीं पाया गया।

एक शिकायत अध्यक्ष, डेरी वर्कर्स यूनियन, लखनऊ से प्राप्त हुई है। यह संघ द्वारा कुछ छांटे गये कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्थायी संराधन समिति के निर्णय को न मानने से सम्बन्धित है। इसके विषय में आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३३—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—[२६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*३४—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा) तथा श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—[हटा दिया गया।]

*३५—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री भानुप्रतापसिंह—[१९ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*३६—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री भानुप्रतापसिंह—[हटा दिया गया।]

कानपुर की औद्योगिक संस्थाओं पर कर बकाया

*३७—श्री कृष्णानन्द राय—क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के औद्योगिक संस्थानों पर कुल मिलाकर आय-कर और बिक्री-कर की कितनी धनराशि बकाया पड़ गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कानपुर के औद्योगिक संस्थानों पर बिक्री-कर की ६५,६०,०५८ की धनराशि अवशेष है। जहां तक आय-कर की अवशेष धनराशि का प्रश्न है, राज्य सरकार, सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू से पत्र व्यवहार और वांछित सूचना उपलब्ध करने का प्रयत्न कर रही है।

छाता क्षेत्र में चेचक की रोकथाम

*३८—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चेचक की बीमारी का प्रकोप किन-किन जिलों में तेजी से रहा ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उत्तर प्रदेश में इस वर्ष चेचक का प्रकोप केवल आजमगढ़ और झांसी जिले में रहा है।

*३९—श्री लखीसिंह—क्या यह सत्य है कि मथुरा जिले में उक्त बीमारी के कारण जन-साधारण में क्षोभ है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी नहीं।

*४०—**श्री लखीसिंह**—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बीमारी से मथुरा, जिला के छाता क्षेत्र में कितने बच्चों की विभागीय शिथिलता से मृत्युयें हुयीं और सरकार ने इस बीमारी को रोकने के हेतु क्या-क्या कदम उठाये ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मथुरा जिले के छाता क्षेत्र में चेचक की बीमारी से केवल १ मृत्यु की सूचना मिली।

इस वर्ष छाता क्षेत्र में २,२२७ चेचक निवारक टीके बीमारी की रोक-थाम के लिये लगाये गये।

विभागीय शिथिलता का कोई प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया तथा गोरखपुर जिले के लिये चेचक उन्मूलन योजना

*४१—**श्री कृष्णा** (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चेचक उन्मूलन स्कीम, देवरिया और गोरखपुर जिले में जारी करने का विचार कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां, परन्तु इस वर्ष नहीं।

*४२—**श्री कृष्णा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया व गोरखपुर जिलों में इस वर्ष कितने आदमियों के चेचक निकली और उनमें से कितनों की मौत हो गई ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—देवरिया व गोरखपुर जिले में इस वर्ष निम्न संख्या में चेचक के बीमारों तथा मृतकों की सूचना प्राप्त हुई है :

	बीमार	मृतक
देवरिया	११५	३२
गोरखपुर	१८	४

*४३-४४—**श्री चन्द्रपाल** (जिला बस्ती)—[२४ सितम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न ३३ -३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

सहायक विकास अधिकारियों (महिला) को भत्ता न मिलने की शिकायत

*४५—**श्री विजय पालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर) तथा **श्री ऊदल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के ब्लाकों में कार्य करने वाली समाज कल्याण ए० डी० ओज० को जनवरी, लगायत जुलाई, १९६२ तक डी० ए०, टी० ए० नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या डी० ए०, टी० ए० को सरकार उनकी तनख्वाह के साथ एक फिक्स रकम बिला डी० ए०, टी० ए० का कागज बनाये देने पर विचार कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सहायक विकास अधिकारियों (महिला) को जनवरी से जुलाई, १९६२ तक दैनिक तथा यात्रा भत्ता न दिये जाने की कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

सहायक विकास अधिकारियों (महिला) को उनके वेतन के साथ निर्धारित दैनिक तथा यात्रा भत्ते देने का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*४६—**श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल**—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि जिस तरह से और प्रदेशों में ट्रेनिंग में जाने वाली ए० डी० ओज० महिलाओं को तनख्वाहों के अलावा ७५ रु० स्टाइपेंड दी जाती है, यहां भी देने का विचार कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी नहीं।

*४७—श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल—क्या सरकार को पता है कि ए० डी० ओज० महिलाओं को जो चपरासी दिये जाते हैं उन्हें बी० डी० ओज० उनके साथ कार्य करने में गड़बड़ी पैदा करते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें ए० डी० ओज० महिला के अन्डर में करने पर विचार कर रही है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—ए० डी० ओज० (महिला) को दौरे में सहायता करने के लिये ब्लाक के स्टाफ से एक चपरासी दिया जाता है। बाकी समय में उससे अन्य कार्य लिये जाने में कोई अनुचित्य नहीं जान पड़ता। ए० डी० ओ० (महिला) के भ्रमण तथा अन्य शासकीय कार्यों में सहायता के समय चपरासी के काम में बी० डी० ओ० द्वारा बाधा पड़ने की कोई शिकायत शासन के पास नहीं आई है। अतः उसे ए० डी० ओ० (महिला) के अधीन रखने पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

रायबरेली जिले में चेचक

*४८—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली, क्षेत्र रायबरेली दक्षिण में गत ग्रीष्म ऋतु में भयानक चेचक का प्रकोप हुआ था? यदि हां, तो उसमें कितने बच्चों की जानें गईं तथा सरकार ने उसको रोकने के लिये क्या-क्या उपाय किया?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी नहीं।

फर्रुखाबाद के बिक्री-कर अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

*४९—श्री दयाराम शाक्य—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के वर्तमान सेल्स टैक्स आफिसर, श्री पी० एस० गुप्ता के भ्रष्टाचार तथा अनैतिकता के विरुद्ध सरकार तथा सम्बन्धित अधिकारियों के पास अनेकों प्रार्थना-पत्र दिये गये, स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार छपे, हैंड बिल्स बंटे, इसकी जानकारी है? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी—फर्रुखाबाद के बिक्री-कर अधिकारी के विरुद्ध कुछ शिकायतें अवश्य प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की जा रही है यह बताना जनहित में न होगा।

*५०—श्री हरिगैनराम—[२६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

१–३—श्री मतोलासिंह—[२६ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

४–५—श्री ऊदल—[२६ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले के रुद्रपुर क्षेत्र में हरिजन बस्तियों का निर्माण

६—श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—क्या हरिजन कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के रुद्रपुर क्षेत्र में रुद्रपुर तथा विनोबा नगर में हरिजन बस्तियों का निर्माण हो रहा है? यदि हां, तो वह निर्माण कार्य कब से जारी है तथा कब तक सम्पन्न हो जावेगा? निर्माण कार्य में देरी होने का क्या कारण है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—देवरिया जिले के रुद्रपुर क्षेत्र में टोला मझवा तथा विनोबापुरी में भवन निर्माण का कार्य हो रहा है। निर्माण कार्य मार्च, १९६० में प्रारम्भ हुआ था तथा निकट भविष्य में पूर्ण होने की आशा है। विलम्ब का कारण भवन निर्माण के लिये आवश्यक सामग्री का समय से सुलभ न होना तथा अनुदान ग्रहीता को भवन निर्माण में २५० रु० नियमानुसार अपने पास से नकद, सामान अथवा श्रम के रूप में न लगाना है।

७-८—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—[२६ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

फतेहपुर ट्रेजरी रूम की खराब हालत

९—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर के फतेहपुर ट्रेजरी के रेकार्ड रूम में पानी बरसने के समय छत से पानी आ रहा है जिससे बहुत से कागजात जिनमें परमानेन्ट रेकार्ड भी शामिल हैं, बरबाद हो रहे हैं तथ लिपिकों को बैठने के लिये पर्याप्त व उचित व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो पानी को रोकने तथा अन्य आवश्यक प्रबन्ध हेतु सरकार तत्काल क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

श्री जयराम वर्मा—जी हां। फतेहपुर ट्रेजरी के रेकार्ड रूम तथा कार्यालय के रोशनदान (स्काई लाइट) का शीशा टूट जाने के कारण पानी आता था, जिसको निकाल कर के नये शीशे लगा दिये गये हैं तथा छत की मरम्मत करा दी गई है। बरसात के पानी से किसी भी परमानेन्ट रेकार्ड तथा अन्य कागजात को कोई क्षति नहीं पहुंची है। उपर्युक्त मरम्मत हो जाने के बाद लिपिकों के बैठने की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है।

१०-११—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[२६ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

बांसी क्षेत्र में फाइलेरिया

१२—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—क्या सरकार को यह मालूम है कि बांसी, जिला बस्ती तथा उसके निकट का क्षेत्र हर वर्ष राप्ती नदी से डूब जाता है और शुद्ध जल पीने को मिलना बहुत कठिन हो जाता है, जिसके कारण लोग अक्सर फाइलेरिया वगैरह से बीमार रहते हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां। प्रत्येक वर्ष बाढ़ से इस क्षेत्र के कूपों का जल अशुद्ध हो जाता है। परन्तु बाढ़ के पश्चात जल, कूपों का जल औषधियों द्वारा कीटाणु रहित और शुद्ध किया जाता है। इस कारण कोई भी बीमारी संक्रामक रूप से गत कई वर्षों से उस क्षेत्र में बाढ़ के बाद नहीं हुई है।

फाईलेरिया की बीमारी एक प्रकार के मच्छरों से होती है जिसकी रोक-थाम के लिये बांसी तथा बस्ती नगर में एक यूनिट १९५८ से कार्य कर रही है।

उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ के सम्बन्ध में सूचना की मांग

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक जानकारी करना चाहता हूं कि दिल्ली से वह लौट आये हैं और लैण्ड टैक्स बिल आपके ऐजेंडे में है। उस दिन आपने बतलाया था कि बड़े हाई लेविल पर विचार हो रहा है। तो अब सरकार का इसके बारे में क्या इरादा है, अगर माननीय मुख्य मंत्री इस पर प्रकाश डालें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं कुछ कार्य पहले कर लूं, तब आप पूछ लीजियेगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—आपके सामने जो डंडा लगा हुआ है अध्यक्ष महोदय, आप कृपा करके उसे निकलवा दें ताकि इधर भी आपकी निगाह पड़े।

श्री अध्यक्ष—आप इतने दुबले नहीं हैं कि इसकी वजह से दिखाई न पड़ें।

कतिपय विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास तीन विशेषाधिकार की सूचनायें आई हैं । विषय तो करीब करीब एक ही है । एक माननीय नरसिंह नारायण का, एक चन्द्रजीत जी का और एक रामायण राय का है । इन तीनों का नोटिस मुझे दे दिया गया है और सब को भी नोटिस मिल गया होगा ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—मैंने माननीय गृह मंत्री जी को नोटिस दे दिया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—मैंने भी नोटिस दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष—माननीय गृह मंत्री इस बारे में कुछ कहेंगे ?

गृह उपमन्त्री (श्री नवलकिशोर)—मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—पढ़कर सुना दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—मैं पढ़ कर सुना दूंगा । आप घबड़ाते क्यों हैं ।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अभी रामायणराय जी का एक कागज मिला था । मैंने उसे होम सेक्रेटरी के पास भेजा है ।

श्री अध्यक्ष—जो सूचनायें आई हैं उन्हें सदन के समक्ष पढ़ कर सुना देता हूं और माननीय गृह मंत्री कल इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दे सकेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जानकारी प्राप्त करके वक्तव्य अवश्य देने की चेष्टा करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—श्री नरसिंहनारायण जी का प्रिविलेज का मोशन इस प्रकार से है :—

"मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से विशेषाधिकार अवहेलना का एक प्रश्न माननीय गृह मंत्री, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, सीनियर सुपरिंटेंडेन्ट पुलिस (शहर) तथा जिलाधीश, लखनऊ के विरुद्ध उठाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि ऐसा करने की आज्ञा अध्यक्ष महोदय प्रदान करने की कृपा करेंगे ।

"विधान सभा तथा उसके समिति और सदस्यों के विशेषाधिकार वे ही हैं जो ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स के अथवा उसकी समिति व सदस्यों के हैं । अनुच्छेद १९४ (३) भारतीय संविधान ।

"सदन के नियमों की अवहेलना उसके विशेषाधिकार की अवहेलना है । इस प्रकार तारीख १०-९-६२ ई० को मैं तथा श्री रामायण राय, सदस्य, विधान सभा जब दोपहर में अवकाश के बाद सदन की सेवा में भाग लेने हेतु आ रहे थे तो विधान सभा के प्रवेश द्वार पर ताला पड़ा हुआ था और वहां सशस्त्र तथा लाठी धारी पुलिस अन्दर पहरा दे रहे थे । मैंने तथा रामायण राय ने बार-बार उन पहरे वालों से आग्रह किया कि हम सदन के सदस्य हैं और हमें दो बजे से सदन की सेवा में भाग लेना है अतः ताला खोल दें, जिससे हम अन्दर जा सकें । परन्तु पहरे वालों ने कहा कि हमें पुलिस कप्तान (शहर) का आदेश है, अतः हम दरवाजा नहीं खोल सकते । हम लोगों के बार-बार कहने पर कि आपके इस कार्य से हम सदन की सेवा से विमुक्त हो जायेंगे और ऐसा आपका कार्य तथा आपके पुलिस कप्तान का कार्य उचित नहीं है परन्तु वे एक न सुने और कहने लगे कि आप "लाट साहब" क्यों न हों हम अन्दर नहीं जाने देंगे । इतनी बातचीत हो ही रही थी कि माननीय श्री शारदा भक्त सिंह जी, सदस्य विधान सभा, अन्दर दिखायी दिये तथा उनको मैंने बुलाया और उनसे कहा कि ये सिपाही हम लोगों को अन्दर नहीं आने दे रहे हैं और न दरवाजा खोल रहे हैं, आप किसी प्रकार अध्यक्ष जी से या उपाध्यक्ष जी से इसकी सूचना दे देवें । वे अन्दर गये और अन्दर से किसी कर्मचारी को ले आये जिसके बाद गेट

खुला और हम प्रथम बाहरी गेट से अन्दर आये। उसके बाद भवन के अन्दर घुसने वाले गेट के पास हम लोगों ने देखा कि दो कतारों में पचासों की संख्या में लाठीधारी पुलिस एक दूसरे की लाठियों को पकड़े हुये, मेन दरवाजे (Main Gate) को घेरे हैं तथा उस स्थान पर पुलिस कप्तान, शहर, जिलाधीश, लखनऊ, पुलिस कोतवाल, कैसरबाग थाना, लखनऊ, इंसपेक्टर जनरल पुलिस, लखनऊ आदि दर्जनों अफसर खड़े हैं। हम सदस्यों ने यह कहा कि आप लोगों के इस प्रकार घेरा डालने से हम अन्दर सदन की सेवा में भाग लेने कैसे जा पायेंगे। उन लोगों में से एक ने कहा कि यह पुलिस मन्त्री का हुक्म है और हम लोग उसी आदेश का पालन कर रहे हैं। अन्त में मैंने तथा रामायण राय ने उस घेरे को तोड़ कर अन्दर भवन में प्रवेश किया और उसी दिन विधान सभा में इस विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना, पीठासीन, उपाध्यक्ष महोदय को दी।

'इस प्रकार से हम माननीय सदस्यों को गृह मन्त्री के आदेश से इंसपेक्टर जनरल, पुलिस, सीनियर सुपरिन्टेंडेंट, पुलिस (शहर), लखनऊ, जिलाधीश, लखनऊ ने आधे घंटे से अधिक बाहर रोका और अवमान किया।' अतः इस प्रकार का कार्य कर उन्होंने सदन व नियमों की अवहेलना की। इसी समय विभिन्न पत्रों के संवाददाता भी दरवाजों पर मौजूद होकर समस्त घटना देख रहे थे, और भी विधान सभा के सदस्य मौजूद थे, जिनको हम लोग विशेषाधिकार के समक्ष पेश कर सकते हैं।"

दूसरा माननीय चन्द्रजीत यादव जी का है।

"गत एक सप्ताह से सदन के परिसर (Precincts of the House) के अन्दर पी० ए० सी०, सिविल पुलिस और गुप्तचर विभाग के लोग बहुत बड़ी संख्या में नियुक्त हैं। यहां तक कि सभा कक्ष को जाने वाले मार्गों पर भी उनकी संख्या बहुत बढ़ा दी गयी है जो माननीय सदस्यों को अन्दर जाने में अवरोध उपस्थित करते हैं। गत १० तारीख को तो स्थिति यह हो गयी थी कि मुख्य द्वार पर ताला डाल दिया गया, सदस्यों को भी घुसने से रोक दिया गया। भवन के मुख्य द्वार पर दर्जनों सिपाही लाठी में लाठी जोड़ कर खड़े हो गये और अवरोध उपस्थित करने लगे। मैं जब अपनी पार्टी द्वारा जोल-कर विधेयक के विरुद्ध किये गये शांतिपूर्ण प्रदर्शन के पश्चात् सदन में आ रहा था तो मेरे पीछे-पीछे दो गुप्तचर विभाग के लोग लग गये और बार-बार मुझ से वह प्रपत्रक मांग रहे थे जो मेरी पार्टी द्वारा सरकार को दिया जाने वाला था। मेरे यह कहने पर भी कि वह प्रपत्रक मुख्य मन्त्री जी को देना है न कि गुप्तचर विभाग को, फिर भी वह मेरा पीछा करते हुये सभा कक्ष की दीर्घा तक चले आये और मेरे कामों में अवरोध उपस्थित करते रहे।

"उपरोक्त स्थिति से न केवल मेरे बल्कि अन्य बहुत से माननीय सदस्यों के कार्यों में व्यवधान उपस्थित हुआ है और सदन, पी० ए० सी० पुलिस और गुप्तचर विभाग का एक विशाल कैम्प बन गया है जो सदन का अवमान है।

"अतः मैं माननीय गृह मन्त्री एवं लखनऊ के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी जो इस स्थिति के लिये उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित करता हूं। माननीय रामायण राय जी का यह है कि मैं अध्यक्ष की आज्ञा से विशेषाधिकार की अवहेलना का एक प्रश्न गृह मन्त्री के विरुद्ध उठाना चाहता हूं।

"दिनांक १०-९-६२ को २ बजे दिन में जब मैं सदन में उपस्थित होने, भाग लेने आ रहा था, दाहिने वाला गेट बन्द था तथा वहां भीतर कुछ पी० ए० सी० के सिपाही मौजूद थे और दरवाजा बन्द था। अतः मुझे रुक जाना पड़ा। इतने में कुछ और भी सदस्य आ गये जो लगभग सभी दलों से सम्बन्धित थे। मेरे पूछने पर सिपाहियों ने बताया कि किसी के आदेश से जिनका नाम उन्होंने बताने से इंकार किया, ऐसा किया है। लगभग दस मिनट तक मुझे कड़ी धूप में द्वार खुलने की प्रतीक्षा करनी पड़ी। पुनः भीतर से आते हुये एक सदस्य से मैंने

[श्री अध्यक्ष]

आग्रह किया तथा उन्होंने मुख्य द्वार पर आकर जब कहा तो फाटक खुला। इस प्रकार सदन में उपस्थित होने के मेरे अधिकार का अपहरण गृह विभाग द्वारा किया गया है। वे पुलिस अधिकारी थे। मुख्य द्वार भी लाठी द्वारा रोक रखा गया था।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार के प्रश्न को उपस्थित करके मुझे इतना कष्ट हो रहा है कि इसको उपस्थित करके मैं आप से.....

श्री अध्यक्ष—यह तो आप कल कह दीजिये। जब वक्तव्य होगा उस समय कह दीजिये। फैक्ट्स इसमें आ गये हैं। जो कुछ होगा वह कल होगा, आज नहीं।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि कल वक्तव्य होगा और इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन मैं स्थिति जानना चाहता हूं कि कल से पुलिस ने धींगा-धींगी मचा रखी है। आपने उसमें क्या व्यवस्था कर दी है जिससे पुलिस तथा सी० आई० डी० के लोग परिशर से हट जांय उसके लिये तो अपना वक्तव्य देंगे, वह तो आगे की बात है। हम यह जानना चाहते हैं कि इस समय आपने उनको हटा दिया या नहीं?

श्री अध्यक्ष—आज के सम्बन्ध में मेरे पास कोई शिकायत नहीं आयी है।

श्री उग्रसेन—कल ही से यह चल रहा है। आप को नहीं रोकते होंगे, लेकिन साधारण सदस्य की हैसियत से अगर आप भी आयेंगे तो आपको भी रोकेंगे।

श्री अध्यक्ष—मुझे नहीं मालूम।

श्री उग्रसेन—आप मेरे साथ चलें तो मैं दिखा दूं। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास एक सूचना माननीय जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव और दलजीतसिंह जी की आई है। मैंने उसे स्वीकार किया है। वह व्यक्तिगत प्रश्न है, उसमें लोक महत्व का कोई प्रश्न नहीं उठता।

दूसरा नियम ५२ के अन्तर्गत बहुत लम्बा-सा माननीय लखपतराम शर्मा जी का है। वह समय के अन्दर नहीं आया इससे मैंने उसे स्वीकार नहीं किया।

आडिट रिपोर्ट पर चर्चार्थ नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५३ के अन्तर्गत माननीय दीपनारायण सिंह, माननीय रघुवीर सहाय और माननीय मैनेजर की हस्ताक्षरित मेरे पास सूचना आयी है। इसमें जो विषय उठाया है आपने, वह आडिट रिपोर्ट के आधार पर है। आडिट रिपोर्ट इस समय भी एकाउंट्स कमेटी के विचाराधीन है। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी इस सदन की बनायी हुई है, वह सदन की समिति है और सदन की समिति होने के नाते, सदन की ओर से उसके ऊपर विचार करेगी और विचार करके जो इस सम्बन्ध में रिपोर्ट होगी, वह सदन के समक्ष आयेगी। सदन के समक्ष जब वह रिपोर्ट आयेगी तब हम सरकार से इस सम्बन्ध में वक्तव्य लेंगे—उस समय आप को मौका होगा, उस पर चर्चा करने का। चूंकि यह विषय सदन की समिति के सुपुर्द है, तो समझना यह चाहिये कि आपकी ही समिति आप की तरफ से इसकी जांच कर रही है। अतः नियम ५३ के अन्तर्गत उस पर विचार नहीं हो सकता।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो विषय उठाया है वह इस दृष्टि से कि दैनिक अखबारों में यह खबर छपी है कि सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा करोड़ों रुपये का अपव्यय किया गया, गबन किया गया और सदन के समक्ष कर विधेयक अनेकों प्रकार के आ रहे हैं। परसों यहां २०–२५ हजार आदमी जमा हुये थे और उन्होंने प्रदर्शन किया था। इसलिये कहा कि सबके दिमाग में आम परेशानी हो गयी है, हमारा पैसा सरकार अपव्यय कर रही है, गबन कर रही है। हमारे धन का दुरुपयोग कर रही है।

श्री अध्यक्ष—फिर आपकी बहस क्या है?

श्री दीपनारायणसिंह—इस प्रकार की जो आम धारणा, गुस्सा, रोष पैदा है, उस का निराकरण करने के लिये कोई वक्तव्य इस प्रकार का माननीय मुख्य मन्त्री की ओर से आना चाहिये, कि जो अपराधी अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और जनता का जो रुपया गबन किया गया है, उसको वसूल किया जायगा। मैं इतना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—(श्री रामकिशोर त्रिपाठी के खड़े होने पर) देखिये रामकिशोर जी, अगर आप इसी विषय पर कहना चाहते हैं तो फैसला मैंने दे दिया है, कृपा करके नियम २३० और २३१ अध्ययन करें, तो आप देखेंगे कि पी० ए० सी० को बड़ा अधिकार है। फिर आपको थोड़ा और विश्वास रखना चाहिये। उसके चेयरमैन और कोई नहीं हैं, माननीय डाक्टर जेड० ए० अहमद हैं। तो आशा है कि पूरी रिपोर्ट आ जायगी। इसलिये मैं समझता हूं कि नियम ५२ के अन्तर्गत इस समय विवाद की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

विधान भवन के सिंह द्वार पर विधान सभा के एक अधिकारी को नियुक्त करने की मांग

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आये दिन हम माननीय सदस्यों के सामने एक कठिनाई प्रस्तुत होती है। हम जब सदन में आते हैं तो आम तौर से गेट पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। हर समय वहां यह पूछना कि आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है या नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि यह व्यवस्था कुछ दोषपूर्ण है। हम आपसे यह आग्रह करना चाहते हैं कि आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दें, कि कोई ऐसा अधिकारी नियत कर दें, जो सदन के माननीय सदस्यों को पहचान सके और उन्हें सदन में आनेकी अनुमति दे सके। मान्यवर, उस दिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैं उस सम्बन्ध में इस समय कुछ विशेष नहीं कहना चाहता, इत्तफाक की बात थी कि मेरे पास उस समय आइडेंटिटी कार्ड था। लेकिन अक्सर सदस्यों के सामने इस तरह की स्थिति आती है। इस पर मैं चाहता हूं आप कोई व्यवस्था कर दें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, इसी सिलसिले में जैसा माननीय रामायण राय जी ने कहा, पहले गेट पर आपकी तरफ से एक क्लर्क और एक चपरासी मुकर्रर रहता था जो कि जब माननीय सदस्य आते थे उनको पहचान लेता था और अन्दर आने की इजाजत दे देता था। अब वह चपरासी और क्लर्क दोनों विदड्रा कर लिये गये हैं और वहां पर पुलिस और सी० आई० डी० का पहरा लगा दिया गया है। यह मेन गेट की हालत है। यह आपसे सम्बन्ध रखता है इसलिये आप इसके ऊपर भी विचार कर लें।

उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ के सम्बन्ध में सूचना की मांग—(क्रमागत)

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मैंने जो प्रश्न अध्यक्ष महोदय, पहले किया था तो आपने कहा कि थोड़ा-सा कार्य कर लें तो आप प्रश्न करें। तो अब क्या आप उसके लिये आज्ञा देंगे?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न तो आपने कर दिया था। माननीय नेता सदन उसका उत्तर देना चाहें तो सकते हैं, लेकिन मैं उनको आदेश नहीं दे सकता हूं कि वह उत्तर ।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—यदि विरोधी दल के नेता यह जानना चाहते हैं कि यह बिल सदन में विचारार्थ जो प्रस्तुत किया गया है वह प्रस्तुत नहीं रहेगा तो मैं उनसे नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन को इस बिल के ऊपर विचार करना है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—हम लोग ठीक से सुने नहीं, उन्होंने क्या कहा....

१७ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न ३–४ से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष—अब मद ७, दिनांक १७ मई, १९६२ को विधान सभा के सदस्य श्री गणेश चन्द्र के तारांकित प्रश्न संख्या ३ व ४ से सम्बन्धित श्री गणेश चन्द्र, श्री गेंदा सिंह तथा श्री उग्रसेन द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में गृह उप-मन्त्री, शोधन वक्तव्य देंगे।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—मान्यवर, दिनांक १७ मई, १९६२ को श्री गणेश चन्द्र काछी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३ व ४ के सम्बन्ध में श्री गणेशचन्द्र, श्री गेंदासिंह व श्री उग्रसेन ने क्रमशः निम्नलिखित अनुपूरक प्रश्न पूछे थे:—

क—डिप्टी कम्पलेंट आफिसर जिस कार्य को किया करते थे अब उस कार्य को कौन करेगा ?

ख—क्या यह सत्य है कि कम्पलेंट आफिसर, सरकार ने उस जगह से हटाये हैं जहां से उसको यह सूचना है कि अब कम्पलेंट ही नहीं हो रही हैं ?

ग—क्या यह सही है कि यह जो उप-पुलिस कप्तान (शिकायतों) के पद तोड़े गये उसका एक कारण यह था कि उनके प्रति स्वयं बहुत भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थीं ?

उस समय सदन में उनके निम्नलिखित उत्तर दिये गये थे :

क—इसीलिये डी० एस० पी० डिस्ट्रिक्ट में एक-एक और बढ़ा दिये गये हैं।

ख—कम्पलेंट आफिसर सब हटा दिये उन सिफारिशों की बुनियाद पर जो सिफारिशें पुलिस कमीशन ने इस विषय में की थीं।

ग—मान्यवर, पुलिस कमीशन के सामने जितने डिटेल्स थे वह तो मेरे सामने हैं नहीं और उनकी यह एक निश्चित सिफारिश थी कि इस पद को तोड़ दिया जाय।

उक्त उत्तर ठीक नहीं थे जिसका बाद में पता चला।

सही उत्तर निम्नलिखित हैं :

क—इसीलिये डी० एस० पी० कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तथा रेंजों में बढ़ा दिये गये हैं ।

ख—कम्पलेंट आफिसर सब हटा दिये, उन सिफारिशों की बुनियाद पर जो सिफारिशें पुलिस कमीशन ने इस विषय में की थीं कि ये डी० एस० पी०, डी० आई० जी० अपराध अनुसन्धान विभाग के नीचे कार्य करें और हर रेंज पर एक डी० एस० पी०, अपराध अनुसन्धान विभाग के अधीन तैनात कर दिया गया है।

ग—मान्यवर, पुलिस कमीशन के सामने जितने डिटेल्स थे वह तो मेरे सामने हैं नहीं और उनकी यह एक निश्चित सिफारिश थी कि इस पद को अपराध अनुसन्धान विभाग के अधीन कर दिया जाय। मूल प्रश्न तथा उनके उत्तर संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २३४ पर)

उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ क सम्बन्ध में सूचना की मांग (क्रमागत)

श्री यादवेन्द्रदत्त---मैं बड़ा आभारी हूं माननीय मुख्य मन्त्री का कि उन्होंने कहा कि इस पर विचार करना होगा। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि वह विचार इसी सत्र में होगा या अगले सत्र में या किस समय उस पर विचार होगा ?

श्री अध्यक्ष---अब आप उसी वक्त पूछियेगा जिस वक्त यह आये। इस समय आप जबरदस्ती कर रहे ह।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा नियमावली के नियम १०७ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत मैंने एक प्रस्ताव आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था। जो यह बिल एजेंडे पर चल रहा है जोत-कर विधेयक, इसको हमारे प्रधान मन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने योजना आयोग को सुपुर्द कर दिया है। तो स सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री दिल्ली गये थे और वहां से वह वापस भी आ गये हैं .....

श्री अध्यक्ष---वह प्रस्ताव आपने मुझे अभी दिया है। उसको मैंने अभी देखा नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---अभी आपने कहा कि माननीय नेता विरोधी दल जबरदस्ती करते हैं, माननीय विरोधी दल के नेता जबरदस्ती करते हैं या माननीय मुख्य मन्त्री जबरदस्ती कर रहे ह इसका फसला आप कर दें ?

श्री अध्यक्ष---वह तो हमारे और दुबे जी के बीच की बात थी। वह नाराज होंगे तो मैं उनसे क्षमा मांग लूंगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त---जिस मधुरता से आप बाध्य करते हैं वह तो हमें स्वीकार ही है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---आप इसको कब तक देखियेगा ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसको देख लूंगा।

†उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष---उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक के सम्बन्ध में माननीय कमलासिंह यादव जी ने जो प्रश्न उठाया था मैं उसका समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। माननीय कमलासिंह यादव ने कुछ आपत्तियां माननीय जगदीश शरण अग्रवाल के संशोधन के सम्बन्ध में कीं। पहली आपत्ति जो उन्होंने प्रस्तुत की है वह इस प्रकार से है कि चूंकि कन्टोनमेंट (छावनी) का कोई उल्लेख बिल में नहीं है अतः उसको इसमें शामिल कर देने से छावनी या कन्टोनमेंट की व्याख्या को इस विधेयक के अन्तर्गत सम्मिलित कर लेने से इस विधेयक की परिधि बढ़ जाती है। यह उनका पहला आक्षेप है।

मेरा ऐसा मत है कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है छावनी क्षेत्र शब्द को सम्मिलित कर देने से इसकी परिधि नहीं बढ़ती है, न उद्देश्य और कारणों की दृष्टि से और न प्रस्तावना की दृष्टि से। प्रस्तावना को अगर आप देखें तो जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह इस प्रकार हैं--"यह आवश्यक और इष्टकर है कि नियोजित विकास के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित वित्तीय साधनों की वृद्धि करने की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश के नागर क्षेत्रों में

---

†२१ अगस्त, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

*१० सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही से।

[श्री अध्यक्ष]

स्थित भूमि या भवनों अथवा दोनों पर कर लगाने की व्यवस्था की जाये"। तो प्रियम्बिल में यह है कि नागर क्षेत्रों में स्थित भूमि और भवन पर कर लगाया जाय। जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों में भी यह लिखा हुआ है कि—"पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनायें राज्य के आर्थिक और सामाजिक जीवन की नींव को मजबूत करने में सहायक हुई हैं और उन्होंने उसके औद्योगिक तथा आर्थिक विकास को अनुप्राणित किया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक लक्ष्यों को और स्पष्ट रूप में व्यक्त किया गया है और उनकी प्राप्ति की ओर यह एक बहुत बड़ा कदम है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार की बढ़ती हुई वित्तीय आवश्यकताओं के कारण यह आवश्यक हो गया है कि आय के नये साधन ढूंढे जांय। नगरों और शहरों के बढ़ते हुये महत्व को और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि राज्य सरकार को अपेक्षाकृत अधिकाधिक उत्तरदायित्व वहन करना होगा, यह उचित समझा गया है कि समाज के पूर्ण लाभ के लिये नागर क्षेत्रों में स्थित भूमियों या भवनों अथवा दोनों के पूंजीगत मूल्य पर कर आरोपित किया जाय। प्रस्तुत विधेयक में इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था की गयी है।

तो इस में भी जो शब्द प्रयोग किये गये हैं वह हैं नागर क्षेत्र। तो उद्देश्य और कारण और जो प्रस्तावना इस विधेयक की है, केवल उनको दृष्टि म रखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि छावनी क्षेत्र को इसमें शामिल करने से, प्रस्तावना और उद्देश्य के वक्तव्यों से किसी प्रकार का विरोध है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैं एक चीज निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जो बात आप कहियेगा वह मैं सब बतला दूंगा। आप मेरी पूरी बात सुन लें, उसी में आपकी सब बात आ जायगी।

कुंवर श्रीपालसिंह—अन्तिम निर्णय के पहले केवल एक मिनट का समय आप मुझे दे दें। एक चीज आपने नहीं सुनी है।

श्री अध्यक्ष—मैं जो बात कह रहा हूं वह आप सुन लें। आप बैठ जांय। मेरी बात में आप की सब बातों का जवाब आ जायगा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—कन्टोनमेंट की डेफनीशन में आपने दखा है....

श्री अध्यक्ष—वह सब बात आ जायगी। आप वह कोई बात सोच नहीं सकते जो मैंने न सोची हो। आप सुन लें। मुझे माफ कीजिये कि यह बात मुझे कहनी पड़ी।

नागर क्षेत्र के अन्तर्गत छावनी आती है इसमें कोई शंका नहीं.....

कुंवर श्रीपालसिंह—इसी में शंका है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन कहा यह जाता है कि चूंकि नागर क्षेत्र की जो व्याख्या है, जो परिभाषा विधेयक में की गयी है उस कारण से हम इस विधेयक के उद्देश्यों के परे जा रहे हैं यही सारी बहस है।

कुंवर श्रीपालसिंह—इसके अलावा भी है। कैंटोनमेंट एरिया की डेफनीशन अलग है एक जगह। कन्ट्रोल आफ रेंट....

श्री अध्यक्ष—मैं वह जानता हूं। आप यह खयाल किये हुये हैं कि आप मुझ से ज्यादा कानून पढ़े हुये हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—मैं आप से ज्यादा नहीं पढ़ा हूं।

श्री अध्यक्ष—तो असली बात यह है कि मैं समझता हूं कि छावनी की अगर डेफनीशन न भी होती इस ऐक्ट में, तब भी खंड २ के उपखंड (२२) में परिवर्तन हो सकता था इस वास्ते कि जैसा कि माननीय श्रीपाल सिंह कहते हैं, उसकी व्याख्या एक दूसरी जगह मौजूद है। रेंट कंट्रोल ऐक्ट में छावनी की व्याख्या कहीं नही है।

कुंवर श्रीपालसिंह—है, श्रीमन् ....

श्री अध्यक्ष—रेंट कंट्रोल ऐक्ट में नहीं है। कैंटोनमेंट ऐक्ट जो बना है उसके अन्तर्गत व्याख्या उस अधिनियम के लिए मान ली गयी है। लेकिन अगर मान भी लिया जाय कि उस रेंट कंट्रोल अधिनियम में व्याख्या है, तो सवाल यह होता है कि प्रस्तुत विधेयक में छावनी की परिभाषा के जोड़ने से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिये। स्पष्ट बात यह है कि यहां पर केवल एक प्रश्न हमारे सामने है और वह यह है कि इस विधेयक की जो प्रस्तावना इसमें दी गयी है उस प्रस्तावना और उद्देश्य के तथा जो परिभाषा नागर क्षेत्र की दी गयी है उसे विस्तृत करने से विधेयक में कोई विरोध अथवा सीमा अतिरेक होता है या नहीं। ऐसी बात नहीं होती। उद्देश्य और प्रस्तावना में नागर क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया है वह क्षेत्र इतना विस्तृत है कि साधारणतया, जैसा कि माननीय न्याय मंत्री ने कहा उस लिमिट के अन्दर, टाउन एरिया हो या कोई अरबन एरिया हो कैंन्टोनमेंट आता है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि इस शब्द की व्याख्या से या छावनी क्षेत्र को नागरिक क्षेत्र की परिभाषा में शामिल कर लेने से हम इस विधेयक की परिधि के परे जाते हैं। यह गलत बात है इसलिये मैंने उसे स्वीकार नहीं किया (व्यवधान)।

कुंवर श्रीपालसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं वही निवेदन कर दूं....

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें, मुझे कहने दें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि....

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, आपने एक रूलिंग दे दी तो आप उनको परिधि बढ़ाने की आज्ञा दे दें। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—आप किस की परिधि कह रहे हैं?

श्री यादवेंद्रदत्त—श्रीमन्, ऐक्ट की परिधि बता रहा हूं। क्या आप उसमें पुनः विचार कर सकेंगे? यदि आपके सम्मुख कुंवर श्रीपाल सिंह जी अपनी बात रखना चाहते हैं और आप से यह जानना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष—मैं यह समझता हूं कि सदन के अन्दर अगर कोई बहस छिड़े तो प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ अपनी आपत्तियों के सम्बन्ध में कहना है, वह एक मर्तबा में कह दें। मैं जब एक आदेश दे रहा हूं और व्यवस्था दे रहा हूं और फिर उसमें बहस छिड़े तो यह प्रणाली स्वीकार नहीं की जा सकती। मैंने कार्यवाही में देखा है। उनको जो कुछ कहना था वह कह चुके। मेरे ध्यान में वह बातें हैं। उसे मैं स्वयं क्या महत्व देता हूं, यह मेरे विवेक की बात है, जो बात वह कह रहे हैं, अगर उन्होंने उस दिन नहीं कही तो उस पर मैं उन्हें दोबारा बहस करने की अनुमति नहीं दे सकता। जो कुछ उन्हें कहना है, वह चेम्बर में आकर कह सकते हैं।

श्री उग्रसेन—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत ही विनम्र निवेदन है और वह यह कि माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी को आपने मौका दिया कि वह खजाने के ऊपर तोप-बन्दूक से फायर करें परन्तु जब फायर करने का वक्त आया तो श्रीमन्, आपने अपनी बात वापस ले ली। अब श्रीपाल सिंह जी क्या करें?

श्री अध्यक्ष—वह न उस वक्त बोल सकते थे और न इस वक्त ही बोल सकते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, जब आप अनुज्ञा देंगे, तो मैं बोल सकता हूं। जब आपने नहीं दी तब मैं बैठ गया।

श्री अध्यक्ष—यदि आप नहीं बैठते तो मेरी आज्ञा को तोड़ कर ही बोल सकते थे। जो बात कह रहे हैं, वह इस वक्त.....

कुंवर श्रीपालसिंह—कैन्टोनमेंट एरिया कहीं डिफाइन किया गया है। माननीय न्याय मंत्री जी ने, जो उन.....

श्री अध्यक्ष—मैं उसे नहीं मानता हूं। मैं जानता हूं कैन्टोनमेंट एरिया डिफाइन्ड है (व्यवधान)।

कुंवर श्रीपालसिंह—अध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपने गजट द्वारा किसी भी एरिया को कैन्टोनमेंट एरिया डिक्लेयर करा सकती है (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें। मैं उसे बताये देता हूं। आप देखिये कैन्टोनमेंट एरिया के सम्बन्ध में उसकी डेफिनीशन इस प्रकार से है....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, क्या आप वही पढ़ने जा रहे हैं जो कुंवर श्रीपाल सिंह जी पढ़ रहे थे?

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें और जो मैं कह रहा हूं उसे सुनें। वह परिभाषा इस प्रकार है—

"The Central Government may by notification in the official *Gazette* declare any place or places in which any part of His Majesty's regular forces or Air forces, is Quartered. or which in the vicinity of any such place/ places is/are required for the service of such forces to be a cantonment for the purposes of the Act."

अब जो अधिकार दिया गया है वह यह है कि कैंटोनमेंट एरिया में जिस क्षेत्र को चाहें वह अपने एरिया के अन्दर मिला लें। अगर आप कांस्टीटयूशन देखें तो सेवेंथ शेडयूल में इस सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी है। तीन लिस्टें हैं। एक सूची यूनियन गवर्नमेंट के बारे में है, एक स्टेट के बारे में और एक है कांकरेंट लिस्ट जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों ही व्यवस्था कर सकती हैं। यूनियन लिस्ट में जो यूनियन गवर्नमेंट छावनी के सम्बन्ध में कानून बना सकती है उसके सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से वर्णित किया है। उन्होंने एंट्री नम्बर ३ में यह लिखा है कि—

"Delimitation of Cantonment areas, local self Government in such areas, the constitution and powers within such areas of cantonment authorities and the regulation of house accommodation (including the control of rents) in such areas."

एक एंट्री ३२ भी है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। वह क्या है—

"Property of the Union and the revenue there from, but as regards property situated in a state subject to legislation by the State, save in so far as Parliament by law otherwise provides."

हिन्दी में प्रविष्टि ३ यह है कि "कटक क्षेत्रों का परिसीमन ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐसे क्षेत्रों के अन्दर कटक-प्राधिकारियों का गठन और शक्तियाँ, तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह-वासन का विनियमन (जिसके अन्तर्गत किराये का नियंत्रण भी है)।"

और ३२ यह है, "संघ की सम्पत्ति और उससे उत्थित राजस्व किन्तु प्रथम अनुसूची के भाग (क) या (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में अवस्थित सम्पत्ति के विषय में, जहां तक

संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे वहाँ तक, उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए।" अब हमारा राज्य सूची (क) में दिया हुआ है, यह याद रखिये।

अब सूची २ जिसके अन्तर्गत केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है उसमें आप देखेंगे कि प्रविष्टि (एंट्री) ४९ में जो अधिकार केवल राज्य के हैं, वह हैं "भूमि और भवनों पर कर।" ये वही शब्द हैं कि जो इस विधेयक में प्रयुक्त हुए हैं। तो भूमि और भवनों पर कर लगाने का अधिकार एकमात्र राज्य सरकार को है। यूनियन का नहीं है। उसमें विशेष बात और आप देखेंगे कि सप्तम अनुसूसूची के सूची २ में जहाँ-जहाँ पर संविधान के निर्माताओं का यह उद्देश्य था कि राज्य को सीमित अधिकार है और पूरा अधिकार नहीं है वहाँ-वहाँ उन्होंने उसको लक्षित कर दिया है अपनी विभिन्न प्रविष्टियों में। उदाहरण के लिये सूची नम्बर २ में ११वीं प्रविष्टि, देखिये। उसमें लिखा है "सूची १ की प्रविष्टियों ६३, ६४, ६५ और ६६ तथा सूची ३ की प्रविष्टि २५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शिक्षा, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय भी हैं" इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कानून बनायेगी। इसी प्रकार १३ में देखें—"संचार अर्थात् सड़कें, पुल, नौका घाट तथा सूची–१ में अनुलिखित संचार के अन्य साधन, ट्राम पथ, अन्तर्देशीय जल-पथ और उन पर यातायात, वैसे जल-पथों के विषय में सूची १ और सूची ३ में के उपबन्धों के अधीन रहते हुये...." राज्य सरकार कानून बनायेगी। तो सूची २ में जो अधिकार राज्य सरकार को दिये गये हैं वह जगह जगह स्पष्ट हैं। संविधान जहाँ-जहाँ उनको नियंत्रित करना चाहता था वहां वहां सूची में उल्लेख कर दिया गया है। यह चीज संविधान में स्पष्ट रूप से लिख दी गयी है कि किन-किन विषयों में राज्य सरकार का अधिकार होगा और किन में यूनियन का। तो टैक्सेज आन लैण्ड ऐण्ड बिल्डिंग्स का अधिकार राज्य का है, यूनियन का नहीं है।

दूसरी आपत्ति जो प्रस्तुत की गयी है वह यह है कि चूंकि कैन्टोनमेंट एरिया यूनियन द्वारा प्रशासित है, इस कारण वहाँ पर भवनों पर कर नहीं लगाया जा सकता, यह गलत है। कोई प्रशासन यूनियन गवर्नमेंट का कैंटोनमेंट क्षेत्र में नहीं है सिवाय इसके कि जिसका उल्लेख अनुसूची सप्तम की सूची १ में किया गया है। यह कहीं नहीं लिखा है कि कैन्टोनमेंट एरिया राज्य के प्रशासन के अन्तर्गत नहीं रहेगा या उस एरिया पर राज्य का शासन वर्जित है। इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। तो दूसरी बात जो प्रस्तुत की गयी है कि चूंकि प्रशासन यूनियन का है इस वजह से कानून बनाने का अधिकार नहीं है, गलत है।

तीसरी बात यह है कि जहाँ तक रिकमन्डेशन का सम्बन्ध है, गवर्नर महोदय की, मैंने माननीय कमलासिंह यादव जी के विद्वतापूर्ण भाषण के पहले ही इसको देखा था। मैं आप को बता दूं कि राज्यपाल की संस्तुति आ गयी है कि इस विधेयक में छावनी सम्मिलित की जाय। तो अब यह प्रश्न नहीं उठता। अब एक बात और कही गयी है फाइनेंशियल मेमोरेंडम के बारे में। जहाँ तक मैं समझा हूं, वह यह है कि ऐसे बिलों के सम्बन्ध में ज्ञापन होना चाहिये चाहे माननीय मंत्री उपस्थित करें या गैर-सरकारी बिल हो। लेकिन जो विषय की शब्दावली है उससे यह विदित नहीं होता कि यदि किसी संशोधन के द्वारा हमारे किसी विधेयक में कोई संशोधन हो जाय तो उस संशोधन के साथ ही एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आयेगा। एक उदाहरण इस बारे में लीजिये। 'झोपड़ी' को इस विधेयक से निकलवा दिया गया। अब जब वह शब्द निकल जायगा तो क्या दूसरा वित्तीय ज्ञापन दिया जायगा कि ऐस्टीमेट में इतना रुपया कम होगा? या कोई और बात जुड़ जाय, तो उसके लिये भी ज्ञापन किया जायगा। वे तो एक ऐस्टीमेट प्रस्तुत करते हैं, उसमें कमी बेशी तो हो ही सकती है। इसलिये वित्तीय ज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है।

यही चार आपत्तियाँ की गयी थीं जो माननीय कमलासिंह, माननीय भगवान सहाय तथा अन्य सदस्यों ने रखी थीं। माननीय श्रीपाल सिंह जी ने नियम १३९(२) के अन्तर्गत एक आपत्ति रखी थी। उसका उत्तर जो माननीय न्याय मंत्री जी ने दिया वह मैं समझता हूं पर्याप्त है। उसके बाद और कोई अलग व्यवस्था उसके ऊपर देने की आवश्यकता नहीं है।

[श्री अध्यक्ष]

राज्यपाल महोदय की संस्तुति के बारे में जो आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी वह प्राप्त हो गयी है। इसलिये अब कोई अड़चन बाकी नहीं रहती।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—मैं एक सूचना चाहता हूं कि यह राज्यपाल महोदय की संस्तुति कब प्राप्त हुई? दूसरी बात यह है कि चूंकि यह अमेंडमेंट उसके पूर्व ही मूव हो चुका था तो क्या उसको फिर से मूव किया जायगा अथवा जो मूव हो चुका है, उसी पर विचार होता रहेगा। मेरी राय है कि चूंकि गवर्नर की संस्तुति अब प्राप्त हुई है, इसलिये उसको फिर से मूव कराया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैंने इस आदरणीय सदन के समक्ष पहले भी यह निवेदन किया था और अब फिर किये देता हूं कि ऐसे वित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में मैंने सचिव को यह कह रखा है कि उनके लेने के पूर्व वे एस्योर्ड हो जायं कि उनके बारे में राज्यपाल महोदय की संस्तुति प्राप्त हो गयी है। मुझे खेद है कि यह संशोधन जब आया मैंने पढ़ा नहीं था। इसी खयाल से जिस समय यह संशोधन प्रस्तुत हुआ उसी समय मैंने माननीय जगदीश शरण अग्रवाल से यह पूछा कि क्या कहीं 'छावनी' का उल्लेख इस बिल में है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी कुछ उनके और संशोधन इस बारे में आ रहे हैं। उस समय सायंकाल तक इस संबंध में कोई बात किसी ने नहीं उठाई कि राज्यपाल की संतुति की आवश्यकता है।

दूसरे दिन जब मुझे यह ज्ञात हुआ तो मैंने एल० आर० को बुला कर इस बारे में पूछा। यह गलती मुझसे हो गयी। नियमों में यह है कि यदि इस प्रकार की कोई स्थिति हो तो स्पीकर का कर्तव्य होगा कि वह फौरन उसे राज्यपाल को निर्दिष्ट करे। लेकिन उस समय ऐसा न करने का मुझे खेद है।

श्री कमलासिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस संशोधन का सवाल है मैं श्रीमन् का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मैंने अपने आब्जेक्शन में यह भी बतलाया था कि माननीय मंत्री जी इस सदन में यह भी डिक्लेयर कर चुके हैं कि छावनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो वह इस विधेयक के जरिये नहीं लगना चाहिये। इसलिये यह चीज रखी गयी है।

श्री अध्यक्ष—Does it operate as a Estoppel ?

श्री कमलासिंह यादव—सवाल यह है कि जिस समय यह प्रस्ताव रखा गया उस समय गवर्नर की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं था और श्रीमन् को भी पता नहीं था, इसलिये श्रीमन् की भी गलती नहीं कही जा सकती। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने खुद इस सदन के अन्दर यह एलान किया कि हम छावनी या कैन्टोनमेंट एरिया में किसी तरह का टैक्स नहीं लगाने जा रहे हैं इस विधेयक के जरिये। कैन्टोनमेंट के सम्बन्ध में जब डिफाइन करने के लिये कहा गया तो उन्होंने डेफिनिट उत्तर दिया था कि छावनी या कैन्टोनमेंट एरिया में किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाने जा रहे हैं। तो जब यह सवाल डेफिनिट किया गया था जिसका उत्तर दिया गया था कि किसी किस्म का टैक्स छावनी एरिया में नहीं लगाने जा रहे हैं, तो श्रीमन् के सामने यह प्रश्न कभी भी नहीं था। जब बाद में गवर्नर का आदेश आया तो माननीय मंत्री जी को चाहिये कि इस विधेयक को पहले वापस ले लें और फिर अमेंडमेंट के साथ लावें तो मान्य हो सकता है, लेकिन वह आब्जेक्शन अपनी जगह पर अब भी है।

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में आपसे मैं निवेदन कर दूं कि अगर स्ट्रिक्टली लीगल व्यू से आप लें तो, एक सदस्य माननीय श्री जगदीश शरण अग्रवाल, एक प्राइवेट मेम्बर की हैसियत से इस प्रस्ताव को इस सदन के सामने संशोधन के रूप में लायें, तो क्या मंत्री जी के वक्तव्य की उनके ऊपर कोई पाबन्दी है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव या संशोधन वे न लावें? माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि वे कैन्टोनमेंट एरिया पर कोई टैक्स नहीं लगाने जा रहे हैं, लेकिन अगर

सदन का कोई सदस्य कहता है कि उस पर टैक्स लगाना चाहिये तो वह प्रश्न सदन के निर्णय करन की बात हो जाती है, माननीय मंत्री जी उसे अच्छा समझें या बुरा समझें, इसलिये मैं इसको ओवर रूल करता हूं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—श्रीमन्, पीठासीन अधिकारी के लिये समय की कोई पाबन्दी नियमों में नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट में या अपने देश के संसद में या अपने देश की विभिन्न विधान सभाओं में कोई ऐसी परम्परा स्थापित की गयी है? यदि ऐसी कोई परम्परा कायम की गयी है तो कितना समय पीठासीन अधिकारी को लेना चाहिये?

श्री अध्यक्ष—मैं आपसे बतला दूं कि अगर आप मुझे अधिकार दें तो मैं एक मिनट में ही निर्णय देकर समाप्त कर दिया करूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट का स्पीकर अपनी रूलिंग के कारणों को सदन के समक्ष नहीं रखता। उसके जो कुछ कारण होते हैं, चाहे उसके कक्ष में जो हो या उसके मन में हो, अन्यथा वह कहता है कि मैं इसको एलाऊ करता हूं या डिसएलाऊ करता हूं। उसके कारणों को बतलाने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी कभी-कभी सोचता था कि मैं भी ऐसा करूं लेकिन मैं स्पष्ट कह दूं कि मैं उसके कारणों को इस वजह से बतला देता हूं कि इस सदन के भूतपूर्व अध्यक्ष भी जब किसी प्रस्ताव का निर्णय करते थे तो उसके कारण बतला दिया करते थे। दूसरी वजह यह भी है कि यदि मैं किसी तरह की कोई गलत रूलिंग कभी दे दूं और आप मुझे समझा सकें कि मैं गलत हूं तो उसे मैं भविष्य में सुधार सकता हूं। गलत या सही जो चीज हो गयी वह हो गयी लेकिन भविष्य में यदि आप लोग भी पसन्द करते हैं तो मैं ज्यादा न बोलूंगा और मैं आदेश देता हूं कि अब इस पर बहस नहीं होगी।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैंने स्पीकर की परिभाषा पढ़ी है कि "दि स्पीकर इज वन हू स्पीक्स लेस" यानी स्पीकर वह है जो सब से कम बोले।

श्री अध्यक्ष—तो अब मैं कम से कम बोलूंगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—अब श्रीमन्, जो व्यवस्था आपने दी है उसके बारे में एक शब्द में कहना चाहता हूं उसके विरोध में नहीं केवल जानकारी के लिये कह रहा हूं . . . . .

श्री अध्यक्ष—आप बोलेंगे तो १०० आदमी बोलेंगे, आप मुझसे बात कर लें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—केवल एक मिनट में उसी व्यवस्था के संबंध में ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। मैं कभी ज्यादा बात नहीं करता केवल एक मिनट में ही समाप्त कर दूंगा . . . .

श्री अध्यक्ष—अच्छा कहिये। (श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर के खड़े होने पर) आप तो बैरिस्टर हैं क्या आप इसको मुनासिब समझते हैं कि जब एक सदस्य को बोलने को मैंने कहा है तो आप बोलें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—आपने एक विचार प्रकट किया है कि जो संशोधन सामने सदन के आया है वह दरअसल सरकार का नहीं है बल्कि प्राइवेट मेम्बर का है आपने विचार के लिये कहा उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन यह चाहता हूं कि यदि सरकार एक बिल सदन के सामने लाती है और बाद में अपनी गलतियों को संशोधन के रूप में न लाकर अपने पक्ष के किसी सदस्य के द्वारा उन्हें यहां रखवाती है और बार बार इस प्रकार कोशिश करती है कि उसकी भूलें सदन के सामने न आयें और वाक़यात सदन के सामने प्रकट न हों तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह भी एक प्रकार से सरकार के ही संशोधन हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं तो एक कानूनी बात कह रहा था, अब बालो जी अग्रवाल का प्रस्ताव . . . . . .

श्री कमलासिंह यादव—अध्यक्ष महोदय. . . .

आडिट रिपोर्ट की हिन्दी प्रति न मिलने पर आपत्ति

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—अध्यक्ष महोदय, कल और परसों जो प्रतिवेदन आडिट रिपोर्ट के संबंध में अंग्रेजी में छपा है उसके संबंध में मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम २८१ की ओर दिलाऊंगा जिस में लिखा है कि संविधान के अनुसार सदन की कार्यवाही हिन्दी में चलेगी । लेकिन यह प्रतिवेदन हमें अंग्रेजी में ही पिजिन होल में मिला है और आप को मालूम है कि यहां बहुत से माननीय सदस्य अंग्रेजी का ज्ञान नहीं रखते । आप कृपा करके एक व्यवस्था दें कि हम को कब तक यह हिन्दी में मिल जायगी ?

श्री अध्यक्ष—आप पिजिन होल की जगह कोई हिन्दी शब्द कहते तो मैं अवश्य व्यवस्था देता । इस समय यह रिपोर्ट अंग्रेजी में जरूर आयी है, मैंने इस संबंध में पूछा था उन्होंने कहा कि इसमें करीब तीन हफ्ते के लगेंगे कि हिन्दी अनुवाद इसका यहां आ सके। यह सुविधा के लिये किया गया है कि आडिट रिपोर्ट द्वारा सदन को सूचनायें प्राप्त हो जायं वर्ना यह तीन सप्ताह बाद भी रखे जा सकते थे ।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ (क्रमागत)

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, एक रूल नम्बर ४४ का पेज ५५ जो रिफर किया गया था तो अगर कोई प्राइवेट मेम्बर संशोधन ऐसा ले आये जिससे स्कोप आफ दि बिल बढ़ जाता है और सरकार ने कुछ भी विचार स्पष्ट नहीं किया । इसलिये मैं फिर कहूंगा कि आप सोच लें ।

श्री अध्यक्ष—मैंने तो आरम्भ में ही कहा था और इसी से आरम्भ किया था कि "This amendment of the Bill does not extend its ambit" इससे परिधि नहीं बढ़ती है।

माननीय बालोजी अग्रवाल ने नम्बर ८ का संशोधन उपस्थित किया था कि खंड ३ (१) की पंक्ति ३ में शब्द 'दस' के स्थान पर शब्द 'पांच' कर दिया जाय । उस पर माननीय गेंदासिंह जी बोल चुके थे अब माननीय स्वशासन मंत्री जी बोलें क्या कहना है ।

स्वायत शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, सरकार का पहले से ही खयाल था कि हम केवल ५ प्रतिशत ही कर लगायेंगे, लेकिन जब जनरल डिसकशन हो रहा था तो बार-बार कहा गया कि सरकार अपने हाथ में बहुत सी ताकतें ले लेती है, लेकिन जैसी सदन की राय होती है, कार्य तो उसके अनुसार किया जाता है । मैंने तो पहले ही कहा था कि दस प्रतिशत हम रख रहे हैं, लेकिन हम ५ प्रतिशत से अधिक नहीं लगायेंगे जब तक कि हमें पारिस्थिति मजबूर न करे ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ (१) की पंक्ति ३ में शब्द 'दस' . . . .

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी तो अवसर बोलने का मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—आप खड़े नहीं हुये, इसलिये मैंने समझा कोई बोलना नहीं चाहता। अब आप बोलना चाहते हैं तो बोलें ।

*श्री बालोजी अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार का इरादा ५ प्रतिशत ही टैक्स लगाने का था लेकिन सरकार अपने हाथ में व्यापक अधिकार लेना चाहती है जिससे भविष्य में इसको वह बढ़ा सके । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार को तो वैसे ही व्यापक अधिकार है । सरकार बहुमत में है और उसके बल पर जब चाहे टैक्सेशन को बढ़ा सकती है । टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, नगर-पालिका और महानगरपालिका हैं वहां पर टैक्सेशन के बोझ से जनता इतनी दबी हुई है जिसका प्रमाण ७ तारीख को इन नगरों में होने वाली व्यापक हड़ताल और प्रदर्शन और १० तारीख को विधान मंडल के सामने होने वाले व्यापक प्रदर्शनों से सिद्ध हो गया है । जनता इस प्रकार से इन टैक्सों के विरोध में है कि वह प्रदेश के दूर-दूर के नगरों से, कोनों से अपने खर्चे पर यहां आई और इन टैक्सों का विरोध किया । जनमत के आधार पर चुनी जाने वाली सरकार को मैं समझता हूं कि जनमत का आदर करना चाहिये और जनमत का आदर करते हुए उसे इन टैक्सों के अन्दर कमी करनी चाहिये । आपने यह देखा है कि यह टैक्स किरायेदारों पर आकर पड़ेगा.....

श्री अध्यक्ष—यह सब बातें प्रथम वाचन में ही कही जा चुकी हैं । आपका अब छोटा सा जवाब होना चाहिये ।

श्री बालोजी अग्रवाल—मैं सदन से और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जब उसका इरादा है कि ५ प्रतिशत टैक्स लगाया जाय तो उसको इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे अब और कुछ नहीं कहना है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि "खंड ३ (१) की पंक्ति ३ में शब्द "दस" के स्थान पर शब्द "पांच" कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित करने पर विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गयी ।)

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी करना चाहता हूं कि डिवीजन की मांग हुई तो लाबीज में इसे आप स्वीकार करेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—आप खुद सोच लें कि हर खंड पर यह कहां तक उचित होगा ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—यह मुख्य खंड है और उनकी स्वयं नीयत है कि ५ परसेंट रखें, लेकिन रखना चाहते हैं १० परसेंट । इसलिये उनकी नीयत में कुछ गड़बड़ी है ।

श्री उग्रसेन—यह डिवीजन लाबी में ही करा दिया जाय । कांग्रेस के लोगों के मकान भी शहर में हैं और वह भी इस संशोधन के पक्ष में वोट करने वाले हैं ।

श्री अध्यक्ष—माननीय नेता विरोधी दल से मैं एक बात जरा कहना चाहता था । अगर इस पर मैं डिवीजन ले लूं तो फिर जो और संशोधन हैं वह समाप्त हो जायेंगे । दीपनारायणसिंह और केशव गुप्त जी के भी संशोधन हैं कि १० के बजाय २ परसेंट कर दिया जाय ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—किस रूप से आप कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—मैं तो जानना चाहता था । कमलासिंह जी का है कि १० के बजाय २ परसेंट कर दिया जाय । केशव गुप्त जी का है कि १० के स्थान पर ५ परसेंट कर दिया जाय और दीपनारायण जी का है कि १० के बजाय २ परसेंट कर दिया जाय । आप प्रेस कीजियेगा अपना संशोधन ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कमलासिंह यादव—जी हां, बेसिक प्रिंसिपल है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ (१) की पंक्ति ३ में शब्द 'दस' के स्थान पर शब्द 'पांच' कर दिया जाय।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मान्यवर, डिवीजन लाबीज में करा दिया जाय तो अच्छा है ?

श्री अध्यक्ष—जी हां, ठीक है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्न रूप से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ।)

पक्ष में—७५

अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कृष्णा, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जमादारसिंह, श्री
झिलमिटराम, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दुर्योधन, श्री
दौलतलाल, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
परमई, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बेदराम, श्री
भगवानदास, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भूरसिंह, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मंगलदेव, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रतीपाल, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लखीसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयपालसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर

सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुरजन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

विपक्ष में—१०३

अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
इन्द्रासन सिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
कंवईलाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णनन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
खुशीराम श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल,श्री
चन्द्रभानु गुप्त,श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
त्रेपनसिंह ,श्री
दलजीतसिंह, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खां, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैजूराम, श्री
भगौतीदीन, श्री
महमूद अली खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामर्मूति 'अंचल', श्री
रामलखन वकील, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री

विद्यावती, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खा, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
सीताराम, डाक्टर
सुखराम दास, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सोहनलाल बुसिया, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हेतराम सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

श्री यादवेन्द्रदत्त—मुझे बड़ा दुःख है कि इस रीजनेबिल संशोधन को भी मंत्री जी ने नहीं माना और बलपूर्वक उन्होंने इस चीज को लादा। इसके प्रोटेस्ट में २ बजे तक जनसंघ दल सदन का परित्याग करता है।

(जनसंघ के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया)

श्री अध्यक्ष—यह संशोधन जो अस्वीकृत हुआ है उसके परिणामस्वरूप माननीय केशव गुप्त के संशोधन को पेश करने का प्रश्न नहीं रहता। जो दो संशोधन हैं माननीय कमला सिंह यादव का और होरीलाल यादव जी का ज्वाइन्ट क्योंकि दोनों एक समान हैं, इसलिये दोनों से कटकर एक ही रह जाता है। अब माननीय दीपनारायण सिंह जी का भी वही है जो माननीय कमला सिंह जी का है। तो माननीय कमलासिंह जी पेश कीजिये। मैं एक निवेदन कर दूं कि मेरी फीलिंग यह है कि इसके ऊपर डिबेट नहीं होनी चाहिये। इस हाउस ने जब यह तय कर दिया है कि वह १० से ५ करने के लिये तैयार नहीं है तो दस से दो करना न्यायसंगत और तर्क संगत नहीं मालूम होता है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, यह तय हुआ था कि....

श्री अध्यक्ष—मैं आप से नहीं पूछ रहा हूं। (श्री कमलासिंह यादव से) मैं समझता हूं कि आप इसे प्रेस न करें।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में "दस" के स्थान पर "दो" कर दिया जाय।

श्रीमन्, जहां तक....

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)—श्रीमन्, इस सदन ने जब यह तय कर दिया है कि ५ स्वीकार नहीं है तो फिर २ कैसे पेश किया जा सकता है?

श्री अध्यक्ष—मैंने पहले ही कहा था, लेकिन आपके द्वारा कोई आपत्ति नहीं हुई थी तो वह पेश कर रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, आपने आदेश दे दिया है कि मैं इसे पेश करूं। अगर इनको कुछ कहना था तो आपने जब संकेत किया था, उसी समय कह दिया होता।

श्री अध्यक्ष—आपको कुछ और बोलना है?

श्री कमलासिंह यादव—मैंने जो संशोधन रखा है उसका विशेष सम्बन्ध गांव वालों से है। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि पहले गांवों में छोटे-छोटे उद्योग धंधे थे, जिसकी वजह से गांव का आदमी गांव में फंसा रहता था। लेकिन आज देहात की हालत यह है कि गांव का

आदमी कोई उद्योग धंधा न पाकर सिर्फ मिट्टी खोदने के लिये वहां पर पड़ा हुआ है। सिर्फ मिट्टी खोदना ही वहां पर ऐसा उद्योग धंधा रह गया है। वह मिट्टी खोदता है और मजदूरी पाता है। इसको छोड़ कर कोई भी धंधा देहात में नहीं है जिससे कोई भी मजदूर गुजर कर सके। नतीजा यह है जब किसान जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह ऊंची मजदूरी दे सके तो जो मजदूरी पहले से दो आने, चार आने चल रही थी आज भी मौजूद है और मजबूरन किसान गांव छोड़कर शहर की तरफ आ रहा है और रिक्शा चलाकर और कोई छोटा-मोटा काम करके जिन्दगी बसर कर रहा है। दो-चार दस रुपये की कोठरी ले कर वह किसी तरह से गुजर कर रहा है और जीविका की तलाश में किसान कुली हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—यह सब बातें आ चुकी हैं।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन् ही समझें कि अगर प्रतिशत और आंकड़े न रखूं तो कोई दूसरा साधन नहीं है। किस तरह से माननीय मंत्री को प्रेरित कर सकते हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि आज अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। आज दस रुपये में से ९ रुपये एक बड़े आदमी के पास जा रहे हैं और एक रुपये में हजारों गरीबों का बटवारा है। देश के द्रव्य विभाजन की विषमता तथा तज्जनित विभीषिका का अनुमान करें। तो इससे बढ़ कर कोई बुरी समस्या नहीं हो सकती। श्रीमन्, इस तरह में यह कहने में जरा भी संकोच नहीं करता हूं कि आज पूंजीवाद से आक्रान्त और अधीर युग का यही नग्न रूप है।

अब एक चीज श्रीमन् के सामने और रखना चाहता हूं। आज शहरों के अन्दर टाउन एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड या नगरपालिका के अन्दर बहुत-सी मिलें हैं। उन मिलों में बहुत से मजदूर काम करते हैं जो मकानों के अन्दर किराया देकर रहते हैं। मजदूरों की तरफ से तथा मिल मालिकों की ओर से कंन्ट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ के अन्दर यह है कि मजदूरों से कुछ अंश लिया जाता है। उसमें जो ऐसे मजदूर हैं जो एक रुपया रोज मजदूरी पाते हैं उनसे कुछ भी नहीं लिया जाता। बाकी जो लोग छः रुपये या आठ रुपये तक देते हैं उनसे १५ आने लिया जाता है और ८ रुपये से अधिक के लोगों से सवा रुपया लिया जाता है। तो इस तरीके पर जो २४० रुपये की आमदनी से ऊपर के आदमी हैं उनसे सवा ग्यारह रुपये साल लिया जाता है। अगर २४० रुपये महीने की आमदनी हो तो २,८८० रुपये साल होता है। अगर उस पर सवा रुपये लगायें तो चार परसेंट होता है लेकिन सदन के सामने जो प्रस्ताव रखा गया है वह दस परसेंट का है। श्रीमन्, इस तरीके पर हम यह देख रहे हैं कि टैक्सेशन शहर के अन्दर तीन किस्म का आलरेडी लगा हुआ है लोगों पर, एक तो हाउस टैक्स है जो कि नगरपालिका या टाउन एरियाज द्वारा लगाया जा रहा है। उसी के साथ-साथ वाटर टैक्स है और श्रीमन्, मैं फिर से कह देना चाहता हूं कि हाउस टैक्स जो लगाया जा रहा है वह ठीक इसी तरीके का है। इस तरीके पर श्रीमन्, यह डबल टैक्सेशन है और डबल टैक्सेशन की पालिसी बहुत गन्दी नीति समझी गई है, चाहे वह किसी भी सरकार की हो। जब भवन के ऊपर म्युनिसिपैलिटीज ने भी टैक्स लगाये रखा है और सरकार भी इसी तरीके का टैक्स लगाने जा रही है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही निकम्मी और गलत पालिसी है। साथ ही साथ में श्रीमन् का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि इस विधेयक के अन्दर हम उन लोगों पर टैक्स लगाने जा रहे हैं जिन लोगों के मकानात टाउन एरिया या म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर हैं और इसके लिये एक विधेयक श्रीमन् के सामने इसी सदन में आया था। वह यू० पी० रेण्ट कंट्रोल ऐक्ट है जिसमें श्रीमन् १९५१ के पीछे के जितने मकानात हैं....

श्री अध्यक्ष—आपने कहा था कि पांच मिनट के अन्दर खत्म कर देंगे।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, अगर मैं इर्रेलिवेंट एक भी बात कहूं तो आप मुझे रोक सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—अच्छा तो हम अब उठते हैं और दो बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री उपाध्यक्ष—जो आर्गुमेन्ट हो चुके हैं उनको दोहराने से कोई लाभ नहीं ।

श्री कमलासिंह यादव—मैं जल्दी ही करूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नमेंट की डबल टैक्सेशन पालिसी के ऊपर बोल रहा था और सदन को बतला रहा था कि यह जो टैक्सेशन १० परसेन्ट लगाया जा रहा है इसके जरिये से जनता को बहुत तकलीफ होगी । राम राज्य या हिन्दू राज्य में जितने राजा होते थे वह उस वक्त दशांश जनता की ओर से उपज का भाग लिया करते थे । उस दशांश की भावना को लेकर अंग्रेजों के जमाने में हम विरोध करते थे । आज हम देख रहे हैं कि जो मकानों पर यह टैक्स लगाया जा रहा है यह १० प्रतिशत लगाया जा रहा है जो कि हाउस टैक्स के नाम से है । जितनी नगरपालिका या टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया हैं उन सब में हाउस टैक्स के नाम से यह लगाया जायगा, लेकिन एक टैक्स हाउस और वाटर टैक्स पहले से ही उन नगरपालिकाओं ने वहां पर लगा रखा है । उस हाउस और वाटर टैक्स के ऊपर यह दूसरा टैक्स जिसको हाउस टैक्स कहा जायेगा इस विधेयक के जरिये से हम लगाने जा रहे हैं । इसका नतीजा यह होगा कि जो ३ से लेकर १६ परसेन्ट तक टैक्स उनमें है और गाजीपुर जिले में या और पूर्वी जिलों में वह १९–२० परसेन्ट लगा हुआ है उसके ऊपर अगर यह १० परसेन्ट और बढ़ा दिया जायगा तो यह ३० परसेन्ट हो जायगा । इस तरह जो मकान की सालाना आमदनी होगी उस सालाना आमदनी पर एक तिहाई सरकार ले लेगी । एक टैक्स पहले से है और यह दूसरा टैक्स उनके ऊपर लगाया जायगा । तो यह डबल टैक्स हो जायगा । किसी नगरपालिका के रहने वाले किस तरह से यह दे पायेंगे इसको मंत्री जी सोचें । वे गरीब टाउन के लोग या छोटी नौकरी के लोग जो शहर के अन्दर आबाद हैं किस तरह से इसको देंगे । उनकी हालत पहले ही खराब है और इससे और भी खराब हो जायगी क्योंकि आप उनसे ३० प्रतिशत लेने जा रहे हैं । इसका नतीजा बहुत बुरा होगा ।

दूसरी बात यह है कि यह विधेयक यू० पी० रेंट कन्ट्रोल ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, १९५७ के प्राविजन को भी बार करता है, उसका कारण यह है कि उस ऐक्ट के अन्दर यह दिया हुआ है कि सन् १९५१ के पहले के जितने बने हुये मकान हैं उन पर किसी किस्म का टैक्स नहीं बढ़ सकता है । यह विधेयक उस रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट के विपरीत है । इसी तरीके से उस झंझट से बचने के लिये यह कोशिश की गई है कि जितने किरायेदार हैं उन पर टैक्स लगाया जायगा । यह विधेयक इस लिये लाया गया है कि गृहस्वामियों पर कर लगाया जाय, लेकिन इस विधेयक की एक धारा के अन्तर्गत प्राविजन है कि किरायेदारों से इस कर को मकान मालिक वसूल कर सकता है । तो श्रीमन्, यह चीज सोचने की है कि हमारी पालिसी क्या है । अगर यह टैक्स किरायेदारों से न लिया जाता और मकान मालिकों से ही, जो उनको किराया मिलता है, उस पर लिया जाता तो बात समझ में आती । यह समझ में आता कि बड़े आदमियों से, मकान मालिकों से टैक्स वसूल किया जा रहा है, लेकिन इसमें मैं एक विपरीत चीज देख रहा हूं । यहां टैक्स मकान मालिक से न लेकर किरायेदार से लिया जा रहा है । यह टैक्स किरायेदार से वसूल किया जायगा और यह चीज रेंट कंट्रोल ऐक्ट को बार करती है । जो दस परसेंट टैक्स रखा गया है उसके हिसाब से यह नहीं रखा जा सकता । सन् १९४२ या उसके पहले के किराये पर आपने मकान मालिक को अधिकार दिया था कि वह २५ प्रतिशत किराया बढ़ा सकता है और अगर यह टैक्स भी आप किरायेदार पर बढ़ा देंगे तो यह रेंट कंट्रोल ऐक्ट को कंट्रेडिक्ट करेगा । मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक इस रूप में किसी तरह भी ठहर नहीं सकता और रिजेक्ट हो जायगा । यह कहा जा सकता है कि यह विधेयक किसी ऐक्ट की किसी धारा को बार करते हुए भी ठहर सकता है

या नहीं, लेकिन मैंने सारे विधेयक को पढ़ा है। मुझे कोई भी धारा या कोई संशोधन ऐसा नहीं दिखायी दिया कि जिसमें यह शब्द हों कि किसी धारा के प्रतिकूल रहते हुए भी यह विधेयक लागू होगा। ऐसी चीज इस विधेयक में कहीं भी मौजूद नहीं है और चूंकि यह रेंट कंट्रोल एंड एविक्शन ऐक्ट को बार करता है इसलिये यह इस सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मैं चाहूंगा कि श्रीमन् इस पर अपनी रूलिंग दें।

श्री उपाध्यक्ष—यह टैक्स लगाने की बात है, किराया नहीं बढ़ रहा है।

श्री कमलासिंह यादव—मैं चाहता हूं कि आप इस गौर कर लें और भले ही अपनी रूलिंग आज नहीं,कल दें। लेकिन इस पर गौर कर के रूलिंग दें। दूसरी बात श्रीमन्, यह है कि दो परसेंट का जो संशोधन मैंने रखा है, तो मान लें कि किसी मकान का किराया १० रुपये है....

श्री उपाध्यक्ष—आप जरा विराजिये। सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि सब दलों का और सरकार का यह समझौता हो गया कि लम्बे-चौड़े भाषण नहीं किये जायेंगे, २,५ और १० खंडों को सब समझते हैं। इसलिये मेरी अपील है कि आप संक्षेप में भाषण करें।

श्री कमलासिंह यादव—अगर केवल अंक ही रखना है तो किसी भी समय वह रिजक्ट कर सकते हैं। मैं असल में दो परसेंट की बेसिस क्या है यह बतलाना चाहता हूं। जहां तक २ प्रतिशत का सवाल है अगर आप १० प्रतिशत कर लगाते हैं तो मकानों पर उसका बहुत बोझ पड़ जायगा। जिस मकान की ऐनुअल वैल्यू १२ रुपये है उस पर १० से १२ रुपये पड़ जायगा। जैसा कि मैंने बताया कि गाजीपुर जिले में ३ आने रुपया हाउस टैक्स है तो आप देखें कि इस प्रकार से वहां २२ रुपये ८ आने कर हुआ। लेकिन आप देखें कि जो हाउस टैक्स पहले म्यूनिसिपैलिटी ने लगाया है वह तो अपनी जगह पर ही है, पर यह उसके अतिरिक्त १२ रुपये और देना पड़ेगा। सुपर टैक्स का कितना असर पड़ेगा वही मैं बताना चाहता हूं। अगर आप १० प्रतिशत लगायेंगे तो १२ रुपये एडीशनल देना पड़ेगा। यदि आप २२ रुपये ८ आने और १२ रुपये में जोड़ दें तो करीब ३५ रुपये देने पड़ जाते हैं। इस तरह से आप देखें कि आमदनी का ३० प्रतिशत देना पड़ जायगा। यह १/३ भाग जो टैक्स लगाया जा रहा है वह आप देखें कि कहां तक उचित है।

इसी तरह से आप देखें कि ५ प्रतिशत टैक्स लगाने पर ६ रुपये देना पड़ेगा और इस तरह से २८–२९ रुपये हो जायेंगे, यह करीब १/४ पड़ता है। मैं आपको २ प्रतिशत का भी उदाहरण देता हूं। यदि २ प्रतिशत रखा जाय तो २२ रुपये ८ आने और २ रुपये ८ आने तो इस तरीके से २५ रुपये होगा और २५ रुपये १/५ हिस्सा पानी २० प्रतिशत होगा यानी दशांश के मुकाबिले यह भी बहुत अधिक है। इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूं इस सदन के सामने। इसलिये आप से अनुरोध करूंगा कि आप कम से कम अगर २ प्रतिशत मान लें और उतना ही रखें तब भी २५ फीसदी हो जाता है। इतने ही में आप देखें कि गरीब किरायेदार की क्या पोजीशन होगी जो अपनी थोड़े में गुजर-बसर करता है। मैं समझता हूं कि यह सदन पूरे तौर पर खयाल करे उन लोगों की स्थिति पर जो कि अरबन एरिया में रह रहे हैं। इसलिये यह २ प्रतिशत का संशोधन हर तरीके पर मान्य और उपयुक्त होगा।

इस संबंध में मैं आप को हिन्दू राजाओं की बात बताता हूं। यह अंग्रेजों के जमाने के पहले जमाने की बातें हैं। उस समय उपज का दशांश यानी १/१० भाग लिया जाता था। पर उस समय यही कांग्रेस पार्टी कहा करती थी कि अंग्रेजों की मालगुजारी ज्यादा है और इस तरह से उसका विरोध करती थी। इसलिये मैं कहता हूं कि यह सरकार के उसूल कहां गये? आप अंग्रेजी हुकूमत में विरोध करते थे और अब उसी बात को जब हम दुहराते हैं तो आप क्यों नहीं मानते? आपको २ प्रतिशत के सुझाव को मानना चाहिये। आपकी पुरानी पालिसी कहां गई? जो गरीब लोग हैं, अरबन क्षेत्र के रहने वाले हैं आपको उनकी दशा परा भी कुछ विचार करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश कर रहा हूं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री बनारसीदास--श्रीमन्, मेरा एक निवेदन यह है कि सब नेताओं का इस पर फैसला हो चुका है। आज ४ बजेतक इस सदन में इसको पारित होना है। तमाम दलों के नेताओं ने, जो संशोधन हैं उनके ऊपर यह माना है कि कोई अपोजीशन नहीं होना चाहिये। श्री कमलासिंह यादव अपने पार्टी लीडरों के फैसले को अवहेलना कर रहे हैं और जो चीजें वे कह चुके हैं उन्हीं को वे बराबर दोहरा रहे हैं। ऐसी बात से कोई फैसला लेकर चलना आगे सदन में मुश्किल हो जायगा।

श्री दीपनारायणसिंह--मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--माननीय दीप नारायण जी, आप बैठें। यदि विरोधीदलों के नेताओं में कोई ऐसा समझौता हुआ है, जिससे हम लोगों को आपत्ति नहीं है तो उसे मानना चाहिये और उसी के मुताबिक काम करना चाहिये। लेकिन चेयर उसमें कम्पेल नहीं कर सकती है।

श्री कमलासिंह यादव--उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। नेताओं से वह कह दें कि वह प्रेस न करें और ऐसा करना सदन का टाइम वेस्ट करना होगा। जहां तक हम लोगों के संशोधन हैं हम लोग वह वापस ले लें और इस तरह से वह मामला खत्म हो जायगा।

श्री बनारसीदास--श्रीमन्, जब पार्टियां मान गयी हैं और जब उनकी कोई फंक्शनिंग है तो वह सभी को मान्य होनी चाहिये। अभी स्पीकर साहब के कमरे में यह सब बातें तय हुईं और आप तो स्पीकर साहब का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके सामने ही यह सब बातें हुई हैं। वहां पर श्री नरसिंह नारायण जी और राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे जी भी थे। उनके सामने मेरी बातें हुई हैं। उधर रामसुन्दर जी और डाक्टर अहमद बैठे हुए थे। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि इस प्रस्ताव पर बहस न होकर केवल क्लाजेज पेश कर दिये जायं और उस पर मत ले लिया जाय।

श्री दीपनारायणसिंह--मैं निर्दलीय सदस्य हूं। कांस्टीट्यूशन मेरे पास है। यह किताब पटक कर कह रहा हूं कि कहीं दलों की व्यवस्था इस कांस्टीट्यूशन में लिखी हो तो निर्दलीय सदस्य भी उससे पाबन्द होगा और तब मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन जबकि संविधान के अन्तर्गत जोकि हमारे सब के ऊपर है--यह किताब मैं फेंक कर चैलेंज करता हूं कि सत्ताधारी दल के सूचना मन्त्री इसको देखकर बतावें कि निर्दलीय सदस्य पर आपकी यह व्यवस्था कैसे लागू होती है? मुझे पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, प्रस्ताव रखने का।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मेरी बात सुन लें माननीय सदस्य, उसके बाद जो भी उचित समझें कहें इस विषय में। व्यक्तिगत रूप से पार्टी के नेताओं ने क्या तय किया हो यह तो उनका काम है। वास्तव में यह तो सदन की चीज हो चुकी है, तीन बार यहां पर इसी सदन में यह बात दोहराई गयी और सैंक्शन मिल चुकी कि आज ४ बजे तक यह बिल समाप्त हो जायगा.....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)--मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री विचित्रनारायण शर्मा--प्वाइंट आफ आर्डर पर मैं खुद कह रहा हूं। सदन की कंसेंट इसे प्राप्त हो चुकी है। अब एक-एक क्लाज को पढ़ कर मत लिया जायगा और ४ बजे से पहले अगर यह समाप्त हो जायगा तो जितना समय बचेगा उसमें सदन स्वतन्त्र है जो चाहे कार्यवाही करे। लेकिन अगर उस समय तक समाप्त नहीं होता तो फिर गिलोटिन होगा जो हमेशा होता आया है। यही बात मैं कई रोज से निवेदन कर रहा हूं आदरणीय सदस्यों से कि बहुत छोटी चीजों पर समय नष्ट न करें, तत्व की चीजों पर ज्यादा समय लें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, सदन में घोषणा कर देने से सदन का निश्चित मत हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जब प्रस्ताव आता है तो बाकायदा वोटिंग होती है, वह नहीं हुई, इसलिये यह सदन का मत नहीं है, ऐसी बात सूचना मन्त्री को नहीं कहनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—अभी निर्णय तो हुआ नहीं है, लेकिन जैसा सूचना मन्त्री ने प्रस्ताव किया है वह सदन के सामने है।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं प्रस्तावक हूं, आपकी आज्ञा से मैं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अभी तो व्यवस्था का प्रश्नचल रहा है।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जबकि यह प्रस्ताव सदन में पास नहीं हुआ, केवल मन्त्री जी ने घोषणा की थी, इसलिये यह गलत-बयानी है जो मन्त्री जी ने कहा कि पास हो चुका है। इसलिये मेरी अर्ज है कि इन शब्दों को मन्त्री जी वापस लें ताकि यह गलत-बयानी दूर हो।

श्री उपाध्यक्ष—कई बार उसका जिक्र हो चुका है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यह आक्षेप लगाया जा रहा है कि मैंने गलत बयानी की है। मैं यह कहता हूं कि मेरे सामने तीन बार यह प्रश्न सदन में आया है और उस पर उन लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की। एक बार की गयी, तो मैंने उस समय भी कहा था कि सदन की अनुमति है। उस समय मेरा थोड़ा-सा कुछ मजाक भी उड़ाया गया। यह तो सदन की रूलिंग हो चुकी है..... (व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री दीपनारायणसिंह—यह प्रश्न उपस्थित नहीं किया जा सकता....

श्री उपाध्यक्ष—इसका जिक्र कई बार हो चुका है, लेकिन फार्मली यह प्रस्ताव आया नहीं है। अब वह आया है, उस पर सदन की राय ली जायेगी। दीपनारायण जी, आप कृपया बैठिये। (व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह—मेरा प्वाइन्ट यह है कि मैं संशोधन का प्रस्तावक हूं और मुझे बोलने का अधिकार है। मेरे बोलने के पहले कोई प्रस्ताव नहीं आ सकता। प्रस्तावक को समय देने के लिये सदन बाध्य है, आप बाध्य हैं। आप किस नियम के अनुसार मेरा यह अधिकार खत्म कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठिये.....

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—मैंने उस समय भी विरोध किया था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठिये, प्रस्ताव के बाद आपको मौका मिलेगा.....

श्री दीपनारायण सिंह—श्रीमन्, यह मनी बिल है। मैं निर्दलीय सदस्य हूं और किसी पार्टी द्वारा किये गये निर्णय से मुझे पाबन्द नहीं किया जा सकता। मुझे कोई नियम बताया जाय.....

श्री कमलासिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने दीपनारायण जी को बोलने के लिये बुलाया था.....

(कई आवाजें—बुलाया नहीं था।)

श्री उपाध्यक्ष—वे बोलना चाहते थे, मैंने काल प्रधान किया था, लेकिन तब तक व्यवस्था का प्रश्न आ गया और उस पर बात चल रही है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ उसकी ग्राह्यता की शर्तें होती हैं। जो आपके नियम हैं, उनके अनुसार कोई प्रस्ताव नहीं आ सकता। नियम ३०० देखें, उसके अनुसार यह प्रस्ताव सदन में नहीं आ सकता है। उसके कुछ औचित्य होने चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—जब तक यह प्रस्ताव है कि पास हो गया है सदन में, तब तक उसकी क्या जरूरत है? मन्त्री जी के कथन को पहले निकाल दीजिये, तभी प्रस्ताव आ सकता है।

श्री दीपनारायणसिंह—नियमावली का नियम बतलावें।

श्री उपाध्यक्ष—क्लोजर का प्रस्ताव आ सकता है नियम २१३ के अन्तर्गत। लिहाजा अब चूंकि उनको इजाजत दे दी गई है, आप बैठिये, प्रस्ताव पेश होगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—प्वाइन्ट आफ आर्डर कहकर प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा, तो माननीय दीपनारायण सिंह जी, आप बोल लीजिये।

श्री दीपनारायणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन बहुत अहमियत रखता है। चूंकि सत्तारूढ़ दल स्वयं समाजवाद का हामी है और गरीबों पर कम टैक्स लगाना चाहता है, दाल में नमक के बराबर, इसलिये ५ फीसदी के संशोधन को न मानने के बाद उस से कम, २ फीसदी के संशोधन को मानने पर जरूर विचार होगा क्योंकि उसकी आत्मा और शब्दावली दोनों प्रकट करती हैं कि वह किसान, मजदूर और जनता के लिये कही जाने वाली व्यवस्था के हामी हैं। हम समाजवाद लाना चाहते हैं और विकास करना चाहते हैं। जो इस बिल की प्रस्तावना है, उसी के आधार पर यह प्रस्ताव रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप खंड पर बोलिये कि १० की जगह २ फीसदी होना चाहिये।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं कम से कम १५ मिनट तो लूंगा जरूर।

श्री उपाध्यक्ष—नहीं, आप बैठ जाइये।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं आपके प्रति सम्मान रखते हुए यह कह रहा हूं कि मेरी असंगत और असम्बद्ध बातों पर आप ध्यान न दें। यह कर लगाने की बात है। खंड ३ और फिर खंड ४ ही तो इस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप जल्दबाजी में पास करने की बात कहते हैं। अगर खंड ३ और ४ हटा दिये जावें तो इस विधेयक में रह ही क्या जाता है? इन्हीं खंडों में कर निर्धारण की नीति और पूंजीगत आय की परिभाषा दी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के बनाने वालों ने आर्टिकिल १९९ और उसके बाद के आर्टिकिल्स में मनी बिल्स के बारे में एक व्यवस्था दी है।

श्री उपाध्यक्ष—जो आप बोल रहे हैं उसका इस खंड से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह—इसका मतलब है कि मनी बिल्स बहुत महत्वपूर्ण क्यों हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं आपको चेतावनी देता हूं कि अगर आप नहीं मानेंगे और परसिस्ट करेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि आप बैठ जाइये।

श्री दीपनारायणसिंह—अगर मैं यह कहूं कि यह मनी बिल होने के कारण बहुत आवश्यक है, तो क्या यह असंगत या असम्बद्ध है?

श्री उपाध्यक्ष—जब बिल पर विचार करने का प्रस्ताव आया था तब ये सब बातें कही जा चुकी हैं।

श्री दीपनारायणसिंह—जल्दी पास करने की बात थी, समय निर्धारण करने की रोक थी, इसलिये मैंने यह बात कही।

अब आप सुनिये, मैं बिलकुल अपने संशोधन पर ही बोलूंगा। अंग्रेजी के नाटकों में एक शाइलाक का किस्सा मशहूर है। उसे मैं दोहराने कर समय नहीं लूंगा, क्योंकि माननीय उपाध्यक्ष का आदेश है कि समय अधिक न लूं। महापालिकाओं ने, नगरपालिकाओं ने, नोटिफाइड एरिया कमेटियों ने, इन सभी ने भी हाउसिंग टैक्स लगा रखे हैं। यह नया टैक्स और सरकार लगाने जा रही है। १० फीसदी के रूप में सवा महीने का किराया सरकार लेने जा रही है। नगरपालिका और सरकार के ये दोनों टैक्स मिलाकर किराये के २५ फीसदी हो गये।

श्री उपाध्यक्ष—ये सब आर्गुमेंट्स आ चुके हैं। आप विराज जाइये। अब आप नहीं बोलियेगा।

श्री दीपनारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अन्धेरखाते की बात है। अगर मैं यह कहूं कि नगरपालिकायें अलग टैक्स लगाती हैं हाउसिंग का, और यह सदन इसलिये ज्यादा टैक्स न ले, दाल में नमक के बराबर ले, तो यह कैसे असंगत है ?

श्री उपाध्यक्ष—आप नये आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं, इसलिये आप बैठ जाइये।

श्री दीपनारायण सिंह—मेरा कहना यह है कि इस प्रकार से डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिये। आप चाहते हैं कि मैं यह कह दूं कि इस टैक्सेशन को लगा दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—आप रिपीटीशन कर रहे हैं। यह नहीं चल सकता।

श्री दीपनारायण सिंह—मेरी शिकायत है कि करदाता से आप सेल्स टैक्स के रूप में भी वसूल करते हैं और भी टैक्स उसके ऊपर आपने लगा रखे हैं। इसलिये मेरा कहना है कि आप १० प्रतिशत के बजाय २ प्रतिशत टैक्स ही लगाइये। नगरपालिका का तो यह टैक्स लेना ठीक भी है कि वह अपने इलाके में सड़कें बनवाती है, सफाई कराती है, मगर उत्तर प्रदेश सरकार वहां क्या करायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—आप विराजिये, सुनिये।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं बोलूंगा। किस नियम के अन्तर्गत मेरे भाषण को नियंत्रित किया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं खड़ा हुआ हूं। आप बैठ जायं। (श्री दीप नारायण सिंह के न बैठने पर) श्रीमन्, आप बाहर चले जायं।

(श्री दीपनारायण सिंह इस समय बैठ गये।)

श्री उपाध्यक्ष—देखिये नियम २९१ में यह लिखा हुआ है—

> "अध्यक्ष, ऐसे सदस्य के, जो बार-बार असंगत बातें करे या स्वयं अपनी या अन्य सदस्यों द्वारा वाद-विवाद में प्रयुक्त युक्तियों की अरुचिकर पुनरावृत्ति करे, व्यवहार की ओर सभा का ध्यान दिलाने के उपरान्त, उस सदस्य का भाषण बन्द करने का निदेश दे सकेंगे।"

आप वही बातें कह रहे थे जो अभी तक आपके द्वारा या दूसरे माननीय सदस्यों के द्वारा कही जा चुकी हैं।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला आजमगढ़)—मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। आप उन शब्दों को बताइये जो उन्होंने दुहराये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि नियमावली के अन्तर्गत किस बात की पुनरावृत्ति हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—यह तय करना मेरा काम है। स्पीकर साहब ने भी यही व्यवस्था दी है।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—मैं एक प्रस्ताव रखने की आपसे आज्ञा चाहता हूं। सभी दलों के नेताओं में यह समझौता हुआ था कि ४ बजे तक यह बिल समाप्त हो जायगा। अतः मेरा प्रस्ताव है कि अब इस पर बहस समाप्त की जाय।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय दीप नारायण जी का भाषण अभी समाप्त नहीं हुआ, सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव कैसे आ गया?

श्री उपाध्यक्ष—मैं हर बात के लिये तैयार हूं लेकिन जैसा ये इस समय कर रहे हैं, यह बरदाश्त के काबिल नहीं है। ये बराबर उसी चीज को रिपीट करते हैं और कहने से मानते नहीं हैं।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं रिपीटीशन नहीं करूंगा। अगर करूं तो फौरन आप कह दीजिये।

एक सदस्य—माननीय दीपनारायणसिंह जी को आपने बाहर जाने के लिये कह दिया, फिर वे किसके आदेश से यहां बोलने जा रहे हैं?

श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी जो माननीय सदस्य ने कहा कि आपने माननीय दीपनारायण सिंह जी को बाहर निकल जाने के लिये कहा है, क्या यह सही है? यदि यह सही नहीं है, तो इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—यह सही है कि मैंने कहा था लेकिन यह खयाल करके कि ज्यादती न होने पाये और वह उस समय बैठ भी गये थे, मैंने उस पर जोर नहीं दिया।

श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय—आपने कह कर फिर उसे वापस ले लिया?

श्री उपाध्यक्ष—मैंने उस पर जोर नहीं दिया, इसीलिये वे यहां हैं।

श्री दीपनारायणसिंह—श्रीमन्, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरे इस अधिकार पर हमला होने से रक्षा कर ली। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी कम से कम मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं और गरीबों की हालत को जानते हैं। इटावा ऐसा शहर है जहां गरीब मेहतर, मजदूर सौ डेढ़ सौ रुपया सालाना किराया देने वाले मौजूद रहते हैं, १०० रु० तनख्वाह पाने वाले बाबू रहते हैं। आज आपके बहुत से कर्मचारी व चपरासी इस विधेयक की ओर टकटकी लगा कर देख रहे हैं और जो ५०, ६० या ७० रुपये तनख्वाह पाते हैं वे भी १५ रुपये महीना किराया दे रहे हैं और यदि आपने उन पर भी टैक्स लगा दिया तो उनको सवा या डेढ़ महीने का किराया, हाउस टैक्स के अलावा, इस कर के रूप में देना पड़ेगा। फिर वे क्या आपको दुआ देंगे और इनको दुआ देंगे? आप जरा अपने चपरासियों की दुर्दशा तो देखिये।

श्री उपाध्यक्ष—यह सब पहले कहा जा चुका है।

श्री दीपनारायणसिंह—मुझसे गरीब लोगों ने कहा है, इस कौंसिल हाउस के गरीब चपरासियों और क्लर्कों ने कहा कि यह तो बड़ा गजब हो जायगा, हम मर जायेंगे, अगर हमारे ऊपर भी यह नया हाउस टैक्स लगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप विराजिये।

श्री कृष्णानन्द राय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अब इस पर विवाद समाप्त किया जाय।

श्री दीपनारायणसिंह—श्रीमन्, मैं दो मिनट में खत्म कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं, अब खतम हो गया।

प्रश्न यह है कि अब इस संशोधन पर विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री कमलासिंह को उत्तर देने के लिय पुकारने पर।)

श्री कमलासिंह यादव—माननीय मन्त्री जी ने अभी जवाब दिया ही नहीं तो मैं क्या कहूं? पहले माननीय मन्त्री जी जवाब तो दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—आपकी तबियत हो तो जवाब दें, नहीं तो न दें।

श्री कमलासिंह यादव—हमेशा का यह कायदा है कि पहले मिनिस्टर साहब जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष—वे नहीं बोलना चाहते क्योंकि क्लोजर मूव हो गया है।

श्री कमलासिंह यादव—सबसे पहली बात यह है कि इस विधेयक के अन्दर १० परसेंट रखा गया है जबकि मैं २ परसेंट का प्रस्ताव लाया हूं। जिस तरह से यह टैक्स निर्धारित किया गया है, ठीक उसी तरह से म्युनिसिपल ऐक्ट की धाराओं के अन्तर्गत हाउस टैक्स व वाटर टक्स निर्धारित किया गया है। तो यह भी एक तरीके का नया विधेयक लाया गया है और वह भी एक दूसरे तरह का हाउस टैक्स ही है। दोनों की विधियां वही हैं। जिस तरह से रेंट को एनुअल वैल्यू मान कर हाउस टैक्स लगाया जाता है इसी प्रकार से इस टैक्स को दूसरे रूप में लगाया गया है। यह तो एक तरह से डबल टैक्सेशन है जो किसी तरह से भी काबिले बर्दाश्त नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो पहले भी आप कह चुके हैं। डिबेट में यदि कोई नयी बात कही गयी हो तो उस सम्बन्ध में आप कहें।

श्री कमलासिंह यादव—जब आपने डिबेट पर एक आदमी के सिवा किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया तो उस पर हम लोग क्या कह सकते हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे अब कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'दस' के स्थान पर 'दो' कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री दीपनारायणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, क्यों मौका दिया जा रहा है उनको सदन में आने का?

श्री उपाध्यक्ष—घंटी बज रही है वह तो आयेंगे ही। आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं, बैठिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या आप बार-बार घौंस दे रहे हैं? कौन गड़बड़ कर रहा है.....

श्री उपाध्यक्ष—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद जी, आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं, यह अनुचित है।

श्री दीपनारायणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री यादवेन्द्र दत्त—उपाध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक समझ पाया, शायद माननीय सदस्य का मतलब यह था कि घंटी बज रही है और सदस्यगण इधर-उधर से आ रहे हैं, उन का कहना यह था कि ३ मिनट हो चुके हैं और घंटी बज रही है और लोग आये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उप खंड (१) की तीसरी पंक्ति में 'दस' के स्थान पर 'दो' कर दिया जाय।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसीदास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जबतक यह विधेयक पारित न हो, तबतक सदन की बैठक जारी रहे।

श्री चन्द्रजीत यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह परम्परा बहुत गलत है कि समय की कोई सीमा ही न हो, सीमित समय के लिये सदन का समय बढ़ाया जाय, उस की कोई सीमा होनी चाहिये। अगर सदन आवश्यक समझे तो निश्चित समय बढ़ा दिया जाय, लेकिन असीमित समय बढ़ाने का प्रस्ताव लाना एक गलत परम्परा होगी।

श्री ऊदल—श्रीमन्, यह अन्धेरगर्दी हो रही है, जितना चाहे समय बढ़ा रहे हैं।

गृह उप-मन्त्री (श्री नवलकिशोर)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय चन्द्रजीत जी की आपत्ति को सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ। इत्तफाक से मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। उस में डाक्टर अहमद साहब कम्युनिस्ट नेता भी थे, दुबे जी भी थे, श्री नरसिंह नारायण जी भी थे और वहां यह तय हुआ था कि इस बिल को १२ तारीख को ४ बजे तक पारित कर दिया जायगा और बाकी समय में सेल्स टैक्स का संशोधन विधेयक आयेगा। अभी कुछ समय पूर्व नेता विरोधी दल ने और कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया था और उस समय कुछ लोगों ने यह कहा था कि नेता लोगों ने कुछ भी कहा हो हम को आजादी है बोलने की और आपने मौका दिया। अब चूंकि यह बिल आज पास होना है, इसलिये यह प्रस्ताव लाया गया।

श्री यादवेन्द्रदत्त—उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बनारसी दास जी से बात हुई थी और उस समय जब स्पीकर साहब के यहां बात हो रही थी तो यह सही है कि यह विचार था कि जो संशोधन सरकार को मान्य हों उनको वह स्वीकार कर ले और बाकी संशोधनों पर विचार कर के इस बिल को ४ बजे तक पारित कर दिया जाय। उस समय यह कैन्टोनमेंट का प्रश्न नहीं था। मैं आज भी कहता हूं कि और मानने को तैयार हूं कि ४ बजे तक यह बिल समाप्त किया जाय। परन्तु जो परिधि बढ़ायी गई है कैन्टोनमेंट को लाकर उसको छोड़ कर बाकी विधेयक पास हो जाय ४ बजे तक। सरकार को जो संशोधन मानना है उसको कह दे, स्वीकार हैं और बात समाप्त की जाय। माननीय नवल किशोर जी ने जो बात कही है उसको मानते हुए मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—जो समझौता हुआ था वह तो वास्तव में मालूम होता है कि समझौता हुआ था। लेकिन हमारे सामने प्रश्न यह है कि बिना इस तरह का प्रस्ताव पास हुए यहां हम उसको एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। इसलिये जो प्रस्ताव पेश हुआ है उसको मान लें या उस तरह का प्रस्ताव मान लें।

श्री यादवेन्द्र दत्त—मैंने श्रीमन्, अपनी बात आपके द्वारा सरकार के सामने रख दी।

श्री बनारसीदास—जैसा नेता विरोधी दल ने कहा है यह समझौता इस प्रकार का हुआ था और उस समय यह अन्दाज नहीं लगाया जा सकता था कि क्या क्या संशोधन होंगे। लेकिन ४ बजे तक बाकी को पारित कर दें तथा कैन्टोनमेंट को अगर उसमें शामिल किया जाय तो जो इसका खंड २ है उसके बारे में थोड़ा समय और बाद में लिया जा सकता है। इसलिये खंड २ को छोड़कर बाकी विधेयक ४ बजे तक पारित कर लिया जाय और उसके बाद खंड २ को ले लिया जाय।

श्री यादवेन्द्र दत्त—एक दिन को सरकार ने अपने ही संशोधनों में ले लिया था जो कैन्टोनमेंट के बारे में थे। स्पीकर साहब के कमरे में यह बातचीत हुई थी यह ठीक है, मैं उसको मानने को तैयार हूं कि ४ बजे तक पारित कर लिया जाय। लेकिन जो केन्टोनमेंट को इसमें शामिल किया जा रहा है उसके लिये समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—तो आप ऐसा प्रस्ताव कर दीजिये।

श्री बनारसीदास—तो मेरा जो पहला प्रस्ताव है, मैं समझता हूं विरोधी दल के नेता का संशोधन मान लेना चाहिये कि ४ बजे तक इसको पारित किया जाय केवल उस संशोधन को छोड़कर जो कैन्टोनमेंट के सबंध में है।

श्री दीपनारायणसिंह—खंड ५ को भी छोड़ दिया जाय क्योंकि वह भी बहुत महत्व पूर्ण है जिसमें यह है कि किससे टैक्स वसूल किया जायगा। उसमें जहां रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होना चाहिये उसके टेनेन्ट को कम देना पड़ता है इसलिये टेनेन्ट से ले। उसमें भी महत्व-पूर्ण संशोधन है। उसको कल के लिये कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—इस सबंध में कि चार बजे तक पारित हो, बात कर ली है।

श्री यादवेन्द्र दत्त—श्रीमन्, मैं सहमत हूं बनारसी दास जी से कि ४ बजे तक यह पारित हो और जो संशोधन हैं वे बिना वादविवाद के पढ़ कर वोटिंग उन पर ले लीजाय तथा कैन्टोनमेंट के सबंध में जो सरकारी संशोधन आ रहे हैं उन पर अलग विचार हो।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, सरकार का कोई संशोधन नहीं हैं। जो भी संशोधन हैं वे सदस्यों की तरफ से हैं। माननीय जगदीश प्रसाद जी भी सदन के एक सदस्य हैं जिस प्रकार अन्य सदस्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस विधेयक पर जितने संशोधन बाकी हैं उन पर, सिवाय उन संशोधनों के जो कैन्टोनमेंट के संबंध में हैं, आज कोई वाद विवाद नहीं होगा और ४ बजे तक वे समाप्त कर दिये जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रबली—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ के अन्तिम शब्द 'अधिक न हो', के पश्चात् निम्न वाक्यांश जोड़ दिया जाय—

"किन्तु यह कर उस भूमि और भवन पर लगेगा जिससे ३,२०० रुपये से ज्यादा वार्षिक आमदनी होती हो।"

श्री उपाध्यक्ष—श्री विचित्र नारायण शर्मा.....

श्री चन्द्रबली—मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिये। यह कैसी व्यवस्था है?

श्री उपाध्यक्ष—हाउस को हक है व्यवस्था तय करने का।

श्री चन्द्रबली—यह जरूरी चीज है। उस पर आप बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह सदन की व्यवस्था है, मेरी नहीं। अब इन संशोधनों को मैं पढ़ूं या वे सदस्य पढ़े जिनके नाम से ये संशोधन हैं।

एक सदस्य—सबसे अच्छा यह है कि श्रीमन् खुद पढ़ें और पहले भी जब गिलोटिन होता था तो श्रीमन् खुद ही पढ़ते थे ।

श्री उपाध्यक्ष—चन्द्रबली सिंह का प्रस्ताव माननीय मंत्री स्वीकार करते हैं या नहीं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री चन्द्रबली—हमको इस पर बोलने का मौका आपने नहीं दिया । मैं आपकी व्यवस्था के खिलाफ १० मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री चन्द्रबली ने सदन का परित्याग किया ।)

श्री उपाध्यक्ष—मेरी व्यवस्था नहीं है, सदन की व्यवस्था है ।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ के अन्तिम शब्द 'अधिक न हो', के पश्चात् निम्न वाक्यांश जोड़ दिया जाय—

'किन्तु यह कर उस भूमि और भवन पर लगेगा जिससे ३,२०० रुपये से ज्यादा वार्षिक आमदनी होती हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री दीपनारायणसिंह—मैं भी इस व्यवस्था के विरोध में वाक आउट करता हूं । जनवादी अधिकार है प्रस्ताव पर बोलने का ।

(श्री दीपनारायण सिंह ने सदन का परित्याग किया ।)

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं नाम पुकार दूंगा । वह सदस्य खड़े हो जायेंगे और उस संशोधन को मैं पुट कर दूंगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र—बार बार संशोधन आप क्यों पुट करते हैं ? अच्छा यह होगा कि यह प्रस्ताव आ जाय कि पूरा बिल पास समझा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—जो किया जा रहा है वैसी ही होता है । लोक सभा में भी ऐसा ही होता है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मेरा निवेदन यह है कि अगर आप संशोधन पढ़ते चले जायेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सरकार ने माना और कौन नहीं माना । पहले मंत्री जी कम से कम स्वीकार तो करें कि फलां संशोधन हमने माना ।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो वे करेंगे ही ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) की अन्तिम पंक्ति निकाल दी जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"जैसा नियमों द्वारा नियत किया जाय"

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अस्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की अंतिम पंक्ति निकाल दी जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"जैसा नियमों द्वारा नियत किया जाय" ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री शराफत हुसैन रिजवी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) का प्रथम प्रतिबंध बदल कर इस प्रकार रख दिया जाय—

"प्रतिबंध यह है कि उस भूमि के संबंध में कर, जो भवन से अनुलग्न हो, जहां तक उस (भूमि) का क्षेत्रफल आधे एकड़ से अधिक न हो, उक्त भवन के संबंध में देय कर में सम्मिलित समझा जायेगा और यदि ऐसी भूमि का क्षेत्रफल आधे एकड़ से अधिक हो तो समस्त भूमि पर कर पृथक रूप से लगाया जा सकेगा ।"

श्री विचित्र नारायण शर्मा—नामंजूर ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) का प्रथम प्रतिबंध बदल कर इस प्रकार रख दिया जाय—

"प्रतिबंध यह है कि उस भूमि के संबंध में कर, जो भवन से अनुलग्न हो, जहां तक उस (भूमि) का क्षेत्रफल आधे एकड़ से अधिक न हो, उक्त भवन के संबंध में देय कर में सम्मिलित समझा जायेगा और यदि ऐसी भूमि का क्षेत्रफल आधे एकड़ से अधिक हो तो समस्त भूमि पर कर पृथक रूप से लगाया जा सकेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलासिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबंध की पंक्ति २ में शब्द 'एक एकड़' के स्थान पर शब्द '१/१० एकड़' कर दिया जाय और पंक्ति ३ में भी 'एक एकड़' के स्थान पर '१/१० एकड़' कर दिया जाय ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नामंजूर ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबंध की पंक्ति २ में शब्द 'एक एकड़' के स्थान पर शब्द '१/१० एकड़' कर दिया जाय और पंक्ति ३ में भी 'एक एकड़' के स्थान पर '१/१० एकड़' कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबंध बढ़ा दिया जाय—

"प्रतिबंध यह भी है कि उस भवन पर यह कर नहीं लगेगा जो झोपड़ी, मिट्टी एवं ईंट की दीवाल—खपरैल से छाई हो और स्वामी स्वयं इस्तेमाल में लाता हो ।"

श्री विचित्र नाराय शर्मा—नामंजूर ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबंध बढ़ा दिया जाय—

"प्रतिबंध यह भी है कि उस भवन पर यह कर नहीं लगेगा जो झोपड़ी, मिट्टी एवं ईंट की दीवाल—खपरैल से छाई हो और स्वामी स्वयं इस्तेमाल में लाता हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलासिंह यादव—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के दूसरे प्रतिबंध के बाद निम्नलिखित प्रतिबंध जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबंध यह है कि जिन म्युनिसिपल बोर्ड, नगर क्षेत्र, टाउन एरिया तथा नोटीफाइड़ एरिया में टैक्स या कर निर्धारण न हुआ हो उसका कर निर्धारण अध्याय ३ के मुताबिक किया जायगा ।"

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नामंजूर ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के दूसरे प्रतिबंध के बाद निम्नलिखित प्रतिबंध जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबंध यह है कि जिन म्युनिसिपल बोर्ड, नगर क्षेत्र, टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया में टैक्स या कर-निर्धारण न हुआ हो उसका कर निर्धारण अध्याय ३ के मुताबिक किया जायगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) को निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(३) निर्धारित कर में से तत्समय देय किसी अन्य प्रकार का कर निकाल दिया जायगा।"

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नामंजूर।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (३) को निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(३) निर्धारित कर में से तत्समय देय किसी अन्य प्रकार का कर निकाल दिया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) के बाद निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबंध यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (ख) में वर्णित ऐसे किराये पर उठाई भूमि या भवन पर कोई कर देय नहीं होगा कि जिसके हेतु ६०० रुपये वार्षिक किराया या ५० रुपया मासिक किराया तक उस स्वामी को देय हो।"

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नामंजूर।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (३) के बाद निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबंध यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (ख) में वर्णित ऐसे किराये पर उठाई भूमि या भवन पर कोई कर देय नहीं होगा कि जिसके हेतु ६०० रुपया वार्षिक किराया या ५० रुपया मासिक किराया तक उस स्वामी को देय हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है कि इस समय कौन-सी परम्परा अख्तियार कर रखी है, हमें बता दें।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो हाउस का प्रस्ताव है, वही परम्परा है।

श्री उग्रसेन—अगर ऐसी व्यवस्था लागू हो और ऐसा कर लगायें तो रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी स्वयं बिल पास कर लें। देखिये सरकारी पार्टी को ऐसा प्रस्ताव नहीं लाना चाहिये था। जिस तरह डंडे के बल पर सरकार टैक्स लगा रही है . . . .

श्री उपाध्यक्ष—यह तो हाउस का ही प्रस्ताव था।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं कहता हूं कि जो प्रस्तावक हैं उनको पांच मिनट दीजिये और मंत्री जी को दीजिये। यहां हाउस के साथ अन्याय है। जनता ने हमें चुनकर भेजा है कि टैक्स लगने न दो और वही हम कर रहे हैं और आप रामायण पढ़ते चले जा रहे हैं। हम इसे बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। हमें जनतांत्रिक अधिकार दें कि हम बिल का

विरोध कर सकें । हमको हमारे अधिकारों से वंचित करते हैं तो हमें निकालकर फिंकवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—हाउस का प्रस्ताव है । उसी के मुताबिक यह हो रहा है ।

श्री उग्रसेन—आपको ऐसे प्रस्ताव को आने की अनुज्ञा नहीं देनी चाहिये थी । श्रीमन्, विधान सभा क्या है ? उसमें अध्यक्ष हैं, आप हैं, विरोधी पक्ष है और सरकारी पक्ष है । इसीलिये विरोधी दल को जनता ने भेजा है कि....

श्री उपाध्यक्ष—अब आप विराज जाइये ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, हम इसको बरदाश्त नहीं कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—आप मेरी भी बात सुनेंगे या अपनी ही बात कहते चले जायेंगे ?

श्री उग्रसेन—हमारा कहना यह है कि जिनका प्रस्ताव है उनको ५ मिनट दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रस्ताव समझौते के तरीके से हुआ और सारे सदन ने इसको स्वीकार किया, एक भी वायस खिलाफ नहीं थी ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, किसने किया ?

श्री उपाध्यक्ष—सब महानुभावों ने तय किया ।

श्री उग्रसेन—यह आत्मघाती समझौता है । सोशलिस्ट पार्टी इसको नहीं मानती है । पूछिये महानुभाव लोग बोलना चाहते हैं या नहीं, टैक्स का विरोध करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—लीडर आफ अपोजीशन ने सपोर्ट किया था ।

श्री उग्रसेन—लीडर आफ अपोजीशन ने सपोर्ट किया था ? वह यहां पर नहीं मौजूद हैं । हम समाजवादी दल के नेता हैं, कार्यकर्त्ता हैं, हम उसका विरोध करते हैं । जो अब बोलना चाहें बोलने दीजिये । जो समर्थन करना चाहें करने दीजिये और जो विरोध करना चाहे उसको विरोध करने दीजिये । मैं इस अजनतांत्रिक रवैये का घनघोर विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो कोई जनतांत्रिक तरीका नहीं है कि एक प्रस्ताव पास हो जाय....

श्री उग्रसेन—किसी को बोलने न दिया जाय यह तो कहीं नहीं होता । न पार्लियामेंट में होता है और न किसी विधान सभा में । अगर ऐसा है तो कह दीजिये कि हम १८८ सदस्य चले जायं और माननीय गुप्ता जी चौधरी की चौपाल में बिल पास करवा लें ।

श्री बनारसीदास—मुझे बड़ा खेद है और यदि मैं असत्य कह रहा हूं तो मेरे खिलाफ श्री उग्रसेन यहां विशेषाधिकार का प्रश्न लाएं । श्री उग्रसेन माननीय विरोधी दल के नेता के कमरे में मौजूद थे और इस बात की साक्षी दुबे जी देंगे कि उग्रसेन जी स्वयं इस प्रस्ताव पर सहमत थे ।

श्री उग्रसेन—मैं बिलकुल सहमत नहीं हुआ । माननीय बनारसीदास जी कह रहे हैं कि वह बिलकुल सत्य नहीं है । माननीय दुबे जी कह दें, मैं एक जबान भी बोला था । अगर मैंने कहा होगा तो मैं असेम्बली की मेम्बरी से इस्तीफा दे सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—अब तो एक बात हमारे सामने....

श्री उग्रसेन—दुबे जी की गवाही आप ले लीजिये कि उग्रसेन ने क्या कहा ।

श्री बनारसीदास—मैं माननीय दुबे जी से कहूंगा कि वह बताएं उग्रसेन जी ने माना था या नहीं ।

श्री उग्रसेन—मैंने बिलकुल नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना। जनता का गला घोंटा जाय और उग्रसेन जैसा आदमी मानेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—वहां माना या नहीं माना, लेकिन यहां हाउस में एक प्रस्ताव पेश हुआ।

श्री उग्रसेन—मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूं। हाउस मेरे प्रस्ताव पर विचार करे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव कर्त्ता को और जवाब देने वाले को पांच-पांच मिनट दे दिये जायं। आप इस प्रस्ताव को पुनः रखें। हाउस पुनर्विचार भी कर सकता है। संसदीय परम्परा का अनुकरण करें।

श्री उपाध्यक्ष—यह संसदीय परम्परा है कि आप सुनते नहीं ?

श्री उग्रसेन—नहीं, मैं बैठता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—यहां सदन में यह प्रस्ताव आया था और विरोधी दल के नेता ने समर्थन किया था उसके बाद सब लोगों ने उसको पास किया था। माननीय उग्रसेन उस वक्त उपस्थित नहीं थे। अब कोई प्रस्ताव पास हो जाय फिर एक माननीय सदस्य आकर यह कहें, तो वह बात तो उचित नहीं।

श्री उग्रसेन—हमारे साथियों ने विरोध किया। राधेश्याम जी ने विरोध किया...

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव तो पास हुआ, साहब।

श्री राधेश्याम शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो यह मालूम है कि हमने कल भी इसका विरोध किया था और आज भी किया।

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव पास हुआ या नहीं ?

श्री राधेश्याम शर्मा—यह तो दूसरी बात है।

श्री उग्रसेन—माननीय बनारसीदास जी ने क्यों कहा कि उग्रसेन ने माना ?

श्री बनारसीदास—मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि उन्होंने माना था।

श्री उग्रसेन—मैंने बिलकुल नहीं माना। जो वह कह रहे हैं वह बिलकुल सत्य से परे है। जनता पर टैक्स लगा रहे हैं और हम से उम्मीद करते हैं कि हम उसका समर्थन करें।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय उग्रसेन, एक प्रस्ताव पास हो गया, उसी तरह से अब चलेगा।

श्री कमलासिंह यादव—विरोधी पक्ष के लोगों में और 'हां' पक्ष के लोगों में यह बात हुई थी कि चार बजे तक इस विधेयक को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसी बात कोई नहीं हुई थी कि कम से कम जो संशोधन उपस्थित करेगा वह भी न बोल सके.....

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन सवाल तो यह है कि जो तय कर दिया हमारे हाउस ने उसी पर तो चलिये न.....

श्री कमलासिंह यादव—उसी के लिये मैं अर्ज कर रहा था कि जो हमारे आपके बीच समझौता हो गया कि चार बजे तक स विधेयक को पास कर देंगे तो उसके बाद यह ज्यादती करने की क्या जरूरत है कि हम बोल भी न सकें, रिहर्सल करें, खड़े हों, और मन्त्री जी कह दें कि नामंजूर, इसकी क्या आवश्यकता है ? मैं तो कह रहा हूं कि जो संशोधन प्रस्तुत-कर्त्ता है उसे आप बोलने का मौका दें और उसके बाद मन्त्री जी नामंजूर कर दें और फिर चार बजे बन्द कर देंगे। लेकिन कम से कम इतनी सुविधा तो होनी चाहिये और इतना मौका तो कम से कम मिलना चाहिये कि वह कुछ बोल सकें।

(इस समय ३ बजकर २४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री यादवेन्द्र दत्त—मेरा खयाल है कि कुछ गलतफहमी हो गई है लोगों को। यहां निर्णय यह हुआ कि बनारसी दास जी ने प्रस्ताव किया कि जब तक यह बिल पास न हो जाय तब तक सदन बैठे। मैंने यह संशोधन उस पर रखा कि जो सरकार को मान्य है वह संशोधन वह मान ले और जो बाकी हैं वह चार बजे तक हो जायं, लेकिन जो कैंटोनमेंट वाला उसकी परिधि बढ़ाने का प्रश्न है उसके लिये विवाद अलग हो। माननीय बनारसी दास जी ने मेरी बात मान ली। अब मैं क्या कहूं? शायद लोग मेरी बात न समझ पाये हों कि आखिर कैंटोनमेंट में क्या विवाद है, तो कैंटोनमेंट में तो कम्प्लीट विवाद है। इसलिये मैं सब ओर अनुरोध करूंगा कि जो यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, उसके अनुसार कार्य सदन का सुचारु रूप से चले। उसके बाद कैन्टोनमेंट का जब फिर से डिसकस करेंगे तो अलग उसके ऊपर डिसकशन होगा और उसमें सारी बातें आयेंगी। इसीलिये मैंने कहा कि थोड़ा भ्रम हो गया शायद। वह सारी बातें तो आप अमेंडमेंट में कहना चाहते हैं वह कैंटोनमेंट पर विवाद में कह सकते हैं। यह बात लोगों के सामने आ जाय, मैंने इसको स्पष्ट किया। इसलिये मैं सब ओर अनुरोध करूंगा कि जो प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है, उसके अनुसार सदन का कार्य चले तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—यह प्रस्ताव जो आया था वह सदन ने स्वीकार कर लिया है?

कई सदस्य—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो अब उग्रसेन जी, क्या कहना चाहते हैं?

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि जिन-जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने संशोधन रखे हैं, उनको पांच मिनट बोलने का समय दिया जाय। मैं जब आया और उस समय जो हमारे माननीय सदस्य यहां थे उन्होंने इसका विरोध किया था। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है आपसे और आपके द्वारा इस सदन से कि उन्हें पांच मिनट अपने तर्कों को प्रस्तुत करने का अवसर आप दें और उसके बाद माननीय मन्त्री जी चाहें जवाब दें, चाहें न दें, फिर चाहे प्रस्ताव गिर जाय, लेकिन उनकी बात तो हो जायगी। माननीय दुबे जी ने कहा कि कैंटोमेंट पर सब बहस हो जायगी। मेरी समझ में नहीं आता कि उसमें यह सब कैसे आ जायगा। हसुआ का ब्याह खुरपा से कैसे हो जायगा? तो यह नहीं हो सकता। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह टैक्सों का, कर भार को बढ़ाने का विधेयक है। हमारे क्षेत्र की जनता और सबके क्षेत्र की जनता कहती है कि जाकर इसका विरोध करो, इसलिये विरोध करने के लिये पांच-पांच मिनट तो आप दे दें। उस के लिये मैं प्रस्ताव रख रहा हूं कि हर माननीय सदस्य को पांच-पांच मिनट आप बोलने का समय दें।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि मैं अपनी बात माननीय उग्रसेन को न समझा सका। विरोध करने के लिये जनता कहती है यह सही बात है लेकिन जिस समय कि १०३ और ७५ के वोट से सरकार जीती थी, क्वांटम आफ टैक्स के मामले में उस समय हमारे विरोध करने वाले लोग कहां थे? (व्यवधान) हममें से बहुत से नहीं थे। परन्तु मैं कहता हूं कि एक परम्परा के अनुरूप चाहे उससे हम सहमत हों या न हों, कार्य चलना चाहिये। हम इनके इस टैक्सेशन के घोर विरोधी हैं और उस विरोध के कारण हमने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। लेकिन सदन का कार्य चले। आखिर आज ये बैठे हैं, कल हम बैठ सकते हैं और परसों सोशलिस्ट पार्टी बैठ सकती है। मैं चाहता हूं कि इस सदन का कार्य चले। जो टैक्स लग रहा है उसका हम भी विरोध करते हैं और घोर विरोध करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि हंसिब्या का याह खुरपी से करने की आवश्यकता नहीं। हमको अपनी बात कहने का फिर से अवसर मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—जो सदन ने तय कर लिया है वह ठीक है।

श्री रामसन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय जगदीश शरण अग्रवाल ने छावनी के सम्बन्ध में रखा था आपको याद होगा, ७ तारीख को ठीक ३ बजे इस सदन में पेश किया था वह २ घंटा उस दिन चला ५ बजे तक और फिर वह १० तारीख को भी शाम तक चला। इसके माने यह हुये कि ५ घंटा मेरा समय अधिक लिया गया। जो फैसला आपके कमरे में हुआ था उससे ज्यादा ५ घंटे का मेरा समय लिया गया। अब मैं आपसे, माननीय बनारसीदास जी से और विरोधीदल के नेता से निवेदन करूंगा कि जो हम लोगों ने आपके कमरे में बैठकर निर्णय लिया था उसके अलावा यह ५ घंटे का समय लिया गया। जो हमने निर्णय लिया था उस निर्णय के अनुसार ५ घंटे का समय हमको नहीं मिलता है। ५ घंटे का समय जो हमको मिलना चाहिये था वह हमको नहीं मिला। अगर वह समय, मेरा खयाल है, कि बरकरार रहता तो सम्भवतः हमारे जितने संशोधन हैं उन संशोधनों पर ५ मिनट या २ मिनट में हम अपनी राय जाहिर कर देते।

श्री अध्यक्ष—यह ठीक है। अब मैं यह तय करता हूं कि दो-दो मिनट सब बोल लें।

श्री कमलासिंह यादव—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड ३ और प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक खंड के बाद निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय....

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, इसमें आपने लिखा है कि "६०० रुपये वार्षिक किराये या ५० रुपये मासिक किराये तक उस स्वामी को देय हो।" यह सदन पहले निर्णय कर चुका है और ५ रुपये या २ रुपये का संशोधन सदन नामंजूर कर चुका है। अब जो ये ५० रुपये मासिक का जो यह संशोधन लाना चाहते हैं तो वह स्वीकार नहीं हो सकता है। जब २ या ५ रुपये की बात को सदन में नहीं माना तो ५० रुपये को कैसे मान सकता है।

श्री अध्यक्ष—इनको पेश करने दें। आगे हम देख लेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) और प्रस्तावित प्रतिबन्धात्क खंड के बाद निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय "किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (ग) में वर्णित किराये पर उठायी गई भूमि अथवा भवन पर कोई कर देय नहीं होगा कि जिसके हेतु ६०० रुपया वार्षिक किराया या ५० रुपये मासिक किराये तक उस स्वामी को देय हो"।

अध्यक्ष महोदय, असल में जो यह संशोधन रखा गया है वह इसलिये कि सरकार के नियम अनुसार ५०० रुपये तक पाने वाले कर्मचारी लोअर ग्रेड के कर्मचारी हैं....

श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि उपाध्यक्ष के समय में यहां पर एक प्रस्ताव पास हुआ कि कोई सदस्य अपना प्रस्ताव पेश नहीं करेगा, उपाध्यक्ष महोदय प्रस्ताव पेश करेंगे और उस पर मत ले लिया जायगा। उसके बाद अब अगर सदन में फिर प्रस्ताव सदस्य करेंगे तो उससे पहले प्रस्ताव का क्या मूल्य रहा?

श्री अध्यक्ष—आप ठीक कहते हैं, लेकिन परिस्थिति को देखकर परिवर्तन कर लें तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—सरकार का यह अपना नियम है कि ५०० रुपये तक पाने वाले कर्मचारी लोअर ग्रेड के कर्मचारी हैं और उसके ऊपर तनख्वाह पाने वाले अपर ग्रेड के कर्मचारी हैं। जो ५०० रुपये पाते हैं उनसे नियम के मुताबिक, जो मकान सरकार के बने हुये हैं, उनका किराया ५० रुपया १० परसेंट के हिसाब से सरकार लेती है। इसी तरीके से ज्यादा से ज्यादा जो किराया उनसे वसूल किया जायगा वह ५० रुपया होगा, जो किराया कम से कम चार्ज किया जायगा वह ५० रुपये महीना होगा और इस तरह वार्षिक

किराया ६०० रुपये होगा। तो सरकार, जिसने खुद नियम बनाये हैं कि ५० रुपया लोअर ग्रेड के कर्मचारियों से किराया लिया जायगा, उसी की भावना देख कर मैंने संशोधन रखा है कि ५० रुपया तक के किराये के मकानों को इससे मुक्त कर दिया जाय। यह सरकार के नियमों के अनुकूल है और मैं आशा करता हूं कि सरकार को इसे मान लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (३) और प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक खंड के बाद निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय—

"किंतु प्रतिबन्ध यह भी है कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (ग) में वर्णित किराये पर उठायी गयी भूमि अथवा भवन पर कोई कर देय नहीं होगा कि जिसके हेतु ६०० रुपया वार्षिक किराया या ५० रुपया मासिक किराये तक उस स्वामी को देय हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री उग्रसेन द्वारा विभाजन की मांग होने पर)

श्री अध्यक्ष—अब आप बैठिये।

श्री उग्रसेन—यदि संसदीय परम्पराओं के अन्तर्गत विभाजन मांगना उचित है, तो वह दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—यदि संसदीय परम्पराओं की बात है तो सदन ने जो तय किया है उसको आप मानें।

श्री उग्रसेन—दो मिनट बोलने की आपने व्यवस्था दी.....

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) और द्वितीय प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक खंड के बाद निम्नलिखित तृतीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसी झोपड़ी या उसके भाग के सम्बन्ध में उसके स्वामी से कोई कर वसूल नहीं किया जावेगा यदि वह किराये पर न उठाया गया हो।"

चूंकि माननीय मन्त्री जी ने झोपड़ी पर कर न लगाने की बात मान ली है इसलिये मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

पूंजीगत मूल का अवधारण

४—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी भूमि या भवन का पूंजीगत मूल्य निम्नलिखित धनराशि के बराबर समझा जायगा—

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९

(१) यदि भूमि या भवन के वार्षिक मूल्य (annual value) का अवधारण यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ या नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ या यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के उपबन्धों के अधीन पहले ही किया जा चुका हो, तो इस प्रकार अवधारित वार्षिक मूल्य अथवा उपर्युक्त किसी अधिनियम के अधीन समय-समय पर यथा परिवर्तित वार्षिक मूल्यः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी भूमि या भवन के विषय में कर निर्धारण प्राधिकारी की यह राय हो कि उसका इस प्रकार से अवधारित वार्षिक मूल्य, भूमि या भवन में उक्त वार्षिक मूल्य के अवधारण के बाद में होने वाले किसी परिवर्तन के कारण, अपर्याप्त या अत्यधिक हो गया है, तो वह खंड (२) के उपबन्धों के अनुसार उसका पूंजीगत मूल्य अवधारित कर सकता है और

यू० पी० एक्ट संख्या २, १९१४

(२) उन मामलों में जो खंड (१) के अन्तर्गत न आते हों—

(क) यदि भवन कोई होटल, फैक्टरी अथवा ऐसा अन्य भवन हो जो नियत किया जाय, तो उस धनराशि का बीसवां भाग, जो भवन का निर्माण करने की वर्तमान अनुमानित लागत को उससे अनुलग्न भूमि के अनुमानित मूल्य में जोड़ देने से प्राप्त हो,

(ख) यदि भूमि या भवन किराये पर उठा दिया गया हो, तो, यथा-स्थिति, वार्षिक किराये अथवा मासिक किराये का बारह गुना, जो उस (भूमि या भवन) के लिये स्वामी को देय हो, तथा

(ग) यदि भूमि या भवन जो उपखंड (क) के अन्तर्गत आने वाला भवन न हो, किराये पर न उठाया गया हो और जो स्वामी के, अथवा उसकी ओर से, किरायेदार से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के, वास्तविक अध्यासन में हो, अथवा जो खाली पड़ा हो, तो वह वार्षिक किराया या उस मासिक किराये का बारह गुना जिस पर वह पास पड़ोस में प्रचलित किरायों और ऐसी अन्य बातों को ध्यान में रखते हुये जो नियत किये जायें, किराये पर उठाया जा सकता हो:

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (२) के अधीन किसी भूमि या भवन के पूंजीगत मूल्य का अवधारण करने में उस भूमि या भवन में स्थित किसी मशीन, उपस्कर (furniture) अथवा स्थापक (fixture) के किराये का या ऐसी धनराशि का जो उचित रूप से उसका किराया निर्धारित की जा सके, विचार नहीं किया जायगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि आपवादिक परिस्थितियों के कारण किसी भूमि या भवन के पूंजीगत मूल्य की गणना उपर्युक्त रीति से किये जाने पर वह कर निर्धारण प्राधिकारी की राय में अत्याधिक हो, तो कर निर्धारण प्राधिकारी पूंजीगत मूल्य को ऐसी कम धनराशि पर निश्चित कर सकता है जो उसे साम्यपूर्ण और उचित प्रतीत हो ।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(१) यदि भूमि या भवन के वार्षिक मूल्य (annual value) का अवधारण यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ या यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ या नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ या कैन्टोनमेंट्स ऐक्ट, १९२४ के अधीन पहले ही किया जा चुका हो—

(क) और उपखंड (ख) के अधीन कोई आदेश न हो, तो इस प्रकार अवधारित वार्षिक मूल्य अथवा उपर्युक्त किसी अधिनियम के अधीन समय-समय पर यथा परिवर्तित वार्षिक मूल्य:

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद---श्रीमन्, यह तय हो चुका है कि चार बजे के अन्दर कैन्टोनमेंट वाली किसी बात पर विवाद नहीं होगा इसलिये इसे पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---अभी चलने दीजिये।

श्री राममूर्ति अंचल---"प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी भूमि या भवन के विषय में कर निर्धारण प्राधिकारी की यह राय हो कि उसका इस प्रकार से अवधारित वार्षिक मूल्य, भूमि या भवन में उस वार्षिक मूल्य के अवधारण के बाद में होने वाले किसी परिवर्तन के कारण, अपर्याप्त या अत्याधिक हो गया हो तो वह खंड (२) में दी हुई रीति से उस का कर-मूल्य अवधारित कर सकता है, और

(ख) यदि राज्य सरकार ने, यह राय होने के कारण या किसी स्थानीय क्षेत्र में उपर्युक्त किसी अधिनियम के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य सामान्यतः अपर्याप्त या अत्यधिक है, आदेश द्वारा यह निदेश दिया हो कि उस स्थानीय क्षेत्र में भूमि या भवनों का कर-मूल्य खंड (२) में दी हुई रीति से अवधारित किया जाये, तो उक्त रीति से अवधारित कर-मूल्य और"

श्री कमलासिंह यादव---श्रीमन्, मैं आब्जेक्शन करता हूं। इसमें कैंटोनमेंट का जिक्र है, चौथी लाइन में कैंटोनमेंट्स ऐक्ट १९२४ दिया हुआ है। इसलिये इसे अभी स्थगित कर दिया जाय और विधेयक की डिफिनिशन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसलिये यह धारा स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष---उसमें ऐंटिसिपेशन यह है कि यदि यह स्वीकार नहीं होगा तो वह भी गिर जायगा।

श्री कमलासिंह यादव---श्रीमन्, उस पर बहस भी नहीं हुई, इसलिये आप इसे स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष---रूल यह है कि कोई अमेंडमेंट आता है जो एक दूसरे पर आश्रित है, तो यह उसी शर्त पर स्वीकार माना जाता है जब वह भी स्वीकार कर लिया जाय।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने कैन्टूनमेंट का प्रस्ताव किसी रूप में नहीं आ सकता। यह सारी बहस उसी कैन्टूनमेंट के बिल को इनक्लूड करने से है। यहां पर लेने से वह उसका औचित्य सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे, इसलिये यह संशोधन इस समय न लिया जाय। मेरा यही कहना है कि सदन के प्रस्ताव को देखते हुये यह संशोधन नहीं लिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष---एक बात मैं जानना चाहता था कि यह जो संशोधन माननीय जगदीश शरण अग्रवाल का है वह ४ बजे तक लिया जायगा।

श्री बनारसीदास---श्रीमन्, यह तो नियम है कि जो संशोधन किसी पर आश्रित है तो वह भी गिर जायगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---अध्यक्ष महोदय, इसमें विवाद इतना ही है कि विधेयक में कैन्टूनमेंट कहीं नहीं है। हमारे पास उसकी बेस नहीं है। यदि आप हमारी बात नहीं मानते तो ४ बजे वाली शर्त जो हमारी है, वह भी टूटनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठ जाइये। यह संशोधन उसी शर्त पर स्वीकार किया जा रहा है कि अगर माननीय जगदीश शरण अग्रवाल का संशोधन गिर जायगा तो यह भी निष्प्रभाव हो जायगा। मैं व्यवस्था यह दे रहा हूं कि अन्य संशोधन पर आश्रित है, इसलिये जो उसमें तय होगा वह इसके अधीन होगा (व्यवधान)

[श्री अध्यक्ष]

कृपया शांत रहें। आर्डर ! आर्डर। मैं बता दूं जो निर्णय कर रहे हैं, यह संशोधन उस पर आश्रित है। यदि माननीय जगदीश शरण अग्रवाल का जो कैंटूनमेंट का संशोधन है वह स्वीकार हो जायगा, तो यह शब्द उसमें से निकाल दिये जायेंगे। इस शर्त पर यह लिया जायगा। (व्यवधान)

अगर कोई संशोधन या बिल ऐसे आये जो एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो यदि एक पास हो जायगा तो दूसरा भी पास हो जायगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---श्रीमन्, यह किसी नियम में है?

श्री यादवेन्द्रदत्त---अध्यक्ष महोदय, यदि आप इस संशोधन को उसी के साथ रखते तो आपत्ति कुछ न होती और न कोई व्यवधान ही होगा। तो यदि आप इसी तरह से इसे कर लें तो आपको क्या आपत्ति है?

श्री अध्यक्ष---वह एक ही बात है। मैं यह कह रहा हूं कि यदि वह पास होगा तो यह भी पास समझा जायगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त---श्रीमन्, उन्होंने यह तय किया था कैन्टूनमेंट के सम्बंध में कि...

श्री बनारसीदास---श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खंड २ में कैन्टूनमेंट के सम्बन्ध में माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी का जो यह संशोधन है, उसपर ४ बजे के बाद विवाद कर लिया जाय। बाकी जो संशोधन हैं, उन पर भी विचार करके पास कर लिया जाय। यदि कोई बाद में आता है तो उसके बारे में जैसी कि आपने अपनी रूलिंग दी कि कोई अंतर नहीं पड़ता है अगर यह पास नहीं होगा तो वह भी नहीं होगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त---माननीय बनारसीदास जी ने जो बात कहीं है वह ठीक है। जो माननीय जगदीश शरण अग्रवाल का कन्टूनमेंट का संशोधन हैं उसे अलग से कर लेंगे। वह चूंकि उसके आश्रित है तो उसमें कोई व्यवधान नहीं होगा। मैं तो यही कहूंगा कि श्री बनारसी दास जी ने मेरी ही बात की पुष्टि कर दी है।

श्री अध्यक्ष---जो माननीय नेता विरोधी दल कह रहे हैं यह प्रस्ताव संशोधन तो प्रस्तुत हो चुका है, इसके ऊपर वोटिंग उसी के साथ हो जाय।

श्री बनारसीदास---मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विवाद तो उस समय एक ही अमेंडमेंट पर होगा, वोटिंग के लिए इसको ले लीजियेगा उसके साथ।

श्री काशीनाथ मिश्र---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) को हटा कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"यदि उस भूमि या भवन का जिस पर कर लगना है, वार्षिक किराया या भाड़ा पहले से निर्धारित नहीं हुआ है तो नगरपालिका बहुमत के प्रस्ताव द्वारा उसका वार्षिक किराया या भाड़ा तय करेगी।"

यह इसलिए रखा गया कि इस बिल में मंत्री जी ने एक कर-प्राधिकारी का भी जिक्र किया कि कर निर्धारण के लिए एक अलग से अफसर होगा। तो सरकारी खर्चा बचाने के लिए मैं चाहता हूं कि महानगरपालिका, नगरपालिका या टाउन एरिया कमेटियाँ जो काम कर रही हैं, कर निर्धारण करें और यही जनतांत्रिक भी होगा, क्योंकि अफसर रहेगा तो रिश्वतखोरी और चोरबाजारी की ज्यादा गुंजायश रहती है, इसलिए यह पेश किया गया।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उप खंड (१) को हटा कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"यदि उस भूमि या भवन का जिस पर कर लगाना है, वार्षिक किराया या भाड़ा पहिले से निर्धारित नहीं हुआ है तो नगरपालिका बहुमत के प्रस्ताव द्वारा उसका वार्षिक किराया या भाड़ा तय करेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब अगला है, श्री जगदीशशरण अग्रवाल।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—यह तो कैन्टोनमेंट से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष—तो यह भी बाद में ले लिया जायगा।

श्री कमलासिंह यादव—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (क) की प्रथम पंक्ति में शब्द "अन्य" और "भवन" के बीच शब्द "औद्योगिक, व्यापारिक अथवा व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग किया जाने वाला" जोड़ दिये जायं।

बहुत से भवन ऐसे हैं, जैसे फैक्टरी है जहाँ पर व्यापार के सिलसिले में लोग उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और काफी आमदनी हो रही है और वह म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट या नगरपालिका ऐक्ट के अन्तर्गत नहीं आते हैं, तो उनको भी इसमें लाने के लिए मेरा संशोधन है, इसे तो कम से कम कबूल कर लें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि...

श्री कमलासिंह यादव—माननीय मंत्री जी ने तो कुछ कहा ही नहीं?

श्री अध्यक्ष—वह तो मुझे तब भी पुट करना पड़ेगा। प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (क) की प्रथम पंक्ति में शब्द "अन्य" और "भवन" के बीच शब्द "औद्योगिक, व्यापारिक अथवा व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग किया जाने वाला" जोड़ दिये जायं।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, इस पर तो विभाजन करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राममूर्ति अंचल—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के अन्तिम प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द 'उपर्युक्त रीति' के स्थान पर शब्द 'खंड (२) में दी हुई रीति' रख दिये जायं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के अन्तिम प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द 'उपर्युक्त रीति' के स्थान पर शब्द 'खंड (२) में दी हुई रीति' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

अध्यासी से कर वसूल करने का अधिकार।

५—(१) किसी ऐसी भूमि या भवन अथवा उसके भाग के सम्बन्ध में, जिसका स्वामी स्वयं उसका अध्यासी न हो, किसी वर्ष में देय कर, स्वामी द्वारा भूमि या भवन के अध्यासी से उसी अनुपात में वसूल किया जा सकेगा जो (अनुपात) वर्ष के उन दिनों की संख्या का जिनमें यथास्थिति ऐसी भूमि या भवन अथवा उसका भाग उस अध्यासी के वास्तविक अध्यासन या उपयोग में रहा हो, संख्या ३६५ से हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन देय कर स्वामी द्वारा अध्यासी से यथा स्थिति, भूमि या भवन के उपयोग तथा अभ्यासन के क्षतिपूरक के साथ या उसके किराये के साथ या किसी अन्य प्रकार से वसूल किया जा सकेगा।

श्री रक्षपालसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

५—(१) किसी ऐसी भूमि या भवन या उसके भाग के सम्बन्ध में जो तत्समय किसी किरायेदार के वास्तविक अध्यासन में हो, देयकर स्वामी द्वारा, सम्बन्धित किरायेदार से वसूल नहीं किया जायगा और न किरायेदार देय-कर के भुगतान का उत्तरदायी होगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन देयकर यदि किसी स्वामी द्वारा या सरकार द्वारा वसूल कर लिया जाय तो किरायेदार को अधिकार होगा कि वह भुगतान किया हुआ धन स्वामी को देय किराये से काट ले।

श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। माननीय मंत्री जी ने यहां सदन में यह घोषणा भी की है कि वे बड़े-बड़े, पूंजीपति आदमियों से ही कर लेना चाहते हैं।

सेक्शन ५ में यह लिखा है—

"The tax payable in any year in respect of any land or building or part thereof, where the owner himself is not the occupier of the same, shall be recoverable by the owner from the occupier of the land or the building, in the same proportion as the number of days during the year....."

इसमें आकुपायर शब्द आया है जिसमें किरायेदार भी शामिल हैं। तो यह सारा का सारा जो पैसा होगा वह किरायेदार से वसूल किया जायेगा और उसकी कमर टूट जायेगी। इसलिये माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"५—(१) किसी ऐसी भूमि या भवन या उसके भाग के सम्बन्ध में जो तत्समय किसी किरायेदार के वास्तविक अध्यासन में हो, देय कर स्वामी द्वारा, सम्बन्धित किरायेदार से वसूल नहीं किया जायगा और न किरायेदार देय कर के भुगतान का उत्तरदायी होगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन देयकर यदि किसी स्वामी द्वारा या सरकार द्वारा वसूल कर लिया जाय तो किरायेदार को अधिकार होगा कि वह भुगतान किया हुआ धन स्वामी को देय किराये से काट ले।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय :

"५—किसी ऐसी भूमि या भवन अथवा उसके भाग के सम्बन्ध में जिसका स्वामी स्वयं उसका अध्यासी न हो किसी वर्ष में देय कर स्वामी द्वारा उसी अनुपात में वसूल किया जा सकेगा जो (अनुपात) वर्ष के उन दिनों की संख्या का जिनमें यथास्थिति ऐसी भूमि या भवन अथवा उसका भाग किसी अध्यासी के वास्तविक अध्यासन या उपयोग में रहा हो (संख्या ३६५ से हो) और जिसका किराया स्वामी ने वसूल किया हो।" श्रीमन्, यह सरकार इस बात का दम भरती है कि वह बड़े आदमियों पर टैक्स लगा रही है, छोटों पर नहीं लगा रही है, तो इस संशोधन के रूप में सरकार को यह चुनौती है। अगर माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो आदमी किसी दूसरे के मकान में किराये से रह रहा है तो वह मकान मालिक को किराये का

जितना रुपया देता है, टैक्स उसी पर और उसी से वसूल किया जायगा, तब तो मैं समझूंगा कि वाकई बड़े आदमियों पर टैक्स लगाया जा रहा है। लेकिन अगर किरायेदार से टैक्स उसके किराये के अतिरिक्त वसूल होता है तो वह इस बात का द्योतक होगा कि सरकार बड़े आदमियों का पक्षपात करती है और गरीबों पर टैक्स लगा रही है, उनको परेशान कर रही है जिसके लिये सरकार कहती है कि उनकी क्रय शक्ति वह बढ़ाने जा रही है। इसलिये मैं समझता हूं अगर इस संशोधन को माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—क्या आप इसको स्वीकार करते हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं करता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"५—किसी ऐसी भूमि या भवन अथवा उसके भाग के सम्बन्ध में जिसका स्वामी स्वयं उसका अध्यासी न हो किसी वर्ष में देय कर स्वामी द्वारा उसी अनुपात में वसूल किया जा सकेगा जो (अनुपात) वर्ष के उन दिनों की संख्या का जिनमें यथास्थिति ऐसी भूमि या भवन अथवा उसका भाग किसी अध्यासी के वास्तविक अध्यासन या उपयोग में रहा हो (संख्या ३६५ से हो) और जिसका किराया स्वामी ने वसूल किया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है—

खंड ५ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द 'देयकर' और 'स्वामी' के बीच में शब्द 'का आधा भाग', रखा जावे और देयकर के आगे जो कामा है, वह हटाया जावे।

इस संशोधन का परिणाम यह होगा कि जो टैक्स लगेगा उसमें से आधा किरायेदार को देना होगा और आधा मकान मालिक से लिया जायगा और इस प्रकार से योजना में दोनों भाग ले सकेंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, यह प्रस्ताव तो सरकारी दल की ओर से आया है, इसपर तो बोलने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द 'देयकर' और 'स्वामी' के बीच में शब्द 'का आधा भाग', रखा जावे और देयकर के आगे जो कामा है वह हटाया जावे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमान्, मेरा संशोधन इस प्रकार है—

खंड ५ के उपखंड (१) और (२) को हटा कर उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जावे—

"किसी भी दशा में किरायेदार से किसी भी प्रकार का भूमि या भवन कर नहीं वसूल किया जावेगा।"

श्रीमन्, ऐसा मालूम होता है कि मूल विधेयक को रखने वाले बड़े-बड़े मकान मालिक लोग हैं, इसीलिये किरायेदार पर भार डाला जा रहा है। मैं समझता हूं इसका भार किरायेदार पर नहीं पड़ना चाहिये। इसलिये मंत्री जी इस संशोधन को मान लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) और (२) को हटा कर उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये—

"किसी भी दशा में किरायेदार से किसी भी प्रकार का भूमि या भवन कर नहीं वसूल किया जावेगा।"

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, इस पर तो वोटिंग करा लें क्योंकि अब ४ बजने ही वाले हैं।

(घंटी बजायी गयी और घन्टी बन्द होने पर)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) और (२) को हटा कर उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये।

"किसी भी दशा में किरायेदार से किसी भी प्रकार का भूमि या भवन कर नहीं वसूल किया जावेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—८१,
विपक्ष में—१२६।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि वोटिंग के बाद दरवाजे तो खुले ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—अच्छा हुआ, नहीं तो आप को शिकायत होती।

खंड ६

विमुक्तियां। ६—पूर्वोक्त उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई कर न लगाया जा सकेगा—

(१) कोई भूमि या भवन अथवा उसका भाग यदि वह—

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में हो, अथवा उसमें निहित हो परन्तु ऐसी भूमि या भवन या उसका भाग न हो जो राज्य सरकार के पट्टेदार या अनुदान ग्रहीता (grantee) के रूप में किसी व्यक्ति के अधिकार में हो,

(ख) पार्क, पुस्तकालय, संग्रहालय (museum), अस्पताल, खेल का मैदान, सड़क या गली, जो सार्वजनिक हो;

(ग) केवल शवों के निस्तारण से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए काम में लाया जाता हो;

(२) कोई भूमि या भवन अथवा उसका भाग जिससे स्वामी को कोई आर्थिक लाभ प्रोद्भूत न होता हो यदि वह—

(क) स्थानीय प्राधिकारी या जिला परिषद् (जिसके अन्तर्गत अन्तरिम जिला परिषद् भी हैं) अथवा क्षेत्र समिति के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा प्रशासित होता हो और केवल सार्वजनिक प्रयोजन के लिए काम में लाया जाता हो; या

(ख) सार्वजनिक उपासना-स्थल के रूप में या सार्वजनिक पूर्त प्रयोजन के लिए काम में लाया जाता हो; या

(ग) किसी शिक्षा संस्था के स्वामित्व में हो अथवा उसके द्वारा मुख्यतः शिक्षा के प्रयोजन के लिए काम में लाया जाता हो; और

(३) ऐसी अन्य भूमियों और भवन, जिनका पूंजीगत मूल्य ऐसी धनराशि से अधिक न हो जो राज्य सरकार आदेश द्वारा तदर्थ निश्चित करे :

प्रतिबन्ध यह है कि उस वर्ष के, जिसमें कोई भूमि या भवन उस प्रकार का न रह जाय जिसके कारण वह इस धारा के अधीन कर के दायित्व से विमुक्त होने का पात्र रहा हो, बाद वाले वर्ष से भूमि या भवन के सम्बन्ध में कर लगाया जा सकेगा।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (क) की चौथी पंक्ति में शब्द 'हो' और सेमीकोलन के बीच निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"अथवा कोई सरकारी अधिकारी या अन्य व्यक्ति केन्द्रीय सरकार या राज्य-सरकार को किराया देता हो या उक्त सरकारों को किसी भी रूप में किराया मिलता हो।"

इस संशोधन को पेश करने का मेरा मतलब केवल इतना है कि बहुत से अधिकारी ऐसे हैं कि जो रेन्ट-फ्री इमारतों में रहते हैं वह अक्सर हजार दो हजार पाते हैं जैसे कलेक्टर हैं, कमेश्नर हैं, मुन्सिफ हैं और दूसरे अधिकारी हैं और यहां तक कि ऐसे मिनिस्टर महोदय भी हैं और रेन्ट फ्री रहते हैं। किसी का दस प्रतिशत किराया कटता है। हमारा तो आय-कर भी कटता है। मैं व्यंग किसी पर नहीं करता, उन को क्यों छोड़ा गया है, उनको भी इसमें शामिल किया जाय। वह भी वेतन में जुड़ा हुआ है उस पर भी टैक्स लगना चाहिये, जैसे किरायेदार देंगे उनसे भी लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (क) की चौथी पंक्ति में शब्द 'हो' और सेमीकोलन के बीच निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"अथवा कोई सरकारी अधिकारी या अन्य व्यक्ति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को किराया देता हो या उक्त सरकारों को किसी भी रूप में किराया मिलता हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)— अध्यक्ष महोदय,...

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, ४ बजे तक का तय हुआ था, अब तो ४ बज चुके हैं...

श्री अध्यक्ष—जो बाद में तय हुआ था उसी के अनुसार हो रहा है, दो-दो मिनट केवल प्रस्तावक बोलेंगे, यह निश्चय हुआ था।

श्री जगदीशप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के मद (ख) के बाद निम्नलिखित मद बढ़ा दी जाय—

"(खख) खादी ऐन्ड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ऐक्ट, १९५६ के अधीन प्रमाण-पत्र प्राप्त उत्पादक या विक्रेता (dealer) द्वारा उक्त ऐक्ट में यथा परिभाषित खादी के उत्पादन या विक्रय के प्रयोजनार्थ ही काम में लाया जाता हो।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीशप्रसाद]

में इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता, केवल इतना कहूंगा कि खादी की उपयोगिता और उसके प्रति अपना कर्तव्य इस माननीय सदन के सभी सदस्य जानते हैं, मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि....

श्री उग्रसेन—मंत्री जी की इस पर क्या राय है, उनकी भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष—मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) के मद (ख) के बाद निम्नलिखित मद बढ़ा दी जाय—

"(खख) खादी ऐन्ड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ऐक्ट, १९५६ के अधीन प्रमाण-पत्र प्राप्त उत्पादक या विक्रेता (Dealer) द्वारा उक्त ऐक्ट में यथा परिभाषित खादी के उत्पादन या विक्रय के प्रयोजनार्थ ही काम में लाया जाता हो।"

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—यह मंत्री जी को स्वीकार है, अगर स्वीकार है तो इसमें हम भी संशोधन ला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं अब वोटिंग ले रहा हूं।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) की मद (ख) में शब्द "अस्पताल" तथा शब्द "खेल का मैदान" के बीच में शब्द "औषधालय" बढ़ा दिया जाय, तथा उक्त मद के बाद निम्नलिखित नयी मद बढ़ा दी जाय :

"(खखख) केवल किसी शिक्षा संस्था द्वारा, और वह भी शिक्षा के प्रयोजनों के लिये ही—जिनमें संस्था के विद्यार्थियों तथा कार्यालयों का आवासन (Housing) भी है, काम में लाया जाता हो;"

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे स्वीकार है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन् संशोधन पेश करने की आज्ञा दी जाय अगर कोई संशोधन सरकार को स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—मैंने उनसे पूछा नहीं, वह कहा करें। आप बैठ जायं। आपके नेता ने स्वीकार किया है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—उन शब्दों का पालन करते हुए ही कह रहा हूं। लेकिन उस समय यह शर्त थी जो संशोधन सरकार मान लेगी उन संशोधनों की व्यापकता के ऊपर हम लोग भी संशोधन दे सकेंगे। यह बात बिल्कुल साफ़ कर ली गई थी। कल को अगर सरकार ऐसा संशोधन ले आये जिससे परिधि बढ़ायी जाय तो हम चुप थोड़े ही रहेंगे।

श्री बनारसीदास—शायद माननीय सदस्य को कुछ भ्रम है। इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। दुबे जी ने यह कहा था कि जो संशोधन मंत्री जी को स्वीकृत हों उनको ले लिया जाय और बाकी जो संशोधन विरोधी पक्ष को पेश करने हैं उनको वह पेश कर दें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—जो संशोधन मंत्री जी को स्वीकार है उन पर हम संशोधन दे सकते हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि कुटीर उद्योग की सभी यूनिटें इसमें शामिल की जायं, कोई एक ही नहीं।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, जो तरीका आपने अख्तियार किया है कि दो मिनट सबको दे रहे हैं, यह बहुत उचित है और उतने ही में सब को संतोष है। जो बात कहनी है वह हम उतने समय में कह लेंगे।

श्री अध्यक्ष—मैं आपकी बात का आदर करता हूं लेकिन मैं दोनों तरफ़ से कोआपरेशन चाहता हूं। यह गलत बात है, उग्रसेन जी का आग्रह था, इस पर डिवीजन ले लिया जाय। तो कोआपरेशन थोड़ा होना चाहिये, नहीं तो दिक्कत होगी।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, क्या बिल पर बहस की मांग करना अड़चन डालना है ?

श्री अध्यक्ष—अड़चन में नहीं कह रहा हूं। मैं तो कोआपरेशन कह रहा हूं।

श्री उग्रसेन—कोआपरेशन तो हम लोग बराबर देते हैं। मगर इसमें एक संशोधन मान लें।

श्री अध्यक्ष—अब मैं इसको रख दूं। आगे से ऐसा कर लिया जायगा। प्रश्न यह है खंड ६ के उपखंड (१) की मद (ख) में शब्द "अस्पताल" तथा शब्द "खेल का मैदान" के बीच में शब्द "औषधालय" बढ़ा दिया जाय, तथा उक्त मद के बाद निम्नलिखित नयी मद बढ़ा दी जाय—

"(खखख) केवल किसी शिक्षा संस्था द्वारा, और वह भी शिक्षा के प्रयोजनों के लिये ही—जिनमें संस्था के विद्यार्थियों तथा कार्यालयों का आवासन (Housing) भी है—काम में लाया जाता हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—हम लोगों को संशोधन मूव करने की आज्ञा देंगे।

श्री अध्यक्ष—अब हम देंगे।

श्री उग्रसेन—राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों को भी छुड़वाइये।

श्री कमलासिंह यादव—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (ग) के बाद निम्नलिखित भाग (घ) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(घ) भूमि का वह भाग जो सहन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।"

श्रीमन्, यह बहुत जरूरी है। जहां तक जमींदारी अबालिशन ऐक्ट है उसके मुताबिक जितनी जमीन हमारे मकान के सामने सहन के रूप में थी और इस वक्त है, चूंकि जमींदारी टाउन एरिया में अबालिश हो चुकी है तो हमारे मकान के सामने जितनी भूमि इस्तेमाल की जा रही है, उसको माना जा रहा है कि सरकार ने उस जमीन को भी हमारे साथ बंदोबस्त कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी भूमि जिसे कोई सहन के रूप में इस्तेमाल करता है उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जायगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (ग) के बाद निम्नलिखित भाग (घ) के रूप में जोड़ दिया जाय—

'(घ) भूमि का वह भाग जो सहन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (ग) के बाद निम्नलिखित नये भाग (घ) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(घ) भूमि का वह भाग जो खंडहर के रूप में पड़ा हो।"

[श्री कमलासिंह यादव]

नगरपालिका और म्युनिसिपल ऐक्ट के अन्दर जो एरियाज हैं उनमें बहुत खंडहर पड़े हुए हैं । मैंने कहा था कि बाढ़ की वजह से तथा वर्षा से बहुत से मकान गिर गये और आदमी की ताकत नहीं है कि उन्हें बनवा सके । बिल में यह भी प्राविजन नहीं है कि इतनी मालियत का खंडहर होगा तो वह टैक्स से मुक्त हो जायगा । इसके मानी हैं कि कोई भी खंडहर एग्जेम्ट नहीं किया जा रहा है । अगर माली हालत गिरी होने से खंडहर किसी ने छोड़ दिया है तो ऐसे आदमियों पर टैक्स लगाना उचित नहीं होगा ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे मंजूर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (ग) के बाद निम्नलिखित नये भाग (घ) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(घ) भूमि का वह भाग जो खंडहर के रूप में पड़ा हो ।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (२) के भाग (क) चौथी पंक्ति में शब्द "हो" और सेमीकोलन के बीच में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"और उससे कोई किराया किसी भी रूप में न मिलता हो"

दूसरा प्रस्ताव मेरा यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) के भाग (ख) में शब्द "सार्वजनिक" निकाल दिया जाय ।

मेरा तात्पर्य यह है कि जो सार्वजनिक संस्थायें हैं म्युनिसिपल बोर्ड या टाउन एरिया किसी से भी किराया अगर कोई शख्स न पाता हो तो उससे भी कर लिया जायगा । दूसरे "सार्वजनिक" शब्द निकाल दिया जाय ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) के भाग (क) की चौथी पंक्ति में शब्द 'हो' और सेमीकोलन के बीच में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"और उससे कोई किराया किसी भी रूप में न मिलता हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) के भाग (ख) में शब्द 'सार्वजनिक' निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—७४,

विपक्ष में—१२३ ।)

श्री श्रीराम तिवारी—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (२) की मद (ख) के अन्त में आने वाले शब्द "या" के स्थान पर शब्द "और" रख दिया जाय और मद (ग) निकाल दी जाय ।

श्रीमन्, जो १२—ख पर पहले मेरा संशोधन मंजूर हो चुका है उसी की तहत में इस संशोधन की आवश्यकता पड़ी और मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसे मंजूर कर लें ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मंजूर है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) की मद (ख) के अन्त में आने वाले शब्द "या" के स्थान पर शब्द "और" रख दिया जाय और मद (ग) निकाल दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलासिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (३) की प्रथम पंक्ति में "भवन" के बाद और "जिनका" के पहले शब्द "खंडहर" जोड़ दिया जाय ।

श्रीमन्, मेरी मुलाकात सुबह माननीय बनारसीदास जी से हुई थी । उन्होंने कहा था कि ऐसे खंडहर जिनका मूल्य कुछ नहीं है या १८० रुपये की मालियत तक के हैं उनको निकाल दिया जाय । इसी धारा में दिया है कि ऐसे अन्य भूमि और भवन, इसके बाद खंडहर जोड़ दिया जाय । अगर यह शब्द नहीं आता है तो इकजेम्शन में दिक्कत होती है । ऐसे खंडहर जिनका मूल्य बहुत कम है, इससे वांचित कर दें । मैं बनारसीदास जी से प्रार्थना करूंगा, कि वे इस पर प्रकाश डालें ।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, यह मैंने जरूर कहा था कि जिनकी रेंटल वैल्यू कुछ नहीं होगी तो ऐसे खंडहर एक्जेंट हो जायेंगे । १८० रुपये वाली बात मैंने नहीं कही ।

श्री अध्यक्ष—जिस समय रूल्स बनेंगे, उस समय यह प्रोवाइड हो सकता है ।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, मैं इसको वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (३) में से शब्द "जिनका पूंजीगत मूल्य" के बाद शब्द "ऐसी—कर" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं—

"५,००० रुपये से अधिक न हो"

मान्यवर, इस दो मिनट की परिधि में मुझे यह निवेदन करना है कि यह अमेंडमेंट अनिवार्य और महत्वपूर्ण है । इसलिये मैंने मांग की है कि जो गरीब लोग १५ रुपये तक के मकान में रहते हैं उनको एक्जेम्ट किया जाय, सेक्शन ६ में अधिकार लिया कि कर सकते हैं । मंत्री जी ने सदन में यह स्पष्ट करके बड़ा उपकार किया है कि वे १० के बजाय ५ प्रतिशत ही टैक्स लगाने जा रहे हैं । एक धारा वह बहुत महत्वपूर्ण थी और दूसरी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इतना एक्जेम्शन अगर नहीं देते हैं, तो व्यापक असंतोष का कारण होगा । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि वे इसको स्वीकार करें या जब वे अपने अधिकारों का प्रयोग करें तो उस समय इस पर विचार करने की कृपा करें ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (३) की पंक्ति १ से शब्द "ऐसी" और पंक्ति २ से शब्द 'धनराशि' निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर '५ हजार रुपया' जोड़ दिया जाय ।

श्रीमन्, जितने ऐक्ट्स बने हैं सब में मैक्जमिम लिमिट रखी है तो इसमें भी एक फिक्स कर दें ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, सरकार ने यह कह दिया है कि जो उचित समझी जायगी वह एक्जेम्ट कर दी जायगी । मैंने जैसा कि पहले कहा था कि जब हमने १० प्रतिशत का प्राविधान किया था तो मैंने कहा था कि हम ५ प्रतिशत ही लगायेंगे ।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

इसमें हमने १० रुपये तक के मकानों को छोड़ने का निश्चय कर रखा है । लेकिन अधिकार जरूर चाहते हैं कि सीमा को बढ़ाने की बात हो तो सरकार विचार कर सके । अभी इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं लेकिन अगर सीमा उठाने की बात होगी तो सरकार विचार कर लेगी । जो दूसरी जगह अधिकार है उसकी आवरणीय सदन से स्वीकृति मिले, यह प्रार्थना करता हूं ।

श्री उग्रसेन—मंत्री जी कहते हैं कि सदन हमें अधिकार दे दे, जो उचित समझें वह निम्नतम सीमा रखें । तो यह विधेयक है, इसका दूसरा अर्थ लगाया जायगा । इसमें बिलकुल निश्चित सीमा होनी ही चाहिये । इतना निस्सीम, जिसकी कोई सीमा न हो, यह अधिकार सरकार को देना मैं उचित नहीं समझता । इसलिये हम इसका विरोध करते हैं ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—मैं, उस आश्वासन के बाद जो मंत्री जी ने दिया, अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—मैं अपना प्रस्ताव वापस नहीं लेता ।

श्री उग्रसेन—मंत्री जी ने कोई आश्वासन ही नहीं दिया । माननीय जगदीशशरण अग्रवाल आश्वासन कैसे मान गये ?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—मुझे बड़ा खेद है कि मंत्री महोदय ने यह कह दिया कि वह मेरे ऊपर छोड़ दिया जाय । मैं यह चैलेंज करके कहता हूं कि वह कोई टैक्स ऐसा दिखला दें जिसमें टैक्सेबिल लिमिट सरकार की मर्जी पर छोड़ी गयी हो । कहीं भी नहीं है । जो कानून यहां से बने हैं, किसी में सरकार की मर्जी पर नहीं है बल्कि सदन की मर्जी पर रखा । अब आप अपनी इच्छा पर रख रहे हैं । मन होगा तो तीन लगायेंगे, मन होगा तो तेरह लगायेंगे । तीन तेरह में फंसे रहेंगे । मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान के लिये कुछ भी रख दीजिये ताकि आदमी समझे तो कि इतने पर हम टैक्स लगाने जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि माननीय जगदीश शरण जी ने जो संशोधन रखा है, उसको वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (३) की पंक्ति १ से शब्द 'ऐसी' और पंक्ति २ से शब्द 'धनराशि' निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर '५ हजार रुपया' जोड़ दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलासिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (३) की द्वितीय पंक्ति में शब्द 'राज्य सरकार' और 'द्वारा' के बीच शब्द 'आदेश' के स्थान पर शब्द 'नियम' रख दिया जाय ।

श्री उग्रसेन—दिखायी नहीं दे रहा है, रोशनी की व्यवस्था कर दी जाय ।

श्री कमलासिंह यादव—जो विधेयक इस सदन से पास हो रहे हैं, उनमें बहुत से ऐसे हैं, जो कोर्ट के इंटरप्रिटेशन में आते ही, लेजिस्लेचर के ऊपर बहुत से स्ट्रिक्चर पास होते हैं । श्रीमन् ने एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी बनायी है ताकि जितने नियम सरकार बनायें उनकी छानबीन हो सके । इस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब यही है कि किसी किस्म का नियम सरकार अगर बनाये तो उस पर श्रीमान् का अधिकार हो ताकि श्रीमन्, अपनी कमेटी

के जरिये उसका निरीक्षण कर सकें और देख सकें कि वह नियम ठीक रूप में है या नहीं । दूसरी चीज यह कि यहां पर जो यह नियम बनाये जा रहे हैं उनका संबंध यू० पी० कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन ऐक्ट से भी है । जो सन् ५१ के पहले के मकान हैं वह तो रेंट कंट्रोल ऐंड एविक्शन ऐक्ट से भी गवर्न होते हैं और ऐसी परिस्थिति में हम उनके मकान का किराया नहीं बढ़ा सकते । २५ परसेंट जहां पर किराया बढ़ाया जा चुका है उसके ऊपर यह टैक्स बढ़ाया जायगा तो फिर यह किरायेदार से वसूल होगा और उस पर यह बहुत बड़ा भार होगा । इसके अलावा वह कानून के दायरे के भी बाहर होगा । कानून आपको बाध्य करेगा कि जो नियम बनाये जायं इस कानून के मुताबिक हो वह ऐसे न बना दिये जायं कि वह यू० पी० कंट्रोल ऐंड रेंट एविक्शन ऐक्ट की किसी धारा को कांट्रेडिक्ट करें क्योंकि इस विधेयक के अन्दर कोई ऐसा प्राविजन नहीं है कि जिसके अन्दर यह दिया हो कि अगर किसी दूसरे कानून का कोई प्राविजन इसके विरुद्ध हो तो उस वक्त में भी यह लागू होगा । तो वह सब्जेक्ट टु दि प्राविजन्स आफ दि अदर लाज का इस विधेयक के अन्दर कहीं जिक्र नहीं है ।

इसलिये मैं कहूंगा कि यू० पी० कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन ऐक्ट इस प्रदेश में लागू है और इसी लेजिस्लेचर का बनाया हुआ है, उसकी धाराओं को यह कांट्रेडिक्ट भी करेगा और अगर श्रीमन्, सरकार को यह अधिकार दे देंगे तो उन नियमों का यह उल्लंघन भी होगा और उस ऐक्ट की धाराओं के प्रतिकूल नियम भी बनाये जा सकते हैं । इसलिये मैं श्रीमन्, से प्रार्थना करूंगा कि चूंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन श्रीमन्, ने इसी कार्य के लिये बनाया है और गाइडेंस भी श्रीमन् का है कि जो लेजिस्लेचर कानून बनाये, उसके नियमों को श्रीमन्, खुद देखें या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी के जरिये दिखायें । इसलिये मैं श्रीमन् से अनुरोध करूंगा कि वह इसको मान लें जिससे अदालतों से स्ट्रिक्चर्स भी पास न हों और इस सदन के किसी कानून के विरुद्ध भी कोई नियम न बने । इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार को यह पावर न दिया जाय बल्कि नियम सरकार बनाये और उसके बाद वह सदन के सामने प्रस्तुत किया जाय और सदन देखे कि किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ है । इस तरीके से सभी नियमों को श्रीमन्, देख सकेंगे और स्ट्रिक्चर भी किसी किस्म का पास नहीं होगा ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मुझे यह मंजूर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (३) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "राज्य सरकार" और "द्वारा" के बीच शब्द "आदेश" के स्थान पर शब्द "नियम" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि अभी तो माननीय मंत्री १० रुपये तक की बात कह रहे हैं, रूल बनाते वक्त १५ रुपये की भी बात मान जायेंगे, इसलिये मैं इस संशोधन को वापस लेती हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप पेश नहीं कर रही हैं, यह कहिये ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—मैं पेश नहीं करती हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सदन में विभाजन की मांग करते हैं तो आप कहते हैं कि बस हो गया, सहयोग कीजिये । असल में हम सहयोग देने के लिये तैयार हैं, लेकिन यहां पर बार-बार विनय करते हैं तब भी माननीय विचित्र भाई नहीं मानते हैं ।

श्री अध्यक्ष—जो तय हो गया वह हो गया।

खण्ड ७

कर निर्धारण प्राधिकारी की नियुक्ति

७—(१) प्रत्येक नागर क्षेत्र या एक से अधिक नागर क्षेत्रों के लिए एक कर-निर्धारण प्राधिकारी होगा जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त किया जायगा :

प्रतिबंध यह है कि एक नागर क्षेत्र के लिए एक से अधिक कर निर्धारण प्राधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं।

(२) कर निर्धारण प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) को हटा कर उसके स्थान पर निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"प्रत्येक नागर क्षेत्र में नगरपालिका या महानगरपालिका को ही कर निर्धारण करने का अधिकार होगा। टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया के अन्तर्गत वहां की चुनी हुई कमेटियों को कर निर्धारण का अधिकार होगा।"

यह संशोधन इसलिये पेश किया गया है कि कर निर्धारण करने के लिये अलग से जो बिल में एक अफसर विशेष नियुक्त करने की बात कही गई है वह ठीक नहीं है। जनतान्त्रिक मर्यादा को देखते हुए और पहले भी इस सदन में इस बात पर बहस हो चुकी है और सरकार की भी यह मन्शा रही है कि जनतन्त्र के आधार पर स्वशासन संस्थाओं को यानी टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया को अधिक से अधिक अधिकार दिये जायं। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वायत्त शासन संस्थाओं को अधिक से अधिक अधिकार देने के लिये यह संशोधन रखा गया है कि कर लगाने का अधिकार अलग से किसी अफसर विशेष को न देकर, कर लगाने का अधिकार नगरपालिका या टाउन एरिया कमेटी या कारपोरेशन को ही दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) को हटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"प्रत्येक नागर क्षेत्र में नगरपालिका या महानगरपालिका को ही कर निर्धारण करने का अधिकार होगा। टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया के अन्तर्गत वहां की चुनी हुई कमेटियों को कर निर्धारण का अधिकार होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

प्रारम्भिक कर निर्धारण सूची का तैयार किया जाना

८—(१) कर निर्धारण प्राधिकारी, उन समस्त भूमियों और भवनों की जिन पर कर का दायित्व हो एक प्रारम्भिक कर-निर्धारण सूची ऐसी रीति से तैयार करेगा या करायेगा जो नियत की जाये और उसमें ऐसे ब्योरे होंगे जो नियत किये जायें।

(२) कर-निर्धारण प्राधिकारी सूची तैयार करते समय उन समस्त भूमियों और भवनों का, जिनपर कर का दायित्व हो, पूंजीगत मूल्य और उन पर निर्धारित किये जाने वाले कर की राशि अवधारित करेगा और उन्हें सूची में यथोचित रूप से दिखाया जायेगा।

(३) जब प्रारम्भिक कर-निर्धारण सूची तैयार हो जाये तो कर निर्धारण प्राधिकारी उस स्थान का जहां पर, और उस दिनांक का जब से, उसका निरीक्षण किया जा सके, सार्वजनिक नोटिस ऐसी रीति से देगा जो नियत की जाये, और सूची में उल्लिखित भूमि या भवन का स्वामी या अध्यासी का दावा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति का अभिकर्ता भी है) उसका निरीक्षण कर सकेगा और कोई शुल्क दिये बिना उसका उद्धरण ले सकेगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि उन समस्त मामलों में, जिनमें किसी भूमि या भवन पर कर, धारा ४ के खण्ड (२) के अनुसार उसका पूंजीगत मूल्य अवधारित कर के, निर्धारित करने का प्रस्ताव हो कर निर्धारण प्राधिकारी, स्वामी पर, ऐसी रीति से और ऐसे ब्योरे देते हुए जो नियत किये जायं नोटिस भी तामील करायेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१), (२) व (३) को हटाकर उनके स्थान पर निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"नगरपालिका या महानगरपालिका या टाउन एरिया कमेटी कर निर्धारण की प्रारम्भिक सूची तैयार करने के बाद करदाताओं पर नोटिस तामील करेगी और कर दाता नोटिस पाने के एक माह के अन्दर जिले की मुन्सिफी या दीवानी अदालत में किसी भी प्रकार की उज्रदारी करने का अधिकारी होगा।"

श्रीमन्, यह संशोधन इसलिये रखा गया है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर नोटिस तामील करने का अधिकार या कर लगाने का अधिकार किसी अफसर विशेष को दे देते हैं तो ऐसा होता है कि अफसर विशेष अपने कमरे में बैठा या अदालत में बैठा सारी कार्यवाही कर देता है और जिस पर कर लगता है उसको उचित समय में सूचना नहीं मिलती है। इस बिल के अन्दर इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि अगर उसको इसकी सूचना नहीं मिलती है तो वह उज्रदारी कर सके। इसके साथ-साथ इस बिल के अन्दर इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि उज्रदारी देखने का अधिकार उस अफसर को होगा, जो मैं समझता हूं न्याय की दृष्टि से, न्याय सिद्धांत के मुताबिक ठीक नहीं है। इसलिये यह संशोधन रखा गया है कि कर लगाने का अधिकर टाउन एरिया, नगरपालिका या महानगरपालिका को होगा, जो उसकी चुनी हुई कमेटी हो, उसको होगा और उसको ही करदाता के लिये नोटिस तामील करने का अधिकार होगा। जिस पर टैक्स लगे उसको उज्रदारी करने का अधिकार सिविल कोर्ट या दीवानी अदालत में हो। इसलिये यह संशोधन रखा गया है और मैं मन्त्री जी से अपील करूंगा कि यदि करदाताओं के ऊपर कर लगाना जरूरी है तो करदाताओं को अधिक से अधिक मौका मिलना चाहिये ताकि वे अपने प्रति किये गये अन्याय की अपील कर सकें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१), (२) व (३) को हटाकर उनके स्थान पर निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"नगरपालिका या महानगरपालिका या टाउन एरिया कमेटी कर निर्धारण की प्रारम्भिक सूची तैयार करने के बाद कर दाताओं पर नोटिस तामील करेगी और कर दाता नोटिस पाने के एक माह के अन्दर जिले की मुन्सिफी या दीवानी अदालत में किसी भी प्रकार की उज्रदारी करने का अधिकारी होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (३) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ४ में शब्द 'नोटिस भी' और 'तामील' के बीच शब्द 'जाती तौर पर' रख दिये जायं।

[श्री कमलासिंह यादव]

मेरी मंशा यह है कि म्युनिसिपल धारा के मुताबिक जो कर निर्धारण होता है उसकी विज्ञप्ति होती है और साथ ही साथ नोटिस दिया जाता है। अब उसे तामील करने वाले अधिकारी उस नोटिस को उनके घरों में फेंक आते हैं या वह चस्पां कर दिया जाता है और इस तरह से बहुत बार उस आदमी को नोटिस नहीं मिल पाता और मियाद बीत जाने पर वह फाइनल मान लिया जाता है। इस दिक्कत से करदाता को बचाने के लिये यह शब्द मैंने बढ़ाने का संशोधन रखा है और आशा है कि यह मान लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (३) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ४ में शब्द "नोटिस भी" और "तामील" के बीच में शब्द "जाती तौर पर" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

सूची की प्रविष्टियों पर आपत्ति

९—प्रारम्भिक कर निर्धारण सूची की किसी प्रविष्टि से या उसमें किसी बात के सम्मिलित किये जाने या छोड़ दिये जाने से अथवा सूची के सम्बन्ध में अन्य प्रकार से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक से जब धारा ८ की उपधारा (३) के अधीन सूची निरीक्षण के लिये उपलभ्य की जाये, तीस दिन के भीतर कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष उसके सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कर-निर्धारण प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि आपत्तिकर्त्ता उपर्युक्त अवधि के भीतर आपत्ति पर्याप्त कारण वश प्रस्तुत न कर सका तो वह उक्त अवधि के पश्चात् की गयी आपत्ति ग्रहण कर सकता है, यदि वह धारा १५ की उपधारा (२) के अधीन मांग का नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के बाद न प्रस्तुत की गयी हो:

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब तक मामला धारा ४ के खंड (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आ जाये, ऐसी किसी आपत्ति में उक्त खंड (१) में अभिदिष्ट वार्षिक मूल्य के अवधारण पर विवाद नहीं उठाया जायेगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ को हटा कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"यदि नगरपालिका के एग्जीक्यूटिव आफिसर को यह विश्वास हो जाय कि करदाता पर नोटिस की तामील उसकी गैर जानकारी में कर दी गयी है तो वह उसकी सुनवाई स्वयं कर के ४० दिन की अवधि को और बढ़ा सकता है और करदाता की दरख्वास्त पर उचित कार्यवाही कर सकता है।"

मान्यवर, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। मन्त्री जी कर तो लगा ही रहे हैं और इस संशोधन द्वारा हम मांग करते हैं कि उसकी वसूली का तरीका जनतांत्रिक प्रणाली के अनुसार होना चाहिये। हमने देखा है कि अभी भी गड़बड़ी हो जाती है और नोटिस सही तरीके पर करदाता को मिल नहीं पाता। इस नये कर लगने पर अगर सही तरीके से नोटिस तामील न हुई तो जल्दबाजी में गड़बड़ी हो जायगी। आशा करता हूं कि यह एक छोटा सा संशोधन है और मन्त्री जी उसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ को हटा कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"यदि नगरपालिका के एग्जीक्यूटिव आफिसर को यह विश्वास हो जाय कि करदाता पर नोटिस की तामील उसकी गैर जानकारी में कर दी गयी है तो वह उसकी सुनवाई स्वयं करके ४० दिन की अवधि को और बढ़ा सकता है और करदाता की दरख्वास्त पर उचित कार्यवाही कर सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राममूर्ति 'अंचल'—मान्यवर, मैं आपके द्वारा सदन के समक्ष यह संशोधन का प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "प्रतिबन्धात्मक खंड" के स्थान पर शब्द "उपखंड (क) के प्रतिबन्धात्मक खंड या उपखंड (ख)" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—आप दूसरा भी मूव कर दें।

श्री राममूर्ति 'अंचल'—बहुत अच्छा, श्रीमन्। मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "आ जाये" के स्थान पर शब्द "न आ जाये" रख दिये जायं। आशा है आदरणीय मन्त्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "प्रतिबन्धात्मक खंड" के स्थान पर शब्द "उपखंड (क) के प्रतिबन्धात्मक खंड या उपखंड (ख)" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "आ जाये" के स्थान पर शब्द "न आ जाये" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

कर निर्धारण सूची को अन्तिम रूप देना

१०—(१) यदि प्रारम्भिक कर-निर्धारण सूची में उल्लिखित भूमि या भवन के सम्बन्ध में धारा ९ के उपबन्धों के अनुसार कोई आपत्ति प्रस्तुत न की जाय तो उस भूमि या भवन के सम्बन्ध में प्रविष्टियां अन्तिम मान ली जायंगी।

(२) यदि प्रारम्भिक कर-निर्धारण सूची में उल्लिखित भूमि या भवन के सम्बन्ध में धारा ९ के उपबन्धों के अनुसार आपत्ति प्रस्तुत की जाये तो कर निर्धारण प्राधिकारी, आपत्तिकर्त्ता को सुनवाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् आपत्ति कर निर्णय देगा और उस भूमि या भवन से सम्बद्ध प्रारम्भिक कर-निर्धारण सूची की प्रविष्टियों की पुष्टि करेगा या उनका पुनरीक्षण या परिष्कार करेगा।

(३) तदुपरान्त प्रारम्भिक कर निर्धारण सूची कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा यथाविधि प्रमाणीकृत की जायेगी और यह ऐसे किसी संशोधन, परिवर्तन, शुद्धि या परिष्कार के अधीन रहते हुए, जो यथास्थिति, धारा ११ या धारा १२ के अधीन किया जाये, या धारा १६ के अधीन किसी अपील या धारा १९ के अधीन किसी पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप हो, अन्तिम मानी जायेगी। अन्तिम रूप

से तैयार की गयी सूची, ऐसी रीति से जो नियत की जाये, प्रकाशित और सर्व-साधारण के निरीक्षण के लिये उपलभ्य की जायेगी।

(४) इस प्रकार अन्तिम रूप से तैयार की गयी सूची ऐसे किसी संशोधन, परिवर्द्धन, शुद्धि या परिष्कार के अधीन रहते हुए जो, यथास्थिति, धारा ११ या धारा १२ के अधीन किया जाये या धारा १६ के अधीन किसी अपील या धारा १९ के अधीन किसी पुनरीक्षण के परिणाम स्वरूप हो, उसे अन्तिमरूप दिये जाने के दिनांक के बाद आने वाली पहली अप्रैल से प्रभावी और प्रचलित होगी और उस समय तक प्रचलित रहेगी जब तक नयी सूची तैयार होकर प्रचलित न हो जाये :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रचलित होने के पश्चात् पहली बार अन्तिम रूप से तैयार की गयी सूची, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से प्रभावी होगी और प्रचलित हुई समझी जायेगी।

(५) कर निर्धारण प्राधिकारी धारा ८, ९ और इस धारा की उपधारा (१) से (४) तक में निर्धारित रीति से प्रत्येक पांच वर्ष में एक नयी सूची तैयार कर सकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के उपखंड (१) को हटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(१) कर निर्धारण सूची की तैयारी के दिन से कर वसूली के प्रथम दिन के बाद एक माह का समय करदाता को दिया जायगा किसी भी प्रकार का एतराज करने के लिये और जब तक एक माह के अन्दर किसी भी प्रकार की उजुरदारी करदाता की ओर से नहीं होगी तो उस भूमि या भवन के सम्बन्ध में कर निर्धारण सम्बन्धी सभी प्रविष्टियां अन्तिम मान ली जायेंगी।"

श्रीमन्, इस मौजूदा बिल में इस तरह की व्यवस्था है कि अगर शुरू में ही कर-दाता कर प्राधिकारी के सम्मुख किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं करता है तो उसको अन्तिम मान लिया जायगा। कर के सम्बन्ध में जो तैयारी की गई है और जिस पर कर लगता है, उसको कोई मौका नहीं मिलता कि वह किसी तरह से कोई उज्रदारी कर सके उस विषय में। इसलिये यह संशोधन रखा गया है। कभी-कभी जैसा कि कमला सिंह जी ने बताया कि सरकार की तरफ से जो नोटिस तामील करने के लिये जाते हैं वे कभी बैठे ही बैठे उसको तामील करा लेते हैं और कभी तो इस तरीके से लिख देते हैं कि सूची तैयार हुई या करदाता को नहीं मालूम होगा। इसलिये मैं इस बात का संशोधन कि एक माह का समय कर दाता को दिया जायगा, रखा है। ताकि जो सूची की गड़बड़ी है उसके खिलाफ वह उज्रदारी कर सके। यदि एक माह के अन्दर वह कर सके तो ठीक है और नहीं, तो बाद में न सुना जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (१) को हटा कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(१) कर निर्धारण सूची की तैयारी के दिन से कर वसूली के प्रथम दिन के बाद एक माह का समय करदाता को दिया जायगा किसी भी प्रकार का एतराज करने के लिये और जब तक एक माह के अन्दर किसी भी प्रकार की उज्रदारी करदाता की ओर से नहीं होगी तो उस भूमि या भवन के सम्बन्ध में कर निर्धारण सम्बन्धी सभी प्रविष्टियां अन्तिम मान ली जायेंगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के उपखंड (२) में उल्लिखित शब्द 'कर निर्धारण प्राधिकारी' को हटा कर उनके स्थान पर शब्द 'इग्जीक्यूटिव आफिसर, नगरपालिका या महानगरपालिका' रख दिया जाय।

श्रीमन्, मैंने शुरू से ही कितने संशोधन इस बिल में पेश किये हैं। जो कर प्राधिकारी आफिसर की नियुक्ति की बात कही गई है उसका मैं सैद्धांतिक तौर पर विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—महानगरपालिका में क्या इग्जीक्यूटिव आफिसर होता है ? खैर, आप कहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, नगरपालिका या महानगरपालिका के प्रस्तावों को इग्जीक्यूट करने के लिये, कार्यान्वित करने के लिये जो भी अधिकारी रखे गये हैं, उन्हीं से मेरा तात्पर्य है। अगर प्राधिकारी के स्थान पर उसको रख दिया जाय, तो अधिक ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष—आप खंड १० का उपखंड ३ भी प्रस्तुत कर दीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के उपखंड (३) में भी 'कर निर्धारण प्राधिकारी' की जगह 'इग्जीक्यूटिव आफिसर नगरपालिका' दर्ज कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (२) में उल्लिखित शब्द 'कर निर्धारण प्राधिकारी' को हटा कर उनके स्थान पर शब्द 'इग्जीक्यूटिव आफिसर नगरपालिका या महानगरपालिका' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (३) में भी 'कर निर्धारण प्राधिकारी' की जगह 'इग्जीक्यूटिव आफिसर नगरपालिका' दर्ज कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के उपखंड (३) के अन्त में विराम के पूर्व निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"और भूमि तथा भवन स्वामी तथा अध्यासी को उस से सम्बन्धित कर सूची की प्रतिलिपि निःशुल्क दी जायगी।"

श्रीमन्, म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट में दिया हुआ है कि जब फाइनल कर निर्धारण हो जाता है तो उसकी सूचना स्वामी को देना जरूरी होता है या जिस किरायेदार से टैक्स लिया जाता है उसको दी जाय ताकि गलती न हो जाय और जिससे टैक्स लिया जा रहा है उसको भी सही तरीके से मालूम हो जाय, तो उसकी एक सूची बिला किसी शुल्क के दी जाय। हमारी इन सब संस्थाओं के अन्तर्गत रहने वाले ९० प्रतिशत इल्लिटरेट से हैं। अगर निरीक्षण की बात रखी जाती है तो बड़ा मुश्किल होगा। मुसलमान और हिन्दू औरतें पर्दा सिस्टम रखती हैं। जिनके घर कोई मर्द न हो तो वह कैसे कागजों का निरीक्षण करेंगी। इसलिये आशा है कि यह संशोधन स्वीकार किया जायगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अस्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (३) के अन्त में विराम के पूर्व निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :—

"और भूमि तथा भवन स्वामी तथा अध्यासी को उससे सम्बन्धित कर सूची की प्रतिलिपि निःशुल्क दी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के उपखंड (४) और (५) को निकाल दिया जाय। श्रीमन्, इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (४) और (५) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड ११

धारा १० के अधीन अन्तिम रूप से तैयार की गई सूची में संशोधन

११—(१) यदि किसी भी समय कर निर्धारण प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि सूची को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिये ऐसा करना आवश्यक है तो वह, उन शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायं, सूची में संशोधन कर सकता है और विशेषतया—

(१) सूची में किसी लिपिक, अंक सम्बन्धी या अन्य प्रत्यक्ष भूल को ठीक कर सकता है;

(२) त्रुटिवश हुये किसी इन्द्राज, लोप या गलत विवरण को ठीक कर सकता है;

(३) सूची में ऐसा परिवर्द्धन या शुद्धियां कर सकता है जो उसे निम्नलिखित के कारण आवश्यक मालूम हों—

(क) सूची में सम्मिलित भवन का पूंजीगत मूल्य अन्तिम बार अवधारित किये जाने के बाद उसके नष्ट कर दिये जाने या उसे तत्वतः हानि पहुंचाये जाने के कारण; या

(ख) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर की दर में परिवर्तन कर दिये जाने के कारण; या

(ग) भूमि या भवन के स्वामित्व में कोई परिवर्तन होने या उस पर कर का दायित्व आ जाने या न रह जाने के कारण; या

(घ) किसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में पूंजीगत मूल्य या निर्धारित कर के विषय में यह पाये जाने के कारण कि वह कपट, मिथ्या व्यपदेश या त्रुटि के फलस्वरूप गलत आंका गया या निर्धारित किया गया:

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (३) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में तत्समय प्रचलित सूची में तब तक कोई संशोधन न किया जायगा जब तक कि यथास्थिति, भूमि या भवन के स्वामी को सुनवाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर न दे दिया गया हो और कर निर्धारण प्राधिकारी ने प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में स्वामी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी आपत्ति पर विचार करके उस पर निर्णय न दे दिया हो ।

(२) कर निर्धारण प्राधिकारी किसी भी समय, किन्तु धारा ८, ९ और १० के उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात्, कर-निर्धारण सूची में ऐसी शुद्धियां, परिष्कार या परिवर्द्धन कर सकता है जो उसे निम्नलिखित के कारण आवश्यक प्रतीत हों:—

(१) सूची में सम्मिलित भवन में परिवर्तन या परिवर्द्धन किये जाने के कारण, या

(२) कर-निर्धारण सूची के अन्तिम रूप से तैयार किये जाने के पश्चात् नया भवन निर्मित कर दिये जाने के कारण ।

श्री राममूर्ति 'अंचल'—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

खंड ११ के उपखंड (१) में मद (२) के बाद निम्नलिखित मद बढ़ा दी जाय—

"(२–क) धारा ४ के खंड (१) के उपखंड (क) के उपबन्धों के अनुसार तत्कालीन ठीक कर–मूल्य अभिलिखित करने के लिये सूची का परिष्कार कर सकता है किन्तु इस प्रकार के किसी भी परिष्कार की सार्वजनिक सूचना नियत रीति से दी जायेगी।" मान्यवर, आप के द्वारा मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस विधेयक द्वारा यह तो स्पष्ट होता है कि जहाँ–जहाँ पर स्थानीय निकाय के प्राधिकारियों द्वारा कर मूल्य निर्धारित किया जाता है, उन नगरों में आप जैसा का तैसा ही मान कर उसी वार्षिक मूल्य पर कर नियन्त्रित करेंगे। यदि मान लिया जाय कि कहीं पर टैक्स अधिक या कम लगाया गया हो तो वहाँ पर आप मेरे इस संशोधन के द्वारा सरकार को अपनी विभागीय मशीनरी के द्वारा ऐनुअल वेल्यू निर्धारित करने का अधिकार होगा और टैक्स न्यायोचित लगायेगी ताकि सभी वर्ग को समान न्याय प्राप्त होगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड (१) में मद (२) के बाद निम्नलिखित मद बढ़ा दी जाय—

"(२–क) धारा ४ के खंड (१) के उपखंड (क) के उपबन्धों के अनुसार तत्कालीन ठीक कर–मूल्य अभिलिखित करने के लिये सूची का परिष्कार कर सकता है किन्तु इस प्रकार के किसी भी परिष्कार की सार्वजनिक सूचना नियत रीति से दी जायगी,"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के उपखंड (१) की मद (३) के भाग (घ) के अन्त में 'किन्तु अदालत द्वारा निर्धारित कर या पूंजीगत मूल्य अन्तिम समझा जायगा', जोड़ दिया जाय।

उपधारा (घ) में कर निर्धारण अधिकारी को अधिकार दिया गया है कि अगर मिथ्या या कपट के जरिये वेल्यूएशन किया गया है तो वह रिओपिन कर सकता है। लेकिन हमारी सरकार ने व्यवस्था की है कि अदालत से यानी अपीलेट कोर्ट से फैसला होने पर कर निर्धारण अधिकारी उसे पुनर्विचार के लिये ले सकता है। इसका मतलब है कि अदालत के फैसले को वह ठुकरा सकता है। यह नियमावली की धारा २८९ (च) का उल्लंघन है।

श्री अध्यक्ष—अदालत का इसमें प्रावीजन है या नहीं?

श्री कमलासिंह यादव—नहीं है।

अगर अपील में कोई बात तय हो गई तो उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी अधिकारी को नहीं देना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह गौरतलब बात है और मन्त्री जी इस पर विचार करके अपने विचार व्यक्त करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह सर्वविदित है कि जहां अदालत का फैसला होगा वहां कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। यह संशोधन अस्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड (१) की मद (३) के भाग (घ) के अन्त में "किन्तु अदालत द्वारा निर्धारित कर या पूंजीगत मूल्य अन्तिम समझा जायगा", जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के उपखंड (२) के भाग (२) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धारा ११ के अधीन अन्तिम कर निर्धारण सूची की प्रतिलिपि उसके सम्बन्धित कर दाता को निःशुल्क दी जावेगी।"

अक्सर देखा जाता है कि हमारे प्रदेश में इल्लिटरेट आदमी हैं और पर्दानशीन औरतें हैं जिनके लिये अदालत में अपील करना और उसकी कापी प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इसके जरिये डबल टैक्सेशन हो रहा है। अगर निःशुल्क कापी भी न दें तो नतीजा यह होगा कि वे नकल के लिये अर्जी देंगे और अदालत की जो हालत है कि बिना पैसा दिये नकल नहीं मिलती वह सबको मालूम ही है। कभी-कभी मिसप्लेस हो जाने से भी कठिनाई पड़ती है। यह मियाद का सवाल है। इसलिये मैं चाहता हूं कि फाइनल लिस्ट की कापी निःशुल्क दी जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड (२) के भाग (२) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धारा ११ के अधीन अन्तिम कर निर्धारण सूची की प्रतिलिपि उसके सम्बन्धित कर दाता को निःशुल्क दी जावेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री राधेश्याम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के उपखंड (१) या अन्य किसी भी उपखंडों में जहाँ कहीं भी शब्द "कर निर्धारण प्राधिकारी" आये हैं उनके स्थान पर शब्द "इक्जीक्यूटिव आफिसर नगरपालिका" रख दिये जयं।

श्री अध्यक्ष—यह अस्वीकार हो गया है। यह नहीं चलेगा।

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड १२

कर-निर्धारण से छूट जाना

१२—(१) यदि किसी भूमि या भवन अथवा उसके भाग के सम्बन्ध में कोई कर किसी कारण से निर्धारण से छूट गया हो तो कर-निर्धारण प्राधिकारी, धारा ८, ९ और १० के उपबन्धों का पालन करने के पश्चात् उसके सम्बन्ध में कर-निर्धारित या पुनः निर्धारित कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण के वर्ष के पूर्व तीन वर्षों से पहले की किसी भी अवधि के लिये कर का निर्धारण कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा न किया जायगा।

(२) जब किसी भूमि या भवन के सम्बध में कर उपधारा (१) के अधीन निर्धारित किया जाय तो कर-निर्धारण सूची तदनुसार परिष्कृत की जायगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—मैं प्रस्ताव करता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—एग्जीक्यूटिव अफसर का संशोधन अस्वीकार हो चुका है, इसलिये यह नहीं चलेगा। इसे मैं रूल आउट करता हूं।

श्री राममूर्ति अंचल—मान्यवर, मैं आपके आदेश द्वारा प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (१) में से शब्द "या पुनः निर्धारित" निकाल दिये जायं। आशा है मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (१) में से शब्द "या पुनःनिर्धारित" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध की प्रथम पंक्ति में शब्द "तीन" के स्थान पर अंक "१" रख दिया जाय।

यह संशोधन इसलिये रखा है कि कोई भी, जैसे सरकारी अधिकारी हैं, अगर वह किराये पर मकान लेते हैं तो उनका २, ३ साल में ट्रांसफर हो जाता है और उनके ऊपर भी यह टैक्स लागू हो रहा है। उनसे आसानी से वसूल होने के लिये यह संशोधन रखा गया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध की प्रथम पंक्ति में शब्द "तीन" के स्थान पर अंक "१" कर दिया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३ व १४

१३—कर-निर्धारण सूची में उल्लिखित किसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में उसकी कोई प्रविष्टि उस अवधि के लिये, जिसमें उक्त-सूची प्रचलित रही हो या रहे, कर से सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिये निश्चायक प्रमाण होगी।

सूची में प्रविष्टियों का निश्चायक होना

१४—जब किसी भवन का निर्माण, पुनर्निमाण या परिवर्द्धन किया जाये, तो स्वामी उस निर्माण, पुनर्निमार्ण या परिवर्द्धन के पूरा हो जाने के दिनांक से अथवा उस भवन में अध्यासन के दिनांक से, जो भी दिनांक पहले हो, तीस दिन के भीतर उसकी सूचना कर निर्धारण प्राधिकारी को ऐसी रीति से और ऐसे ब्योरे के साथ देगा जो नियत किये जायं।

संशोधन के प्रयोजनों के लिये सूचना देने का दायित्व

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ और १४ इस विधेयक के अंग माने जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५

१५—(१) किसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में कर ऐसे स्थान पर और ऐसी किस्तों में देय होगा जो नियत की जायं और कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा (जिसके अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी भी है) जिसे राज्य सरकार तदर्थ नियुक्त करे, वसूल किया जायगा।

कर की वसूली

(२) कर वसूल करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी, कर या उसकी कोई किस्त देय हो जाने पर यथाशक्य शीघ्र मांग का नोटिस—जिसमें ऐसे ब्योरे दिये होंगे जो नियत किये जायं—स्वामी पर तामील करायेगा और उसमें उस नोटिस के तामील होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर देय कर का भुगतान करने के लिये कहेगा।

(३) यदि कर-दाता द्वारा देय कर या उसकी किसी किस्त का भुगतान नियत अवधि के भीतर न किया जाय तो उक्त अवधि की समाप्ति पर करदाता बाकीदार समझा जायगा और धारा १७ के अधीन आरोपित शास्ति (यदि कोई हो) की धनराशि सहित कर, यथास्थिति, करदाता या उसके विधिक प्रतिनिधि से, मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

(४) यदि किसी स्थानीय प्राधिकारी ने, उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसरण में कर वसूल किया हो, तो वह वसूली के लिये ऐसे पारिश्रमिक, जो वसूल किये गये कर के पांच प्रतिशत से अधिक न हो और जिसे सरकार

आदेश द्वारा तदर्थ निश्चित करे, पाने का हकदार होगा और राज्य सरकार द्वारा उसका भुगतान उसे किया जायगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४
यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६
उ० प्र० अधिनियम संख्या, २,१९५९

(५) यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ , यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ या उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ में दिये गये किसी उपबन्ध से विरोध होने की दशा में इस धारा के उपबन्ध पूर्वोक्त उपबन्ध पर अभिभावी होंगे और उन्हें कार्यान्वित किया जायगा, भले ही उपर्युक्त अधिनियमों में कोई प्रतिकूल बात दी हो ।

श्री कमलासिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के उपखंड (२) की चौथी पंक्ति में शब्द 'तीस' के स्थान पर संख्या '६०' रख दी जाय।

श्रीमन्, इसमें पैनाल्टी वसूल करने का सवाल है। जो कर निर्धारित किया जाता है,अगर कोई आदमी उसको ३० दिन के अन्दर नहीं देता है तो उसका दसवाँ भाग उससे पैनाल्टी के रूप में और वसूल किया जायगा। जमींदारी एबालीशन ऐक्ट के जरिये से लगान वसूल किया जाता है एक तो वह हर आदमी से वसूल किया जाता है दूसरे अगर उसके देने में १०–५ दिन या एक–दो महीने की देर हो जाती है तो उसको कुर्की आदि के रूप में वसूल किया जाता है लेकिन देरी के कारण उससे कोई पेनाल्टी नहीं ली जाती है। एक तो इस विधेयक के द्वारा दुहरा टेक्सेशन किया जा रहा है दूसरे जो कन्ट्रोल ऐक्ट है उसके अनुसार रेंट भी नहीं बढ़ाया जा सकता परन्तु आप रेंट पर टैक्स भी बढ़ा रहे हैं। इस पर भी अगर ३० से ३१ दिन उसको हो जायं तो आप उसका दसवाँ भाग और उससे पेनाल्टी के रूप में वसूल करेंगे। मैं समझता हूं कि किसी प्रकार भी उचित न होगा जब कि जनता टैक्स देने की हालत में भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—श्री कमलासिंह जी, आपने यह २०—क संशोधन पेश किया है। ऊपर वाले दो संशोधनों का क्या हुआ ?

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, उनकी जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (२) की चौथी पंक्ति में शब्द 'तीस' के स्थान पर संख्या '६०' रख दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है—

"खंड १५ के उपखंड (३) की पंक्ति ३, ४ व ५ में शब्द 'धारा १७ के अधीन आरोपित शास्ति (यदि कोई हो) की धनराशि सहित कर, यथास्थिति, कर दाता या उसके विधिक प्रतिनिधि से, मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा', के स्थान पर शब्द 'उसकी वसूली के लिये जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम, १९५० में निहित मालगुजारी की वसूली की पद्धति अपनाई जायेगी' रख दिये जायं ।"

श्रीमन्, हमने यह संशोधन १५(३) में रखा है जिसमें कहा गया है कि नोटिस देने के एक माह के अन्दर भुगतान न करेगा तो उस पर जुरमाना किया जायगा। तो जिस प्रकार मालगुजारी वसूल करने में आप जिस प्रकार से कोई जुरमाना नहीं करते हैं उसी प्रकार से इसमें भी आप कोई जुरमाना न रखें ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (३) की पंक्ति ३, ४ व ५ में शब्द "धारा १७ के अधीन आरोपित शास्ति (यदि कोई हो) की धनराशि सहित कर, यथास्थिति, करदाता या उसके विधिक प्रतिनिधि से, मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल

किया जा सकेगा', के स्थान पर शब्द 'उसकी वसूली के लिये जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम, १९५० में निहित मालगुजारी की वसूली की पद्धति अपनाई जायगी', रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है—

"खंड १५ के उपखंड (४) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'पांच' के स्थान पर संख्या '५०' कर दी जाय।"

श्रीमन्, यह संशोधन मैंने इसलिये पेश किया है कि नगरपालिका, नोटिफाइड एरियाज और टाउन एरियाज के लिये इस खंड में एक प्रकार की चुनौती दी गयी है। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां सदन में मौजूद हैं और उनसे अपील करता हूं कि वे प्रांतों में जहां कहीं भी वे मीटिंग में जाते हैं वहां उन्होंने दावा किया है कि वे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। चूंकि भाग्य से वे यहां इस समय सदन में उपस्थित हैं, इसलिये मैं उनसे अपील करता हूं कि जब उनका दावा है कि वे डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं तथा नगरपालिका, टाउन एरियाज व नोटिफाइड एरियाज को हर तरह से अधिकार दे रहे हैं तो उनको चाहिये कि उनको इतना धन दें कि वे अपनी सड़कें बना सकें, अपने उद्यान बना सकें, अपने मकान वगैरह बना सकें।

जहां तक टैक्स का सवाल है, इस विधेयक के द्वारा आप अब डबल टैक्सेशन करने जा रहे हैं और एक तरह से जितनी म्युनिसिपल बोर्ड्स, टाउन एरियाज व नोटीफाइड एरियाज हैं, उनकी पावर्स को सरकार ले रही है। उनको टैक्स लगाने का जो पावर है जिससे वे अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं, इस विधेयक के द्वारा छीना जा रहा है। इससे बहुत बड़ी आमदनी सरकार को होगी। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी को इस संशोधन को मान लेना चाहिये। आज बहुत सी म्युनिसिपलिटीज ऐसी हैं जो पीने के पानी का प्रबन्ध तक नहीं कर सकी हैं, जैसे पूर्वी जिलों की हालत है कि वहां पीने के पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है, उनकी सड़कें खराब हैं, तो कम से कम जो सुपरटैक्स माननीय मन्त्री जी इस विधेयक के द्वारा लगा रहे हैं, उसका ५० प्रतिशत इन नगर पालिकाओं, टाउन एरियाज व नोटिफाइड एरियाज को दे दें तो उनकी हालत अच्छी हो जायगी।

दूसरी बात यह है कि उसके लिये अलग से टैक्स का असेसमेंट अधिकारी न होकर जो म्युनिसिपैलिटीज आदि के अधिकारीगण हैं वे ही इस धन को वसूल करें तो इससे इनको प्रोत्साहन मिलेगा और नगरपालिका आदि के जो अध्यक्ष हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा तथा एक बहुत बड़ी ताकत और धन भी इस रूप में उनको मिलेगा। जितनी भी योजनायें आती हैं वे इसलिये विफल होती हैं कि सरकार टाउन एरियाज आदि से कहती है कि आधा रुपया वे दें तब आधा सरकार देगी और इस तरह से उनकी मांग को वे ओमिट करते हैं। इस तरह से टाउन एरियाज, म्युनिसिपल बोर्ड्स व नोटिफाइड एरियाज की व्यवस्था ठीक हो जायगी। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस बात का ध्यान करेंगे और इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है.....

श्री कमलासिंह यादव—यह डिसेंट्रालाइजेशन का सवाल है, तो उनका भी विचार मालूम हो जाय कि वे क्या कहते हैं।

श्री अध्यक्ष—यहां तो सिर्फ यह सवाल है कि ५ प्रतिशत के स्थान पर ५० प्रतिशत कर दिया जाय या नहीं।

श्री कमलासिंह यादव—कम से कम माननीय मुख्य मन्त्री जी अपनी बात तो बतला दें कि वे क्या चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—जो वे चाहते हैं, उसे उन्होंने लिखा है ।

श्री कमलासिंह यादव—व्यक्तिगत मन्त्री जी कुछ भी सोचें लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी का विचार हम लोग सुनना चाहते हैं कि उनका इसके प्रति क्या विचार है ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (४) की तीसरी पंक्ति में शब्द "पांच" के स्थान पर संख्या "५०" कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि "खंड १५ का उपखंड (४) निकाल दिया जाय।"

मैं इसको निकालने का प्रस्ताव इसलिये कर रहा हूं कि इसके निकल जाने से सरकार का खर्चा कम होगा। श्रीमन्, आप देखें कि इसमें कहा गया है कि–(४) यदि किसी स्थानीय प्राधिकारी ने, उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसरण में कर वसूल किया हो, तो वह वसूली के लिये ऐसा पारिश्रमिक, जो वसूल किये गये कर के पांच प्रतिशत से अधिक न हो और जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा तदर्थ निश्चित करे, पाने का हकदार होगा और राज्य सरकार द्वारा उसका भुगतान उसे किया जायगा"।

मैं यह चाहता हूं कि जैसे तहसीलदार मालगुजारी वसूल करता है, जैसे शहर में नगरपालिकाएं टैक्स वसूल करती हैं, उसी प्रकार से इस कर को भी वसूल होना चाहिये। इस के लिये अलग से कोई अधिकारी नियुक्त करने की जरूरत नहीं है और इसके लिये तनख्वाह आदि देने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं समझता हूं कि यह संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मुझे भी एक मिनट दें, दें क्योंकि आप हमेशा मुझे एक मिनट दिया करते हैं।

श्री अध्यक्ष—ऐसे में एक मिनट नहीं देता हूं ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मेरा निवेदन केवल यह है कि यह बड़ी ही न्याययुक्त मांग है और इसे सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ का उपखंड (४) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १६

अपील और पुनरीक्षण

अपील

१६—(१) धारा १०,११ या १२ के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति के पूर्व, किसी समय उस जिले के, जिसमें भूमि या भवन जिसके सम्बन्ध में आज्ञा दी गयी हो, स्थित हो, कलेक्टर या ऐसे अन्य प्राधिकारी के समक्ष, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियुक्त करे, अपील प्रस्तुत कर सकता है,

प्रतिबन्ध यह है कि कोई अपील तब तक ग्रहण न की जायगी जब तक कि उसके साथ अपीलकर्त्ता द्वारा देय निर्धारित कर के कम से कम दो तिहाई का भुगतान कर दिये जाने का सन्तोषजनक प्रमाण न हो ।

(२) यदि अपीलीय प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि उपधारा (१) में उल्लिखित अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है।

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील नियत रीति से प्रस्तुत और सत्यापित की जायगी।

(४) अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्त्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसी आज्ञा देगा जो वह उचित समझे और आज्ञा की एक-एक प्रतिलिपि, कर-निर्धारण प्राधिकारी और ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जो नियत किया जाय, भेजेगा।

(५) यदि आवश्यक हो तो कर-निर्धारण सूची अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार परिष्कृत की जायगी।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध की द्वितीय पंक्ति में शब्द "दो तिहाई" के स्थान पर शब्द "एक चौथाई" रख दिये जायं।

जहां तक असेसमेंट का सवाल है अगर किसी पर अधिक असेसमेंट हो जायगा तो उसे बहुत दिक्कत होगी। यह डबल टेक्सेशन हो रहा है, ऐसे समय में जब कि गरीब खाने को मर रहा है, उस पर आप सुपर टैक्स लगा रहे हैं। यह आशा नहीं की जा सकती कि हर-एक के पास पैसा है, इसलिये मेरा संशोधन है कि अपील करने से पहले जो दो तिहाई जमा करने की बात रखी गयी है उसकी जगह उससे केवल एक चौथाई ही जमा कराया जाय। यह दो तिहाई इसी खयाल से रखा गया है कि लोग इसके बोझ की वजह से ज्यादा अपील ही न कर सकें। इसलिये इसको एक चौथाई कर दिया जाय ताकि वह आसानी से कोर्ट के द्वारा इंसाफ सीक कर सके।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध की द्वितीय पंक्ति में शब्द 'दो तिहाई' के स्थान पर शब्द 'एक चौथाई' रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "तीस" की जगह शब्द "साठ" रख दिया जाय, पंक्ति ४ व ५ के शब्द 'कलेक्टर या ऐसे अन्य प्राधिकारी के समक्ष जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियुक्त करे', निकाल दिये जांय और उन के स्थान पर शब्द 'जिला जज या उसके अधीनस्थ किसी अदालत में', रख दिये जायं।

इस धारा में कहा गया है कि यदि कोई क्षुब्ध करदाता हो तो वह फैसले की अपील कलेक्टर के यहां कर सकता है। मेरा निवेदन है कि कलेक्टर के यहां अपील का अधिकार न देकर जिला जज या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी को दिया जाय। कलेक्टर ऐसे मामलों में जहां सरकार का मामला होता है न्याय करने में असमर्थ रहता है, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। अगर न्यायाधीश के यहां अपील होगी तो करदाता न्याय की आशा कर सकते हैं इसलिये न्यायाधीश या उसके अधीनस्थ कोई अधिकारी यहां पर रख दिया जाय जिससे लोगों को वाकई न्याय मिल सके।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द 'तीस' की जगह शब्द 'साठ' रख दिया जाय, पंक्ति ४ व ५ के शब्द 'कलेक्टर या ऐसे अन्य प्राधिकारी के समक्ष जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियुक्त करे', निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द 'जिला जज या उसके अधीनस्थ किसी अदालत में', रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामसूर्ति 'अंचल'—श्रीमन्, आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं :—

खंड १६ के उपखंड (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "दो तिहाई" के स्थान पर शब्द "आधे" रख दिया जाय। आशा है माननीय मंत्री जी स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "दो तिहाई" के स्थान पर शब्द "आधे" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के उपखंड (१) के अन्तिम पैरा "प्रतिबन्ध यह है—प्रमाण न हो" वाले वाक्यांश को हटा दिया जाय।

श्रीमन्, प्रतिबन्ध वाला वाक्य इस प्रकार है "प्रतिबन्ध यह है कि कोई अपील तब तक ग्रहण न की जायगी जब तक कि उसके साथ अपीलकर्ता द्वारा देय निर्धारित कर के कम से कम दो तिहाई का भुगतान कर दिये जाने का संतोषजनक प्रमाण न हो।"

तो इस बिल में कोई अदालत की व्यवस्था है ही नहीं कि कर-दाता किसी प्रकार की उज्रदारी करे, साथ-साथ कलेक्टर को अधिकार है आपत्ति सुनने का। एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि जिले में कलेक्टर को हर प्रकार के करों को वसूल करने का अन्तिम अधिकार है, यह उसकी जिम्मेदारी है और इस कर के भी वसूल करने की उसकी जिम्मेदारी है। तो जिसको कर वसूल करने का अधिकार है, जो जिले का प्रमुख सरकारी अधिकारी है, उसको आपत्ति सुनने का अधिकार देना और वह करदाता के साथ न्याय करेगा यह कहां तक न्याय संगत है। यह न्याय की परम्परा के खिलाफ़ है। इसलिये मेरा संशोधन है अदालत मुकर्रर हो और साथ ही साथ किसी प्रकार अगर करदाता दो तिहाई जमा कर देगा तो अपील का मकसद ही क्या रहेगा। बिना कुछ जमा किये हुए अपील का हक होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (१) के अन्तिम पैरा "प्रतिबन्ध यह है—प्रमाण न हो" वाले वाक्यांश को हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—खंड १६ के उपखंड (५) की पंक्ति १ से शब्द "यदि आवश्यक हो तो" निकाल दिये जायं।

कर निर्धारण सूची अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार पष्ठिकृत की जायगी", केवल यही होना चाहिये। "यदि आवश्यक हो तो" की कोई जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (५) की पंक्ति १ से शब्द "यदि आवश्यक हो तो" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—सदन का समय १५ मिनट बढ़ाया जाता है।

श्री कमलासिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के उपखंड (५) के अन्त में विराम के पूर्व निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"और उसकी प्रतिलिपि उसके सम्बन्धित स्वामी अथवा अध्यासी को निःशुल्क दी जायेगी।"

अक्सर यह देखा गया है कि अपील से जब फाइनल कर हो जाता है तो अगर कोई फ़ैसले की नकल न ले तो बड़ी दिक्कत हो जाती है उसको जानकारी हासिल करने में। इसके अलावा कभी-कभी जजमेंट रिजर्व रखा जाता है और उस आदमी को नहीं बल्कि उसके वकील को सुना दिया जाता है और अगर वकील उसे इत्तला देना भूल जाय तो बड़ी परेशानी होगी। इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि उसकी प्रतिलिपि निःशुल्क उसके स्वामी को या जिस पर टैक्स लगाया जा रहा हो उसे दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (५) के अन्त में विराम के पूर्व निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"और उसकी प्रतिलिपि उसके सम्बन्धित स्वामी अथवा अध्यासी को निःशुल्क दी जायेगी"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७

१७—(१) यदि कोई करदाता देय कर की किसी किस्त का बाकीदार हो जाय, तो कर निर्धारण प्राधिकारी, स्वमति से निदेश दे सकता है कि कर के बकाय की धनराशि के अतिरिक्त उस धनराशि के दसवें भाग से अनधिक पर शास्ति धनराशि करदाता से शास्ति के रूप में वसूल की जायगी : कर का भुगतान न करने

प्रतिबन्ध यह है कि जब कर-निर्धारण की आज्ञा के विरुद्ध अपील विचाराधीन हो तो कोई शास्ति आरोपित नहीं की जायगी।

(२) यदि कोई व्यक्ति—

(क) धारा १४ के अधीन कर निर्धारण प्राधिकारी को भेजी जाने के लिए अपेक्षित सूचना तदर्थ निर्धारित अवधि के भीतर उसे न दें, या

(ख) धारा २१ के अधीन कर-निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित अभिलेख, लेख्य, लेखा या ब्योरे प्रस्तुत न करें;

तो कर-निर्धारण प्राधिकारी, स्वमति से उस पर पचास रुपये से अनधिक धनराशि की शास्ति आरोपित कर सकता है और वह धनराशि उस व्यक्ति से उसके द्वारा देय कर (यदि कोई हो) के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी।

(३) मांग का नोटिस जिसमें उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन आरोपित शास्ति की धनराशि भी दिखायी जायगी, करदाता पर नियत रीति में तामील किया जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय...

श्री अध्यक्ष—इसमें एग्जीक्यूटिव अफ़सर का जिक्र है इसलिये यह नहीं आ सकता।

श्री राममूर्ति 'अंचल'—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेशानुसार प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(१) यदि कोई करदाता देय कर की किसी किस्त का बाकीदार हो जाय तो वह कर के बकाये की धनराशि के अतिरिक्त उक्त धनराशि के पांच प्रतिशत के बराबर धनराशि शास्ति के रूप में देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कर-निर्धारण की आज्ञा के विरुद्ध अपील विचाराधीन हो तो उस अपील के दौरान अथवा उसके निर्णीत होने के तीस दिन के भीतर कर की बकाया धनराशि चुका दी जाती है तो करदाता शास्ति का देनदार न होगा।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(१) यदि कोई करदाता देय कर की किसी किस्त का बाकीदार हो जाय तो वह कर के बकाये की धनराशि के अतिरिक्त उक्त धनराशि के पांच प्रतिशत के बराबर धनराशि शास्ति के रूप में देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कर-निर्धारण की आज्ञा के विरुद्ध अपील विचाराधीन हो तो उस अपील के दौरान अथवा उसके निर्णीत होने के तीस दिन के भीतर कर की बकाया धनराशि चुका दी जाती है तो करदाता शास्ति का देनदार न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राममूर्ति अंचल—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ के उपखंड (३) में संख्या (१) के बाद शब्द "के अधीन देय" बढ़ा दिये जायं। आशा है माननीय मंत्री स्वीकार करके अनुग्रहीत करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे स्वीकार है।

श्री कमलासिंह यादव— मुझे २७–छ पेश करने का मौका नहीं दिया गया। पहले वह पेश होना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—बाद में कर लीजियेगा।

प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (३) में संख्या (१) के बाद शब्द 'के अधीन देय' बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ के उपखंड (२) के भाग (ख) की चौथी पंक्ति में शब्द "उस पर" और "रुपये" के बीच शब्द "पचास" के स्थान पर अंक "१" रख दिया जाय।

मेरा निवेदन यह है कि यह एक ऐसा युग है कि गरीबी चारों तरफ फैली हुई है। दूसरे यह कि अंग्रेजों के जमाने के जो कानून बने हुए हैं उसमें आज कल उलट फेर करने की कोई आवश्यकता नहीं है और एविडेंस ऐक्ट जो है वह इस समय प्रदेश में लागू है। किसी भी आदमी को यह आदेश दिया जाता है कि वह किसी डाक्युमेंट को पेश करे और प्रस्तुत नहीं करता है तो ११४ के अन्दर प्रीजम्पशन किया जा सकता है। वह अधिकारी एक तरह से कोर्ट है। वह किसी तरह से एडवर्स प्रीजम्पशन ले लेता है और ५० रुपये पेनाल्टी कर सकता है। इसमें लिखित आर्डर की बात नहीं है, जबानी आर्डर वह डाक्युमेंट पेश करने को दे सकता है। लिखित न होने के कारण यह सन्देह है कि गलत तरीके पर बदला लेने की भावना से वह कह सकता है कि मैंने आदेश दिया था लेकिन कागजात पेश नहीं किये गये, इसलिये ५० रुपये जुर्माना किया जाता है। यह चीज प्रजातंत्र की हत्या कर देगी। इसलिये किसी तरह से यह कदम उचित नहीं है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे मंजूर नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (२) के भाग (ख) की चौथी पंक्ति में शब्द "उस पर" और "रुपये" के बीच शब्द "पचास" के स्थान पर अंक "१" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—मुझे मौका मिलना चाहिये क्योंकि मेरा संशोधन है। मुझे पूरे खंड १७ का विरोध करना है, इस धारा की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—वह तो आप ठीक कहते हैं। लेकिन वह पास हो गया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—साढ़े ५ बज गये हैं। क्या टाइम बढ़ाने का कोई प्रस्ताव आया है ?

श्री अध्यक्ष—१५ मिनट मैंने बढ़ा दिये हैं।

श्री उग्रसेन—आप अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ़ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष—मैंने परिवर्तन कर दिया था इस वजह से मेरी जिम्मेदारी आ गयी।

खंड १८

शास्ति के विरुद्ध अपील

१८—कोई करदाता जो धारा १७ के अधीन अरोपित शास्ति की धनराशि पर अपत्ति करे अथवा उसके दायित्व से इन्कार के, धारा १७ की उपधारा (३) के अधीन मांग के नोटिस की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर धारा १६ के अधीन अपील सुनने के लिए अधिकृत अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता है, जो अपीलकर्ता की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसी आज्ञा देगा जो वह उचित समझे और आज्ञा की एक-एक प्रति कर निर्धारण प्राधिकारी तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी को भेजेगा जो नियत किया जाये। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

श्री राममूर्ति 'अंचल'—माननीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं संशोधन का प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ में शब्द 'कोई करदाता जो धारा १७ के अधीन आरोपित शास्ति की धनराशि पर आपत्ति करे अथवा उसके दायित्व से इन्कार करे, धारा १७ की उपधारा (३) के अधीन मांग के नोटिस', के स्थान पर शब्द 'कोई करदाता जो धारा १७ की उपधारा (३) के अधीन मांग के नोटिस में दिखाई गयी शास्ति की धनराशि पर आपत्ति करे अथवा उसके दायित्व से इंकार करे, उक्त नोटिस' रख दिये जायं। मुझे माननीय मंत्री श्री विचित्र नारायण जी शर्मा से आशा ही नहीं विश्वास है कि वे ऐसे आवश्यक और व्यापक संशोधन को सहर्ष स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ में शब्द 'कोई करदाता जो धारा १७ के अधीन आरोपित शास्ति की धनराशि पर आपत्ति करे अथवा उसके दायित्व से इंकार करे, धारा १७ की उपधारा (३) के अधीन मांग के नोटिस', के स्थान पर शब्द "कोई कर दाता जो धारा १७ की उपधारा (३) के अधीन मांग के नोटिस में दिखाई गई शास्ति की धनराशि पर आपत्ति करे अथवा उसके दायित्व से इंकार करे, उक्त नोटिस" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—जो पहले तय हुआ था कि पीठासीन व्यक्ति पढ़ता जायगा और इसके ऊपर.....

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष—अगर आपको मंजूर नहीं है तो बात दूसरी है। यदि आपकी राय हो तो मैं पढ़ दूं ?

प्रश्न यह है कि खंड १८ की तीसरी पंक्ति के प्रारम्भ में जो कोष्टक के भीतर अंक '(३)' लिखा है उसके स्थान पर कोष्टक के भीतर अंक '(२)' कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—(श्री राम सुन्दर पांडेय से) यदि आपकी राय हो तो मैं पढ़ दूं ?

प्रश्न यह है कि खंड १८ की पंक्ति ३ में शब्द "तीस" के स्थान पर शब्द "साठ" रख दिया जाय और अन्तिम पंक्ति के शब्द "अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, धारा १८, १९ और २० जो इस बिल में हैं वे करदाताओं पर कर लगाने की हैं। श्रीमन्, मैं इसलिये विरोध करना चाहता हूं कि किरायेदार पर सरकार टैक्स लगाने जा रही है। दूसरी तरफ अगर एक महीने में कर वसूल न हो तो पेनाल्टी वसूल करने का भी इसमें दिया है इसलिये मैं चाहता हूं कि खंड ३ निकाल दिया जाय और कर दाता पर किसी तरह से पैनाल्टी की व्यवस्था न हो। ऐसा मालूम होता है कि इस बिल को ड्राफ्ट करने वाले बड़े-बड़े मकान मालिक हैं और किराये पर जो रहते हैं उनसे शस्त्र लेना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९

पुनरीक्षण

१९—राज्य सरकार, या ऐसा अन्य प्राधिकारी, जो आयुक्त के पद से नीचे के पद का न हो और जो तदर्थ नियुक्त किया जाय, स्वतः या प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के अभिलेख या किसी प्राधिकारी की आज्ञा को, उक्त कार्यवाही या आज्ञा की वैधता या औचित्य क सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसके सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा दे सकता है जो उसे न्याय की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत हो।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ में शब्द "आयुक्त" के स्थान पर शब्द "जिला जज" कर दिये जायं—

श्रीमन्, इसमें पुनरीक्षण की पावर दी गई है। ऊपर अपील में भी जिला जज को नहीं लाया गया है। मेरी राय में श्रीमन्, लिमिट कितनी हो यह भी सरकार ने अपने हाथ में ले रखी है, टैक्सेबिल कितना हो यह भी सरकार ने अपने में लिया है और मूल्यांकन कैसे किया जाय, यह भी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है।

बहुत सी चीजों की अपील भी सरकार ने अपने हाथो में रखी है जो मूल्यांकन का था, उसमें सरकार ने अपील की पावर भी नहीं दी। इतनी क्रूरता के साथ यह एक्ट लाया जा रहा है। सांस लेने का दम नहीं है। पुनरीक्षण तक की पावर ही जिला जज को दे दी जाये तो लोगों को थोड़ा सा संतोष हो जायेगा कि सम्भव है कि हमारी सुनवायी हो जाय वहां जुडिशयल सेंस-प्रिवेल करेगा कम से कम इसलिए यहां तो जिला जज को रख दिया जाय। इस लिए मैंने यह संशोधन रखा है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ में शब्द "आयुक्त" के स्थान पर शब्द "जिला जज" कर दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २०

२०—कोई धनराशि जो करदाता द्वारा देय धनराशि के अतिरिक्त दी गयी हो, कर निर्धारण प्राधिकारी की प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, करदाता को लौटा दी जायेगी। अतिरिक्त भुगतान का लौटाया जाना

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २१

२१—यदि कर निर्धारण प्राधिकारी की यह राय हो कि इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो वह लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसे भवन या भूमि के स्वामी या अध्यासी से, जिसके संबंध में कर निर्धारण की जाने की संभावना हो, उक्त भूमि या भवन के संबंध में कोई अभिलेख्य, लेखा या अन्य आवश्यक ब्योरे अपने समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिये कह सकता है और तब स्वामी या अध्यासी नोटिस तामील होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करेगा। किसी भूमि या भवन के संबंध में लेख्य, अभिलेख, लेखा या अन्य ब्योरे प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष—माननीय कमलासिंह, मैं पेश कर दूं ? (मौन स्वीकृति)

प्रश्न यह है कि खंड २१ की सातवीं पंक्ति में शब्द "नोटिस" और "तामील" के बीच शब्द "जाती तौर पर" जोड़ दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, खंड २१ की अन्तिम पंक्ति में शब्द 'करेगा' और विराम के बीच निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—"किन्तु यह समय यदि उचित समझा जाय तो उक्त प्राधिकारी बढ़ा सकता है।" इसमें एक चीज कर दें। मैं कहना चाहता था कि उस प्राधिकारी की इच्छा पर कुछ और भी छोड़ दिया जाय जब सब छोड़ ही दिया गया है। सब कुछ उसकी मरजी पर छोड़ा गया है लेकिन इतना तो बढ़ा दें कि अगर सफीशेंट रीजन हो तो समय बढ़ा दिया जाय। कम से कम इतना बढ़ा दिया जाय ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, स्वीकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २१ की अन्तिम पंक्ति में शब्द "करेगा" और विराम के बीच निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु यह समय यदि उचित समझा जाय तो उक्त प्राधिकारी बढ़ा सकता है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४५ मिनट पर अगले दिन के १० बजकर ३० मिनट तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१२ सितम्बर, १९६२ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४२ पर)

सूची—१

उत्तर ११—ई० आई० रेलवे एम्प्लाइज कोआपरेटिव स्टोर लि०, इलाहाबाद में वर्ष १९५८–५९ की आडिट रिपोर्ट में गबन नहीं वरन् कर्मचारियों द्वारा ५,३७७ रु० ७२ न० पै० का दुरुपयोग बताया गया है। इसमें से हिसाब किताब में भूल के कारण जो १६१ रु० कम जमा किया गया था उसे उत्तरदायी व्यक्तियों से जमा करवा लिया गया है। शेष दुरुपयोग के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये शीघ्रातशीघ्र स्टाक रजिस्टर आदि पूर्ण करके पुनः आडिट हेतु प्रस्तुत करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

संसद पुस्तकालय सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४२ पर)

सूची—२

उत्तर १२—जिला आजमगढ़, के डी० ए० एफ० में वर्ष १९५९–६० के स्पेशल आडिट ने १,७३,०३७ रु० ७६ न० पैसों के मूल्य की खाद के स्टाक में कमी तथा १,५२,०४४ रु० ९६ न० पैसे मूल्य की अन्य वस्तुओं के दुरुपयोग पाये गये थे ।

खाद के स्टाक में कमी का मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

१,५२,०४४ रु० ९६ न० पैसों के मूल्य की अन्य वस्तुओं के दुरुपयोग संबंधी आडिट रिपोर्ट डी० सी० डी० एफ० को अनुपालन हेतु दी गई थी । पुराने बकाये एवं हिसाब किताब की त्रुटियों वाले मामलों में से डी० सी० डी० एफ० ने ३७,७३६ रु० १७ न० पैसे वसूल कर लिये हैं । १७,५६४ रु० ४४ न० पैसों के हिसाब किताब की दुरुस्ती कर ली गई है । ४७,४७५ रु० २१ न० पैसों की आडिट की आपत्ति गलत बनाई जाती है । केवल ४९,२६९ रु० १४ न० पैसों की वसूली शेष है जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४३ पर)

सूची—अ

झांसी जिले के विभिन्न विकास क्षेत्रों को सन् १९५८ से १९६१ तक कूप निर्माणार्थ दिये गये अनुदान सम्बन्धी सूचना

विकास क्षेत्र का नाम	स्वीकृत कूपों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	पूर्ण हो गये कूपों की संख्या	कूपों की संख्या जो बन रहे हैं
		रु०		
ताल बेहट	२०	१९,४५०	६	१४
जखोरा	६	६,०८६	१	५
विरथा	१९	१८,९६०	६	१३
बार	११	१२,३००	६	५
मडावरा	१३	१२,७००	५	८
महरौनी	२०	१८,५२०	३	१७
योग ..	८९	८८,०१६	२७	६२

अनुभाग प्रदर्शन

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४३ पर)

सूची—ब

झांसी जिले में १९५७–५८ तक हरिजन सम्मेलन हेतु दिये गये अनुदान सम्बन्धी सूचना

वर्ष	क्रम संख्या	अनुदान जो दिया गया	ग्रहीता का नाम और पता
	१	२	३
		रु०	
१९५७–५८	१	४७.५०	रामनाथ भजन लाल, मसीहागंज, सीपरी बाजार, झांसी ।
	२	२३२	जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, झांसी ।
१९५८–५९	१	२००	श्री नत्थू सिंह, अध्यक्ष, रावत सहरिया आदि संघ, ललितपुर, झांसी ।
	२	१००	श्री राम कृष्ण, सामाजिक कार्यकर्ता एवं श्री राम सुमेर सुपरवाइडर, ५० रु० प्रति व्यक्ति ।
	३	१००	श्री रामजी लाल, सेक्रेटरी, बाल्मीकी संघ, तोपखाना बाजार, झांसी ।
	४	९४	श्री भगवान दास प्रधान, सिटी हरिजन सेवक संघ, सीपरी बाजार, झांसी ।
	५	२५०	जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, झांसी ।
	६	१००	श्री माठू राम सुनौरी, तालबेहट, झांसी ।
१९६०–६१	१	५००	श्री गज्जूराम, एम० एल० ए०, सदर बाजार, झांसी ।
	२	१००	श्री चिम्मन लाल, गुदरी बाजार, झांसी
	३	५०	क्षेत्र विकास अधिकारी, महरानी, झांसी ।
	४	५०	तहसीलदार, ललितपुर ।
	५	१६	क्षेत्र विकास अधिकारी, चिरगांव, झांसी,
	६	१६	क्षेत्र विकास अधिकरी, गुरुसराय, ,,
	७	१६	,, ,, ,, जखोरा, ,,
	८	१६	,, ,, ,, मोठ, ,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	क्रम-संख्या	अनुदान जो दिया गया	ग्रहीता का नाम और पता
	१	२	३
		रु०	
१९६१-६२	१	७	क्षेत्र विकास अधिकारी, बड़ागांव, झांसी
	२	७	,, ,, ,, , मोठ, ,,
	३	७	,, ,, ,, , चिरगांव, ,,
	४	७	,, ,, ,, , गुरुसराय, ,,
	५	७	,, ,, ,, , वामौर, ,,
	६	७	,, ,, ,, , मऊरानीपुर ,,
	७	७	,, ,, ,, , बबीना, ,,
	८	७	,, ,, ,, , तालबेहट, ,,
	९	७	,, ,, ,, , जखोरा, ,,
	१०	७	तहसीलदार, ललितपुर, झांसी ।
	११	७	क्षेत्र तहसील महरौली, झांसी ।
	१२	२०	श्री कल्लूराम चौधरी, गड़िया फाटक, झांसी ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५० पर)

टिकटों का विवरण	कमीशन की दर	
	जहां सरकार की ओर से टिकट बेचे जाते हैं (सदर अथवा तहसील खजानों के हेड क्वार्टर पर)	अन्य स्थानों पर
	प्रति सैकड़ा	प्रति सैकड़ा
चिपकाने वाले जनरल टिकट—		
५० नये पैसे तक के प्रति टिकटों पर ..	३ रु० १० नये पैसे	६ रु० २५ नये पैसे
५० नये पैसे के ऊपर पर ५ रु० तक के प्रति टिकटों पर	१ रु० ५० नये पैसे	३ रु० १० नये पैसे
५ रु० के ऊपर पर ७५ रु० तक के प्रति टिकटों पर	१ रु० ५० नये पैसे	१ रु० ५० नये पैसे
मुद्रांकित स्टाम्प (जनरल)—		
हुण्डी स्टाम्प एवं मुद्रांकित स्टाम्प कागज ..	३ रु० १० नये पैसे	६ रु० २५ नये पैसे
न्याय शुल्क स्टाम्प (कोर्ट फीस)—		
१ रुपया या उसके नीचे के मूल्य के टिकटों पर ..	१ रुपया	१ रुपया
बड़े मूल्य के टिकट पर नकल के फोलियो, नकल के लिये कोर्ट फीस स्टाम्प	७५ नये पैसे	७५ नये पैसे
वाटर मार्क कागज	६ रु० २५ नये पैसे	६ रु० २५ नये पैसे

विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५१ पर)

बिक्री-कर के बकाया मदों की मण्डलीय व उपमण्डलीय सूची

मण्डल का नाम		३०-६-६२ को वर्ष १९६०-६१ की बिक्रीकर की बकाया मदें	३०-६-६२ को वर्ष १९६१-६२ की बिक्रीकर की बकाया मदें
		रु०	रु०
लखनऊ	..	८,३३,९२३	२१,९४,३५८
राय बरेली	..	४४,८३८	२८,९७७
नैनीताल	..	५,६८८	२,८३९
अलमोड़ा	..	२७,७९७	३५,३११
हल्द्वानी	..	३,९०५	१,७९,९३६
काशीपुर	..	४३,४१४	१,७८,७२७
बरेली	..	३,६७,५१७	७,८०,१५८
पीलीभीत	..	१,९७,५६६	१,९४,१५८
खीरी	..	१,५०,९८२	७,४७,८९१
सीतापुर	..	६२,७९०	१,६६,१४२
शाहजहांपुर	..	३,२१,९५२	२,४२,६१७
हरदोई	..	१९,३९३	९७,५९६
बहराइच	..	६६,५५५	६,५०, ७४०
गोंडा	..	२०,५६२	२,२३,८१३
बाराबंकी	..	५,१८,४६६	१,६१,८०४
आगरा	..	१२,३८,५९३	३४,८१,९४६
फिरोजाबाद	..	२,६७,४६९	५,८८,६३८
मैनपुरी	..	२,८०,९३४	३,९२,४२३
मथुरा	..	२,०९,६८४	४,९०,९४७
हाथरस	..	४,४०,८८०	४,०९,६४५
अलीगढ़	..	५,२०,९१६	५,८८,६१५
बदायूं	..	१,४३,७२२	२,९९,२८०
एटा	..	१,६५,८५०	४,०७,७३१
मेरठ	..	५,९१,९६४	५,३८,७९५
हापुड़	..	५४,७८०	१,५४,३१२
गाजियाबाद	..	८७,९८०	४,०४,३७२
मुजफ्फरनगर	..	८,४४,४०८	८,३५,१८६
सहारनपुर	..	२,०९,७६२	२,८८,६५२

अध्यक्ष पदेश्वर विधान सभा

मंडल का नाम		३०-६-६२ को वर्ष १९६०-६१ की बिक्रीकर की बकाया मदें	३०-६-६२ को वर्ष १९६१-६२ की बिक्री कर की बकाया मदें
		रु०	रु०
रुड़की	..	५४,५८९	६३,९२५
देहरादून	..	१,११,०४७	१,०८,९७३
मुरादाबाद	..	३,६६,७३८	८,६५,७५३
बुलन्दशहर	..	१५,९९,४६६	१७,७४,०५२
बिजनौर	..	७५,५८३	४,०१,९७९
लैंसडाउन	..	१४,९९७	७७,०५२
रामपुर	..	६९,८०३	१,१६,२४७
ऋषीकेश	..	१७,५०१	४२,६९८
कानपुर	..	६२,९८,९००	१,०२,८५,९३७
बांदा	..	१,५१,७६७	१,५९,६२३
इटावा	..	५,१०,४८१	४,७९,५७४
फतेहगढ़	..	५०,३२०	३,७०,००३
फतेहपुर	..	५८,७८०	२,३०,२६३
झांसी	..	३,८४,२३९	८,११,०४०
महोबा		५७,६४२	१,१३,६६७
उरई	..	१,१९,६१५	१,६८,१९३
उन्नाव	..	४३,०६३	३८,०५३
इलाहाबाद	..	२,६१,५९५	१५,५६,६८४
आजमगढ़	..	२,८०,४५५	३,७१,५४२
बलिया	..	३८,५२२	१,०१,८५१
वाराणसी	..	४,४९,९८३	१०,८१,४२७
बस्ती	..	१,१४,०२७	२,३२,०२२
देवरिया	..	८९,३१३	३,५२,३४७
फैजाबाद	..	३,६१,७४६	१,७३,५३४
गाजीपुर	..	२९,८६५	१,३०,२५३
गोरखपुर	..	१,६०,५१३	१६,५०,७७३
जौनपुर	..	९५,१३६	१,१८,३०१
मिरजापुर	..	८२,०५५	४०,९९४
प्रतापगढ़	..	४७,१६३	१,०३,७८५
सुल्तानपुर	..	७३,७६४	८९,६४७
योग	..	१,९८ १०,९५८	३,६८,७५,८०१

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६० पर)

प्रश्न	उत्तर
३—क्या सरकार इस विषय पर विचार कर रही है कि जो डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट (कम्प्लेन्ट आफिसर) कुछ जिलों में हैं उन्हें हटा दिया जावे ?	सरकार ने विचार करके निर्णय ले लिया है ।
४—यदि हां, तो कब तक ?	उचित आदेश ३० अप्रैल, १९६२ को शासन द्वारा जारी हो चुके हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १७१ एस० ए०—१९६२—८४५ ।